LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Wednesday, December 03, 2025 /Agrahayana 12, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, December 03, 2025 / Agrahayana 12, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

OBITUARY REFERENCE **1**

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **1 – 30**
(S.Q. NO. 41 – 48)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **31 – 50**
(S.Q. NO. 49 – 60)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS **51 – 280**
(U.S.Q. NO. 461 – 690)

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, December 03, 2025 / Agrahayana 12, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, December 03, 2025 / Agrahayana 12, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 94

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 294

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION 295
5th and 6th Reports

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 295
Statements

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 32ND REPORT OF STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION – LAID 296
Shrimati Nimuben Jayantibhai Bambhaniya

MOTION RE: 11TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 296

MATTERS OF PUBLIC IMPORTANCE 297 - 333

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 334 - 48

Shri Ashok Kumar Rawat 334

Shri Dilip Saikia 334

Shri Damodar Agrawal 335

Shri Praveen Patel 335

Shrimati Manju Sharma **336**

Shri Shashank Mani **336**

Shri Manish Jaiswal **337**

Shri Kanwar Singh Tanwar **337**

Dr. Manna Lal Rawat **338**

Shri Dineshbhai Makwana **338**

Shri Anurag Sharma **339**

Shri Vishnu Dayal Ram **339**

Adv. Dean Kuriakose **340**

Shri Sasikanth Senthil **341**

Shri Robert Bruce C. **342**

Shri G. Kumar Naik **342**

Shri Rajeev Rai **343**

Shri Pushpendra Saroj **343**

Shri Kalipada Saren Kherwal **344**

Shrimati Sajda Ahmed **344**

Shri Tamilselvan Thanga **345**

Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi Thangapandian **346**

Shri G.M. Harish Balayogi **347**

Shri Sunil Kumar **347**

Dr. Rajkumar Sangwan **348**

Shri Mohmad Haneefa **348**

... **349 - 50**

CENTRAL EXCISE (AMENDMENT) BILL **351 - 430**

Motion for Consideration **351**

Shrimati Nirmala Sitharaman **351 - 52**

Shrimati Daggubati Purandeswari **353 - 56**

Shri Karti P. Chidambaram **357 - 58**

Shri Naresh Chandra Uttam Patel **359 - 60**

Prof. Sougata Ray **361 - 64**

Dr. Kalanidhi Veeraswamy **365 - 66**

Shri Lavu Srikrishna Devarayalu **367 - 70**

Shri Kaushalendra Kumar **371 - 72**

Shri Anil Yeshwant Desai **373 - 74**

Shrimati Supriya Sule **375 - 78**

Shri Ravindra Dattaram Waikar **379 - 80**

Shri Arun Govil **381**

Shri Sasikanth Senthil **382 - 83**

Shri Sudhakar Singh **384**

Shri Maddila Gurumoorthy **385**

Shrimati Mahima Kumar Mewar **386 - 89**

Shri Navaskani K. **390**

… **391**

Shri Ramashankar Vidharthi Rajbhar **392 - 93**

Shri Darshan Singh Choudhary **394 - 96**

Shri D.M. Kathir Anand **397 - 99**

Shri Raja Ram Singh **400**

Dr. Prashant Yadaorao Padole **401**

Shri Abdul Rashid Sheikh **402**

	Shri Umeshbhai Babubhai Patel	**403 - 04**
	Dr. Rajesh Mishra	**405 - 06**
	Shri Neeraj Maurya	**407**
	Shri Ganesh Singh	**408 - 10**
	Shri Rajkumar Roat	**411 - 12**
	Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	**413**
	Shrimati Nirmala Sitharaman	**414 - 26**
…		**427 - 28**
	Motion for Consideration – Adopted	**428**
	Consideration of Clauses	**429**
	Motion to Pass	**430**

xxx

(1100/MLC/PS)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष : अगर नारे नहीं लगाएं तो उचित रहेगा।

निधन संबंधी उल्लेख

1101 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुःख के साथ हमारे तीन पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री काली प्रसाद पांडे आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और बिहार के गोपालगंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे बिहार विधान सभा में भी सदस्य रहे।

श्री काली प्रसाद पांडे का निधन दिनांक 22 अगस्त, 2025 को 78 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ।

श्री रामेश्वर डूडी राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा वे खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य रहे। वे राजस्थान विधान सभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दीं। श्री रामेश्वर डूडी का निधन 62 वर्ष की आयु में 04 अक्टूबर, 2025 को बीकानेर में हुआ।

श्री श्याम सुंदर लाल छठी लोक सभा के सदस्य थे। वह राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

श्री श्याम सुंदर लाल का निधन 28 नवम्बर, 2025 को दिल्ली में 89 वर्ष की आयु में हुआ।

यह सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब, सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : ॐ शांति: शांति: शांति:।

प्रश्न काल, प्रश्न संख्या 41, श्री नव चरण माझी।

(प्रश्न 41)

श्री नव चरण माझी (मयूरभंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि क्या उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ओडिशा जैसे आदिवासी बहुल एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान अथवा संशोधित मानदंड तय करने पर विचार कर रहा है, ताकि ऐसे दूर-दराज़ क्षेत्रों के गांवों में अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) उप केन्द्र तथा गोदाम स्थापित किए जा सकें, जिससे लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने हेतु लंबी दूरी तय न करना पड़े? यदि हाँ तो मयूरभंज जैसे जिलों में इस नीति या किसी अलग परियोजना को लागू करने की संभावित समय-सीमा क्या है?

श्री प्रहलाद जोशी : सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे देश में जहाँ भी जरूरत है, वहाँ एफसीआई गोडाउन पीपीपी माध्यम के द्वारा उपयोग करती है, नहीं तो एफसीआई के गोडाउंस हैं, उन गोडाउंस का उपयोग करती है। स्टेट गवर्नमेंट के गोडाउंस उपयोग करती है। दूर-दराज़ का इलाका हो और कहीं भी चाहे पहाड़ी इलाका हो, सभी क्षेत्रों में हमारी नेटवर्किंग आज के दिन में परफेक्ट है। जहाँ भी अगर जरूरत है तो एफसीआई समय-समय पर गोडाउन भी हायर करेगा और फेयर प्राइज़ शॉप को अपॉइंट करना प्रदेश सरकार का काम है। हम पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हरेक व्यक्ति को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पांच किलो राशन जैसे चावल और गेहूँ हर महीने प्रदान कर रहे हैं। यह कार्य मोदी जी के कालखंड में परफेक्टली शुरु हो गया है और आगे भी बढ़ रहा है।

(1105/GG/SNL)

श्री नव चरण माझी (मयूरभंज) : महोदय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताएंगे कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल क्या कदम उठाएगी जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी पात्र जनजातीय परिवारों, जिनमें से अनेक को बीपीएल सूची तथा अंत्योदय अन्न योजना – एएवाई से गलत तरीके से बाहर रखा गया है, उनकी सही पहचान की जाए, उन्हें बीपीएल राशन कार्ड जारी किए जाएं तथा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए?

(बी) औपचारिक रूप से बीपीएल को एएवाई सूची में शामिल किए जाने तक ऐसे परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति के लिए क्या अंतरिम व्यवस्था की जाएगी? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब तारांकित प्रश्न होता है, स्टार्ड क्वेश्चन होता है, तब संक्षिप्त में प्रश्न पूछते हैं। एक, दो, तीन या चार नहीं पूछते हैं।

… (व्यवधान)

श्री नव चरण माझी (मयूरभंज) : जी सर, धन्यवाद। … (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : सर, जो बेनिफिशरी को डिसाइड करना है, बेनिफिशरी अंत्योदय योजना में हो, वह टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हो, वह जो पांच किलो देते हैं, अंत्योदय अन्न योजना में हर माह हर परिवार को 35 किलो देते हैं। उसमें जो कार्ड वितरण करना है, किसको कार्ड देना है,

उसका काम राज्य सरकार करती है। लेकिन समय-समय पर टैक्नोलॉजी के आधार जो इनएलिजेबल क्राइटेरिया जो है, एलिजिबल क्राइटेरिया है, वह राज्य सरकार डिसाइड करती है। अगर उसमें कुछ गलत दिखता है तो हम इधर टैक्नोलॉजी के द्वारा सर्वे कर के राज्य सरकार को बताते हैं। अल्टीमेटली वेरिफिकेशन कर के किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको बीपीएल देना, किसको नहीं देना, यह काम राज्य सरकार करती है।

सर, माननीय सदस्य का जो कंसर्न है, अगर ये उस कंसर्न को लिखित में देते हैं तो मैं उनको अलग से उत्तर दे दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यों से भी और माननीय मंत्रीगण से भी आग्रह करता हूँ कि अगर माननीय सदस्य भी संक्षिप्त प्रश्न पूछें और माननीय मंत्री महोदय भी संक्षिप्त उत्तर दें तो जो 20 प्रश्न लॉटरी में खुलते हैं, वे बहुत मुश्किल से खुलते हैं, तो सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न काल में अवसर मिल जाएगा। ऐसा आप सभी मिल कर प्रयास करें। यह मेरा आग्रह है।

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी – उपस्थित नहीं।

श्री नरेश म्हस्के।

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : सर, हमारी सरकार हर साल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर लगभग दो लाख करोड़ रुपये खर्च करती है। वर्ष 2015 में शांता कुमार कमिटी ने पीडीएस कवरेज को 40 टका तक कम करने की सिफारिश की थी, ताकि सब्सिडी के बेहतर टारगेट किया जा सके।

क्या सरकार पीडीएस कवरेज को रैशनलाइज़ करने और सब्सिडी को बेहतर टारगेट करने के लिए शांता कुमार जैसी कमिटी की सिफारिशों पर कोई ठोस कदम उठा रही है? साथ ही, क्या अनाज देने वाले इस मॉडल की जगह एक वैल टारगेटिड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर यानि डीबीटी सिस्टम को लाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है?

श्री प्रहलाद जोशी : सर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार 75 पर्सेंट रूरल पॉप्युलेशन, 50 पर्सेंट अर्बन पॉप्युलेशन के लोगों को फ्री में राशन बांटने का निर्णय माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हमने शुरू किया है, वह जारी है। DFPD has crosse-matched data of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojna with Aadhaar to improve the accuracy of beneficiary identification.

(1110/YSH/SMN)

उसमें जो मर जाते हैं, सीबीडीटी (इनकम टैक्स), मोटर व्हीकल ओनरशिप, जीएसटीएन, एमसीए जैसे जो भी विषय हैं, उन्हें हम मैच करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया स्टेट्स डिसाइड करते हैं। उसके आधार पर ही वे डिसाइड करते हैं। हम आज की तारीख में 75 परसेंट और 50 परसेंट में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं।

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका (कोरापुट) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पीडीएस में अभी भी लीकेजेस हैं। When we talk about aspirational districts which are 112 in number, Raigada and Koraput are two districts in my

particular Lok Sabha constituency which are aspirational districts. What we have seen is that because of the leakage, the beneficiary is not getting his due, वहां पर जो चाहे वह नहीं मिलता है। कंधमाल में आठ ट्राइबल पीपुल्स ऐसे थे, जो मैंगो कर्नेल खाकर बीमार हो गए थे। उनमें से दो की मौत हो गई थी। इसमें लीकेजेस जरूर हैं। आप ई-केवाईसी करते हैं। आपने उसे मेंडेटरी कर दिया है। हमारे एरिया, कोरापुट-कंधमाल में मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहुत चैलेंजिंग है। क्या सरकार पीडीएस के अतिरिक्त एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत एक मिनिमम अमाउंट हर एक व्यक्ति को देने का प्लान कर रही है? क्या आप इस पर जवाब देंगे?

श्री प्रहलाद जोशी : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमें फूड सिक्योरिटी देनी है और हम वह फूड सिक्योरिटी रेगुलरली दे रहे हैं। वर्ष 2020 से, कोविड के समय से लेकर लगभग वर्ष 2029 तक 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। जहां कहीं भी लीकेज हो रहे हैं, upto designated godown उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। उसके बाद जब वह शॉप्स पर चला जाता है, Ultimately, it goes to the beneficiaries. उसे बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। जहां भी कंप्लेंट आती है, हम तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को कार्रवाई करने के लिए लिखते हैं। All 20.58 crore ration cards and 79.92 crore beneficiaries are digitized, आज ऑलमोस्ट 100 परसेंट डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम ई-पॉस के द्वारा भी, मतलब थंब इंप्रेशन से, बायोमेट्रिक्स से और आईरिस लेकर भी आइडेंटफाई करके देते हैं। उसके अलावा अभी ई-पॉस के साथ ही साथ e-weighing scale or weighing machine को भी कनेक्ट करके जो बहुत गरीब व्यक्ति है, हमें उनको इसका लाभ पहुंचाना है। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य की कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो वे मुझे लिखित में दे सकते हैं।

(इति)

(प्रश्न 42)

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सर्वेक्षण के 74वें दौर के दौरान वार्षिक सर्वेक्षण पद्धति में समस्याएं आई थीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वे कौन सी समस्याएं थीं और उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए?

दूसरी बात, बिहार में वर्षों तक सांख्यिकी कर्मियों की सेवा लेने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है तो क्या उन हटाए गए सांख्यिकीकर्मियों को फिर से बहाल करने का सरकार विचार रखती है?

राव इन्द्रजीत सिंह : जनाब, यह 74वां जो राउंड था, उसमें यह सुझाव आया था कि बुनियादी ढाँचा बनाना है और सर्विसेज़ सेक्टर के लिए आगे किस तरह से प्रयास किए जाएं, लेकिन उस समय जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, उसमें थोड़ी दिक्कतें आई थीं। वे हमारे लिए कुछ खास मायने नहीं रखने वाली थीं इसलिए सिर्फ एक टेक्निकल रिपोर्ट पेश की गई और उस समय सर्विस सेक्टर के ऊपर सर्वे नहीं किया गया था।

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि बिहार में कुछ लोगों को हटा दिया गया है तो उसका मुझे इल्म नहीं है। यह इनका कोई दूसरा सवाल होगा इसलिए मैं इसका जवाब फिर कभी दूंगा।

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सर, वहां फिर से एनडीए की सरकार बन गई है तो क्या इस बारे में माननीय मंत्री जी कोई आश्वासन देना चाहेंगे?

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूँ।

(1115/STS/RP)

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank you, Speaker, Sir. I would like to ask the hon. Minister, through you, a supplementary question.

Sir, the service sector has been contributing the most as compared to the industry sector. Being the highest contributor towards our GDP and the economy, there is a significant growth in the service sector which has been shown in the trajectory and the projections for the coming years. This is very important. This sector is divided into sub-sectors like trade, transport, finance, real estate. Every sector assumes great importance. There are core sectors like manufacturing or industry also.

As stated in the answer, in the 74th round, there was a hitch regarding the methodology to be adopted, and only technical report was given. Now, in this, every segment assumes great importance. What is the methodology or the basic concept that the Government is trying to come about in this entire concept? This assumes a great importance in the sense that the employment

has now come down from public sector to the private sector. The private sector is playing an important role in the economy. What steps are being taken by the Government to see that this comes in the public domain? What steps would be taken for the development in this sector?

RAO INDERJIT SINGH: Sir, there is no gainsaying the fact that services sector is one of the most important sectors contributing to our economy. I accept his version of this. However, the service sector can be divided into two parts. One is the incorporated sector and the other is the unincorporated sector.

As far as the unincorporated sector is concerned, the Government has been taking out surveys since 2021-22, and reports on that are available in the public domain. As far as the incorporated sector is concerned, after the 2016-17 technical report, there was a small survey conducted in the last part of the last year and in the beginning of this year. This was a pilot study. The full-fledged survey and from which year will this survey be taken as the base year, will be announced on 28th of February. So far, all surveys have taken 2011-12 as the base year. Sometimes, people say that it is rather late for us to be taking 2011-12 as the base year. But, on 28th of February next year, we will decide which will be the base year from which the survey will be conducted. It should be conducted thereafter for the incorporated sector as well.

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधाकर सिंह जी।

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : प्रश्न संख्या 42 के संदर्भ में क्या माननीय मंत्री जी यह अवगत करायेंगे कि बिहार के अनेक जिलों में, विशेषकर ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में बैंकिंग, डिजिटल नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित न हो पाने के प्रमुख कारण क्या हैं? क्या सरकार इन जिलों के लिए सेवा क्षेत्र सुदृढ़ करने हेतु कोई समयबद्ध कार्य योजना, विशेष पैकेज या नियमित निगरानी तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है?

राव इन्द्रजीत सिंह : सर, सवाल सर्वे के ऊपर है। बिहार के विषय के अंदर सरकार की क्या बात है, अगर वह अलग से प्रश्न डालेंगे तो मैं माननीय सदस्य को जवाब उपलब्ध करा दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश रंजन जी। ऐसा ही बिहार से संबंधित प्रश्न बिहार से माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी का था।

(इति)

(1120/MM/VPN)

(प्रश्न 43)

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण विषय है और आज देश के हर व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक या नकरात्मक रूप से प्रभावित करता है। खास कर देखा गया है कि ऐसे कई एप्प बने हैं, जिनमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद और लिंग आधारित ग्रुप्स हैं, जो कि समाज को लगातार बांट रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो फिर इसके लिए यह प्रावधान है। इन्होंने यह नहीं बताया कि कोई घटना घट जाए या किसी आदमी की हत्या हो जाए तो उसके निराकरण के लिए हम यह दे रहे हैं। इनका उत्तर सही नहीं है। ब्राजील, सिंगापुर, फिनलैंड, अमेरिका ने सुरक्षा मॉडल को लागू किया है।

माननीय अध्यक्ष : राजेश जी, आप बिहार से निकलकर आजकल इंटरनेशनल बातें कर रहे हैं।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : महोदय, मेरा निवेदन इसमें है कि सरकार को जो अच्छा लगता है वह तो सोशल मीडिया सही है, लेकिन जो इस देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा या आने वाली पीढ़ियों … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। इतना लंबा सप्लीमेंटरी क्वैश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको दूसरा सप्लीमेंटरी पूछने का अवसर मिलेगा।

श्री अश्विनी वैष्णव :माननीय अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के बारे में जो विषय सांसद जी ने उठाया है, वह वाकई में एक बहुत चिंताजनक विषय है। I sincerely want to say that fake news is a threat to our democracy today. हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और एआई जनरेटिड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करके कई ऐसे इको सिस्टम बन गए हैं, जो भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं। उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त जरूरत है। हाल ही में कुछ नये रूल्स भी बनाए गए हैं विद-इन 36 ऑवर्स टेक-डाउन करने का एक नया रूल हाल ही में बनाया गया है। एआई जनरेटेड डीफेक्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए नया रूल ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है। Consultation is currently going on. पार्लियामेंटरी कमेटी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं निशिकान्त दुबे जी और कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी डिटैल्ड रिपोर्ट कल ही सदन में रखी है। इसके अंदर कई अच्छे प्रस्ताव आए हैं कि कानून को किस-किस पॉइंट पर कड़ा किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, ultimately, there is a very fine, delicate balance between freedom of speech and protecting our democracy so far ad fake news and social media are concerned. इस फाइन बैलेंस को लेकर सरकार चल रही है। माननीय

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में एक नई क्रांति लायी गयी है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया है। उसके अच्छे प्रभावों का भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। सोशल मीडिया एक तरह से सभी को एक प्लेटफार्म भी देता है। इन सब पॉइंट्स पर विचार करके हमारे समाज में जो इंस्टिट्यूशंस पर ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को कैसे स्ट्रैंदन करें, उस पर सरकार काम कर रही है।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : महोदय, जब कोई फोटो धर्म या मजहब से संबंधित होती है, एक पूर्व की घटना है, सोशल मीडिया ने प्रमुखता से इसको निभाया है और समाज में तनाव पैदा किया है। कोई भी फोटो अपलोड करने से पहले, जैसे एआई में टाटा या बड़े बिजनेस … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न काल है और आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : मैं वही कर रहा हूं कि जिस प्रकार से सट्टेबाजी के लिए महादेव एप्प मामले में बड़े स्टार्स और इनफ्लुएंसर्स ने गैंबलिंग सीखायी। इसके कारण कर्ज में डूबे युवाओं में 18 प्रतिशत आत्महत्या में वृद्धि हुई।

(1125/MK/UB)

देश का जो आने वाला युवा है, जो सामाजिक और पारिवारिक स्थिति है, इससे समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि हम जब किसी भी चीज को अपलोड करते हैं तो बाद में न्यूज चैनल उसको उठाकर समाज में गलत तरीके से भ्रम पैदा करता है। उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है और उसका कोई सत्यापन नहीं होता है। उसको डालने से पहले किसी से परमिशन लिया जाना चाहिए। यह होगा या नहीं? इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कठोर कार्रवाई हो। मेरा रिक्वेस्ट है कि एक कठोर कानून बने। … (व्यवधान) किसी भी तरह का गलत वीडियो डालने से लोगों की सेफ्टी खत्म हो जाती है। इसके लिए जरूर कोई कानून बनना चाहिए।

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने जिस तरह से ऑनलाइन बेटिंग की बात की है, मैं आपके माध्यम से सदन को एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए एक कड़ा बनाया है। उसके कारण देश में करोड़ों परिवारों को उसका बेनिफिट मिला है। जिस तरह से कैंसर की तरह ऑनलाइन मनी गेमिंग का प्रचार हो गया था, सब तरफ उसका प्रसार हो गया था, स्प्रेड होने के कारण समाज में एक बड़ी विकृति आ गई थी। उसके लिए कड़ा कानून बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी भी कड़े से कड़े स्टेप को लेने से पीछे नहीं हटती है।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय ने 5 जी को लेकर जो स्पष्टीकरण राजस्थान और संसदीय क्षेत्र से संबंधित दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं। जहां सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या थी, वहां सैंकड़ों-हजारों की संख्या में टॉवर लगे हैं।

मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि जिन 5 जी स्पेक्ट्रम कंपनियों ने काम शुरू किया है, उनसे पहले जो अनकवर्ड एरियाज हैं, वहां बुनियादी नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए सरकार कोई

विचार कर रही है? यदि हां तो जिन क्षेत्रों में 3 जी और 2 जी नेटवर्क नहीं है, वहां इसके लिए कोई विशेष समय-सीमा तय की गई है?

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न फेक न्यूज और सोशल मीडिया से संबंधित है।

माननीय अध्यक्ष: आगे इससे संबंधित प्रश्न आने वाला है।

श्री अश्विनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब संचार मंत्री जी दे देंगे।

माननीय अध्यक्ष: इस विषय पर 25 से ज्यादा माननीय सदस्यों के सप्लीमेंट्री प्रश्न आए हैं। कभी व्यवस्था से इस विषय को लीजिए। यह बहुत गंभीर विषय है। देश की युवाओं का यह चिंता का विषय है। सारी संसद इस पर चिंता व्यक्त कर रही है। सरकार इस पर पॉलिसी ला रही है। संसदीय समिति ने भी रेक्मेंडेशन दी है। हम सब बैठकर इस विषय पर चर्चा करेंगे।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, the hon. Minister mentioned the rules and mechanisms but there is zero data in the reply given. Can the hon. Minister confirm whether the Government has taken even a single punitive action against the major news channels or the influencial social media accounts spreading fake news about the Opposition leaders and the farmers movement in the past two years? If yes, kindly name the cases. If not, why does the Government selectively target only those people who are involved in the criticism of the Union Government under the so-called Fact Check Unit?

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, the Government and the Press Council of India have been very actively looking at any complaint which comes against any TV channel or any newspaper. This is something which is very important for protecting our democracy. We must always be aware that anything which is sold in the name of freedom of speech but is a fake news or a fake narrative must be actively countered. This is the responsibility of the Central Government, the State Governments and the civil society to collectively work towards making sure that the trust in our society is maintained and is further strengthened.

As far as the Central Government and its institutions are concerned, we will continue to take any action which is required for curbing the fake news.

(ends)

(1130/ALK/NKL)

(प्रश्न 44)

माननीय अध्यक्ष : श्री सी. एन. अन्नादुरई - उपस्थित नहीं।

श्री जी. सेल्वम।

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): Sir, while the Ministry has stated that 5G services have been launched across all districts, large pockets of rural Kanchipuram still report weak or no 5G signal, especially in the blocks of Uthiramerur, Walajabad and Acharapakkam, affecting students, small businesses, and service delivery.

May I request the hon. Minister to specify whether the Government will prioritize these underserved rural clusters of Kanchipuram for the installation of additional 5G BTS under any ongoing or upcoming schemes, and also provide the timeline for achieving full rural coverage in the district?

DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI: Sir, today if you look at 5G, more than 99 per cent of the districts, that is, 777 districts out of 778, have 5G coverage. Today, out of 120 crore people, about 36 crore people have 5G handsets and are using 5G services. The issue of 5G coverage in rural villages is not just about 5G towers or BTSs; it is about the handsets latching on to the 5G. Today, we have 37,000 5G BTSs in Tamil Nadu. When we talk about the districts like Tiruvannamalai and Kanchipuram, we have 224 and 231 villages respectively with 5G BTSs. This is on a par with the average of the rest of India.

But in addition to that, the Government has done exceptional work to accelerate 5G services by enabling TSPs, reducing their bank guarantees, and removing the spectrum usage charges. Therefore, they can invest a lot more money in additional BTSs which would result in acceleration of services. This is a continuous process. Thank you.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I am not going to ask about 5G; rather, I would like to ask about 4G. The district I come from, Palnadu, has a significant tribal population, particularly in mandals like Bollapalle, Veldurthi, and Macherla. These three to four mandals have a lot of ST population and many PVTG habitations as well. … (*Interruptions*)

The question I have is this. I appreciate the Ministry for actually rolling out indigenously manufactured 4G equipment in almost 97,500 villages across the country. However, in these PVTG habitations in my constituency, land has been allocated, but for such a long time, this 4G network has not been rolled out. So, is there any timeline that the Government can provide regarding when these PVTG locations will have access to this 4G network? If priority is given to these PVTG habitations, it would be appreciated. Thank you.

DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI: Sir, when it comes to 4G, we have planned for around 27,000 towers across all these underserved areas. These areas are far-flung and remote, where access, forest clearance, and environmental clearance have been some issues. Therefore, our hon. Cabinet Minister, Scindia ji, has written to individual Chief Ministers. I myself have written to each MP regarding the specific problems in their respective areas so that we can coordinate with the local MP, along with BSNL, which is the implementing agency, and the State Government, to accelerate this process.

When it comes to individual villages, there are variable factors, and it is very hard to provide the exact information on that. However, we are here to address all those issues and accelerate progress. Additionally, this Palnadu district is actually my hometown, and I am happy to work on this project. Thank you.

(1135/CP/VR)

श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) : सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि नार्थ कश्मीर में जो बार्डर एरियाज़ हैं - करनाह, माछिल, गुरेज़, उड़ी, वहां पर फाइव जी, फोर जी तो दूर की बात, अभी मोबाइल टॉवर्स की भी जरूरत है। वहां फोन कनेक्टिविटी भी नहीं है। मैंने जेल में टीवी पर देखा है कि गुजरपति गांव में लोग पांच दिन से एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, सीएम साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें कम से कम फोन की फैसिलिटी मिले। क्या ये मेहरबानी करके अपने डिपार्टमेंट से कहेंगे कि जो बार्डर एरियाज़ हैं, why should they suffer in Kupwara and Baramulla districts? अभी इन्होंने कहा कि हमने सारे एमपीज़ को लिखा है। मुझे तिहाड़ जेल में उनका कोई लेटर नहीं मिला है। हम अपना दर्द बता रहे हैं।

संचार मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया) : सर, प्रश्न के साथ और इसके पहले के हमारे सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा, उसके साथ भी एक बहुत अहम मुद्दा जुड़ा हुआ है। आज दूरसंचार एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी बन चुका है। इसके माध्यम से देश की जनता पूर्ण विश्व के साथ जुड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधान मंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया है कि सौ प्रतिशत फोर जी का सेचुरेशन हमें देश में सुनिश्चित करना है।

डिजिटल भारत निधि कोष से इसके लिए राशि भी दी गई। अभी उत्तर में भी बताया गया कि करीब 47 हजार टॉवर्स के लिए राशि उपलब्ध की गई है। मुझे आपके द्वारा हाउस को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक वर्ष की अवधि में करीब 25 हजार टॉवर्स संपूर्ण देश में लग चुके हैं। 12 हजार टॉवर्स, अभी हमारे कश्मीर के सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया … (व्यवधान) ये कार्य अभी भी प्रगति पर हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। मैं कुछ कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। कई जगह सर्वे नहीं हो पाया है, कई जगह राइट ऑफ वे की एक्सेस है, कई जगह राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत है। अप्रैल माह में हमने बैठकर एक-एक टॉवर के बारे में विश्लेषण किया और 2,415 कारणों में से एक-एक कारण को रेखांकित किया। प्रदेश सरकार के साथ केवल पत्राचार ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने और राज्य मंत्री ने स्वयं बात की। मुझे आज हाउस में आपको सूचित करते हुए हर्ष है कि 2,415 विषयों में से पिछले सोमवार, हमने जो कैलकुलेट किया है, हम लोग 1,990 इश्यूज़ का पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर चुके हैं। हमारा मंत्रालय और भारत सरकार यह मुद्दा हर हफ्ते के आधार पर देख रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो टार्गेट पिछले एक वर्ष में 25 हजार टॉवर्स किए हैं, ये बाकी 12 हजार टॉवर्स भी, जिसमें जम्मू-कश्मीर भी बहुत महत्व रखता है, हम सम्पूर्ण रूप से देश का सौ प्रतिशत सेचुरेशन प्रधान मंत्री जी के संकल्प के आधार अगले साल तक कर लेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदय, यह प्रश्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। दूरसंचार सेवाओं में सरकार के संचार साथी ऐप की प्री लोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर कुछ स्पष्टीकरण दिया है कि वह ऐप प्री लोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वह चॉइस यूजर्स को देने के लिए आपका एक स्पष्टीकरण आया है।

मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूं, साफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं। जब सिस्टम के अंदर प्री लोड की रिक्वायरमेंट होगी, तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे या नहीं, किसी यूजर को यह बात पता नहीं चलेगी। निजता का जो अधिकार है, यह उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। स्क्रूटनी के प्रश्न पूरे देश में उठ रहे हैं, इसको लेकर जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स हैं, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे?

(1140/SK/PBT)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : मैं माननीय सदस्य को उनके प्रश्न के लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और मैं उनके प्रश्न के द्वारा सदन के पटल पर और देश की जनता के समक्ष सारे तथ्य रखना चाहता हूं।

महोदय, दूरसंचार का क्षेत्र लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज देश में एक बिलियन यूजर्स हो चुके हैं। जब सकारात्मक उपयोग किया जाता है, ऐसे कई तत्व होते हैं जो नकारात्मक उपयोग भी करते हैं और तब सरकार का दायित्व होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उन नकारात्मक प्रयोगों और तत्वों से सुरक्षित रखे। इसी सोच के साथ संचार

साथी पोर्टल की शुरूआत वर्ष 2023 में की गई थी। हमने संचार साथी ऐप का प्रयोग वर्ष 2025 में शुरू किया था। संचार साथी क्या है? संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर और जनभागीदारी के आधार पर आज हर नागरिक अपने आपको फ्रॉड, स्टोलन मोबाइल से सुरक्षित रख सकता है। वह अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है और रिपोर्ट कर सकता है। हमारे पोर्टल पर 20 करोड़ हिट हुए हैं और करीब डेढ़ करोड़ ऐप्स डाउनलोड हुए हैं। सरकार ने सॉफ्टवेयर बनाया है लेकिन इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश की जनता को जाता है क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम सफल हो पाए हैं।

महोदय, आज मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि देश में इस ऐप और पोर्टल के आधार पर डेढ़ करोड़ मोबाइल कनैक्शन्स डिसकनैक्ट हुए हैं, जो फ्रॉडुलेंट हैं और इसे जनता ने रिपोर्ट किया है। हमने करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसैट्स ट्रेस किए हैं, सात लाख स्टोलन हैंडसैट्स उपभोक्ता को वापस किए हैं, 41 लाख मोबाइल कनैक्शन्स डिसकनैक्ट हुए हैं और छ: लाख फ्रॉड ब्लॉक किए गए हैं। इसी के आधार पर हमने कोशिश की है कि हम हर नागरिक को च्वाइस दें क्योंकि ऐप फोन पर है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में रजिस्टर नहीं करूंगा तब तक यह ऑपरेट नहीं होगा। मेरे फोन पर ढेर सारे ऐप्स हैं और मैं उपभोक्ता के रूप में उस ऐप को दबाकर डिलीट कर सकता हूं। लोकतंत्र में पूर्ण अधिकार नागरिकों का है। हमने सबको केवल यह ऐप उपलब्ध कराने का कदम उठाया है।

महोदय, मैं फिर भी सदन में कहना चाहता हूं कि हमारा कोई हठ नहीं है। इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। हमें जो फीडबैक मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में हमें कोई चेंज लाना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इस एप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है और न ही स्नूपिंग होगी। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि जनता अपने आपको सुरक्षित रख पाए।

(इति)

(प्रश्न 45)

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे (शिरूर) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पुणे-नासिक रेल कनैक्टिविटी का उत्तर दिया है, उसमें एलाइनमेंट बदल दी गई है जबकि ओरिजनल एलाइनमेंट जो महाराष्ट्र रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाई गई थी। जुन्नर और ओमेगा रिच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूज हैं और हाई वैल्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स प्रोड्यूज करते हैं, इस ओरिजनल एलाइनमेंट पर साईंनगर और चाकण एमआरआईडीसी है और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ चाकण एमआरआईडीसी में रेवेन्यू डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। अगर आम कम्यूटर्स की बात करें तो चाकन एरिया में सिर्फ 10 किलोमीटर जाने के लिए दो से तीन घंटे लगते हैं इसलिए ओरिजनल एलाइनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके लिए जो कारण दिया है, वह जीएमआरटी बताया गया है। यह कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी ने एडवाइस किया कि जीएमआरटी ऑब्जर्वेटरी को इससे तकलीफ हो सकती है।

महोदय, मैं आपके सामने ग्लोबल केस स्टडी रखना चाहता हूं कि विश्व में 15 ऐसे देश हैं जहां रेडियो टेलीस्कोप और रेलवे को-एग्जिस्ट करते हैं। ये देश हैं - जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, फ्रांस, पौलेंड, फिनलैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड।

(1145/SJN/SNT)

महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि अगर 15 देशों में इसकी बात हो रही है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत यह बात क्यों नहीं कर सकता है? क्या इसमें नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, परमाणु ऊर्जा विभाग और रेल मंत्रालय की एक डेडिकेटेड ट्राई पार्टी टेक्निकल कमेटी ने इसका मूल्यांकन किया है? अगर उन्होंने इसका मूल्यांकन किया है, तो क्या आदरणीय मंत्री जी उस कमेटी की रिपोर्ट सदन के समक्ष रखना चाहेंगे?

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जो विषय उठाया है, वह पुणे-नासिक सेमी-हाई-स्पीड रेल परियोजना के बारे में है। पुणे-नासिक सेमी-हाई-स्पीड रेल के लिए पहले एक प्रस्ताव आया था, वह नारायणगांव से होकर गुजर रहा था। इस एलानमेंट में एक जीएमआरटी पद्धति है। जीएमआरटी एक इंटरनेशनली यूज्ड ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें 31 देशों ने योगदान दिया है। 31 देश उस ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, टेक्निकल ग्राउंड्स के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग ने बहुत साफ-साफ कहा है, अगर इस ऑब्जर्वेटरी के पास में से कोई भी रेलवे लाइन जाएगी, तो यह जो इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। राज्य सरकार ने सभी जनप्रतिनिधियों और सबके साथ विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया है कि इसका एलाइनमेंट इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि नासिक से साईनगर-शिरडी के लिए पहले ही डबल लाइन की डीपीआर बन चुकी है।

साईनगर शिरडी से पुणतांबा जंक्शन की डबलिंग लाइन के लिए पहले ही 240 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल गई है। पुणतांबा जंक्शन से निम्बलक तक 80 किलोमीटर की दोहरीकरण लाइन का काम पूरा हो गया है। निम्बलक से अहिल्यानगर तक 6 किलोमीटर के दोहरीकरण लाइन का काम ऑलरेडी चल रहा है। अहिल्यानगर से पुणे के बीच 133 किलोमीटर की दूरी का काम है, जिसमें चाकण औद्योगिक क्षेत्र का कवरेज है। उसके लिए नई डबल लाइन का डीपीआर तैयार हो गया है, जिसकी कीमत 8,970 करोड़ रुपये है।

मान्यवर अध्यक्ष जी, यह जो अल्टरनेटिव एलाइनमेंट है और जो पुराने एलाइनमेंट का प्रस्ताव रखा गया था, दोनों में समय का अंतर बहुत कम है। इसके साथ ही साथ जो साईनगर शिरडी है, वह हम सबके सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थल है, वह भी नासिक से जुड़ जाता है। नए एलाइनमेंट से बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे। अगर माननीय सांसद जी कोई और सुझाव भी देना चाहेंगे और वे जिस रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, अगर वे मेरे साथ उसको साझा करेंगे, तो मैं जरूर उसका भी अध्ययन करूंगा।

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे (शिरूर) : महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी के साथ केस स्टडी को साझा करना चाहूंगा। अगर माननीय मंत्री जी के उत्तर में चाकण औद्योगिक क्षेत्र के नए एलाइनमेंट का जिक्र होगा, तो अच्छा होगा, क्योंकि वह लाइन चाकण औद्योगिक क्षेत्र से काफी दूर स्थित है।

मैं पूछना चाहूंगा कि जायंट मीटरवेव रेडियो टेलिस्कोप (जीएमआरटी) है, हम सभी को उस पर अभिमान है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस का एक विषय है, लेकिन जीएमआरटी की वजह से जुन्नर और अंबेगांव तहसीलों में किसी उद्योग का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर अब रेलवे का एलाइनमेंट भी उन स्थानों से दूर किया जाएगा, तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जुन्नर और अंबेगांव के लोग भी इसी देश के वासी हैं, उनके समीप एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आया है। इस प्रोजेक्ट की वजह से उनका जो डेवलेपमेंटल डेफिसिट होगा, सरकार इस डेवलेपमेंटल डेफिसिट को भरने की कोशिश किस प्रकार से करेगी?

महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा। तलेगांव और उरुली कांचन हैं, अब मुंबई-मीराज ट्रैक के तीसरी और चौथी रेलवे लाइन एक्सटेंशन का प्रस्ताव आया है। यह जो प्रोजेक्ट है, खेड़ तहसील के स्थानीय लोग इस प्रोजेक्ट का बहुत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे कई घर और खेत उजड़ रहे हैं। इसलिए आपके विभाग ने 12 गांवों के लिए जिस एलाइमेंट का प्रस्ताव रखा है, वे उसका पूरा विरोध कर रहे हैं।

महोदय, मैं मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या इस एलाइनमेंट के बारे में दोबारा सोचा जा सकता है? अगर 15-20 किलोमीटर नॉर्दर्न साइट से यह एलाइनमेंट हो, जहां किसानों की कम से कम भूमि का अधिग्रहण हो और उनके कम से कम घर उजड़ें। जुन्नर और अंबेगांव तहसीलों का जो डेवलेपमेंटल डेफिसिट है, इसमें दोनों को सहयोग मिले। क्या इस रीएलाइनमेंट के बारे में सोचा जा सकता है? क्या आप जुन्नर, अंबेगांव और खेड़ तहसीलों के किसानों को राहत देने के बारे में कुछ सोच रहे हैं?

श्री अश्विनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, रेल मंत्रालय ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है, जो 'गति शक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल्स' के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति के कॉन्सेप्ट से विभिन्न मोड्स को जोड़ने की एक पहल की है, उस विजन के तहत 'गति शक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल' की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसके तहत ऑलरेडी 130 'गति शक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल्स' बन चुके हैं।

(1150/DPK/RTU)

उसी पॉलिसी के तहत जोदो नाम आपने लिए हैं, उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर 30-40 किलोमीटर का एक कनेक्टिंग सेक्शन भी बनना है, तो वह कनेक्टिंग सेक्शन इस कार्यक्रम के तहत भी बनाया जा सकता है।

मान्यवर सांसद महोदय और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहां के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, उनके साथ एक बैठक करें। उसमें रेलवे के अधिकारियों को भी भेजा जाएगा। सबका साथ और सबका प्रयास के आधार पर एक साथ मिलकर आगे इसका डेवलपमेंट हो, इस बात पर निश्चित ही एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो दूसरे प्रोजेक्ट के एलाइनमेंट की बात की गई है,उसमें भी मान्यवर सांसद, राज्य सरकार और रेलवे के अधिकारी सभी लोग मिलकर, यदिएलाइनमेंट चेंज करना है, तो उस पर बात कर सकते हैं। इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जनता के लिए काम करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी सेवा-तीर्थ कर दिया है। सेवा-तीर्थ उस भावना को दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार जनता की सेवा के लिए समर्पित है।हमें उसी भावना के साथ काम करना है।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जी।

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बनारस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड 1 दिसंबर से चेंज हुआ है। अब वह बीएसबीएस से बीएनआरएस इफेक्टिव हो गया है।

मंत्री महोदय, इस कारण पैसेंजर रिज़र्वेशन सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। लगभग 30 नवंबर से लेकर 1 तारीख की सुबह तक वहां केओस फैल गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके कारण ऑनलाइन बुकिंग तथा रिफंड्स पर इसका इफेक्ट पड़ा और आपकी जो चार्ट शीट बनती है, उस सर्विस पर भी पूरी तरह से असर पड़ा। इस कारण पैसेंजर्स को बड़े पैमाने पर तकलीफ हुई है। आज भी बहुत सारे पैसेंजर्स ओल्ड स्टेशन कोड बीएसबीएस के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि जब आप इस तरह से कोई चीज़ इफेक्टिव करते हैं, तो उसका असर पूरे सिस्टम पर होता है। जब इस तरह की चीज़ सामने आई है, तो इसके लिए आप आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई करेंगे और आप किस तरह से आगे जाएंगे? इसके साथ ही अभी तक जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई होगी?

श्री अश्विनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, यह प्रश्न पुणे-नासिक मार्ग के एलाइनमेंट के विषय पर था, लेकिन मान्यवर सांसद महोदया ने जो आईआरसीटीसी में एक स्टेशन कोड के परिवर्तन का पॉइंट उठाया है, मैं स्वयं उसकी जांच करूंगा। उसकी जांच करके उस पर जो एक्शन लेना होगा, मैं मान्यवर सांसद महोदया को उसकी जानकारी जरूर दूंगा।

(इति)

(प्रश्न 46)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 46. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर जी। – उपस्थित नहीं।

SHRIMATI SATABDI ROY BANERJEE (BIRBHUM): Thank You, Sir. Sir, given the privacy and the national security risk, will the Minister state whether the Government has assessed the amount of non-public and sensitive information being fed into these AI models by Government employees and public agencies? What measures have the Government taken to ensure the safety and critical Government data from being fed into these AI platforms including potential development of certain AI models under the India AI mission? Thank You, Sir.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: The hon. Member has raised a very important point. I would like to put on record that the Government of hon. Prime Minister Shri Narender Modi Ji and this Parliament have enacted the DPDP Act, the Digital Personal Data Protection Act. Before this Act, there was no mechanism by which the personal data could have been protected and because of the DPDP Act, now anybody who uses personal data of any user or any citizen of India will basically have a protection mechanism through which consent would have to be taken, data minimisation would have to be done, the right to forget will have to be done and the purpose will have to be very clearly defined. The Act has been notified very recently on the 13th November.

(1155/AK/PC)

This has created a totally new regime of protection for the citizens' data, and that is the spirit with which we are working. AI Apps and the AI models are also covered as a part of the DPDP Act.

(ends)

(प्रश्न 47)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर – 47, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव – उपस्थित नहीं।

श्रीमती मालविका देवी (कालाहाण्डी) : सर, नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कालाहाण्डी कांस्टीट्यूएंसी में नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, जहां फ्लोराइड का पानी है। वहां के लोगों में बहुत हैल्थ इफेक्ट्स जैसे किडनी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपने जो 500 रिवर्स ऑस्मोसिस के आरओ बेस्ड डोमेस्टिक वॉटर प्यूरिफायर्स लगाए हैं,उनके लगाए जाने के बाद क्या इफेक्ट हुआ है और केसेज़ में कितनी कमी आई है? थैंक-यू।

डॉ. जितेंद्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इनके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं यह भी कह दूं कि हमने ओडिशा में यह जो सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, वह इस बात का भी प्रमाण है कि किस प्रकार से भारत का परमाणु कार्यक्रम जीवन को सरल और स्वस्थ बनाने के लिए संकल्पित है।

यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि जब हमारा कार्यक्रम - न्युक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो होमी भाभा से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि कहीं इसके पीछे कोई न्युक्लियर वैपन्स इत्यादि की योजना तो नहीं है? उन्होंने बड़ी बुलंदी से यह घोषणा की थी कि “India's nuclear program is dedicated to peaceful purposes”, I am glad and proud to say that under Prime Minister Modi today we are seeing the true vindication of Homi Bhabha’s declaration to the world.

अत: भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में,जितना हमारा कार्यक्रम रहा है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इसलिए, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, टाटा मेमोरियल अस्पताल के 11 अस्पताल बन चुके हैं।... (व्यवधान) उसमें से नौ अस्पताल फंक्शनल हो गए हैं। ... (व्यवधान) हमने एक ग्रिड बनाया है, लगभग 300 से अधिक अस्पतालों में टाटा की कोई न कोई फैसिलिटी, कोई न कोई सुविधा रखी है।

इसी प्रकार स्वास्थ्य को देखते हुए, जैसा कि माननीय सदस्या ने ठीक कहा कि कालाहाण्डी और बौध, ये दो जिले ओडिशा में हैं, जहां यह प्रयोग किया गया है। दो तरह का प्रयोग किया गया, एक तो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग था, जो कालाहाण्डी जिले में हुआ है, जिसका इन्होंने उल्लेख किया है। दूसरा प्रयोग अल्ट्राफिल्ट्रेशन का है। इसका परपज़ यह रहेगा, इसका उद्देश्य यह है कि जो डोमेस्टिक ड्रिंकिंग वॉटर है, वह साफ सप्लाई किया जा सके। अल्ट्राफिल्ट्रेशन से माइक्रोब्स और जलासीन कीटाणु का निवारण होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस से सैलिनिटी या कभी-कभी नमक या दूसरे ऐसे तत्व आ जाते हैं, जो पानी को पीने लायक नहीं रहने देते, उनका निवारण होता है।

इस प्रकार के रिवर्स ऑस्मोसिस के 500 इक्यूपमेंट्स हमने इस जिले में रखे हैं, जिसका ये जिक्र कर रही हैं। इसके अतिरिक्त भी तीन और जिले हैं, जहां कम्युनिटी वॉटर प्यूरिफिकेशन यूनिट्स हैं, क्योंकि यह तो घरों में हुआ है, लेकिन ये यूनिट्स उनके अतिरिक्त हैं। इनमें खोर्धा,

मयूरभंज और बौध डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मुझे यह कहते हुए भी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो एक नई पहल की है, to open up the nuclear sector to the private players. जैसा कभी किसी ने सोचा न था, यहां तक कि कभी किसी ने इसकी मांग भी नहीं की थी। ... (व्यवधान) इसको लेकर ये जो अप्रेटस लगाए जा रहे हैं, ये भी पीपीपी मॉडल में लगाए जा रहे हैं। इस तरह के लगभग 40 प्राइवेट पार्टनर्स हैं, जो हमारी इस योजना में शामिल हैं।

चूंकि दूसरे प्रदेशों के माननीय सदस्य भी यहां बैठे हैं, इसलिए, मुझे यह कहते और सांझा करते हुए हर्ष होता है कि ओडिशा के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, असम और कर्नाटक, यानी बिना भेदभाव के जहां भी आवश्यकता है, सरकार चाहे किसी भी दल की है, वहां पर ये लगाए गए हैं। कर्नाटक में लगाए गए हैं, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हैं और केरल में भी हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा है, विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक का योगदान अनिवार्य है, लिहाजा प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना भी यह सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है।

(इति)

(1200/SPS/SRG)

(Q. 48)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Sir, this Machilipatnam-Repalle railway line is a very important railway line. Hon. Minister has also given a very positive reply. I would like to ask the hon. Minister whether he is going to include this project in the 2026-27 Budget.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, the hon. Member has raised a question about Repalle-Bapatla and Machilipatnam-Repalle lines. This is a very important alignment, as I have replied in the answer itself, because this provides a new connectivity to Machilipatnam Port, and this, in a sense, directly takes the Machilipatnam cargo port towards other States of Southern India. That is why, this project has been under very important priority. The DPR is under preparation, but I would also like to point out that the connectivity to Machilipatnam Port *via* Vijayawada has undergone a very significant improvement. From Vijayawada to Machilipatnam, doubling has already been completed; from Vijayawada to Tenali, work on third line is going on; connectivity from Gudivada to Duggirala is also under survey. For Repalle-Bapatla line, DPR work is going on, and for Gudivada - Bhimavaram - Narsapur section, doubling has also been completed.

I would also like to point out that before 2014, the combined Railway budget for Andhra Pradesh and Telangana, the united States at that point of time, was only Rs. 886 crore, and now, hon. Prime Minister Narendra Modi ji is giving a budget of Rs. 9,417 crore to Andhra Pradesh alone. So, this is a huge jump in the Railway requirements of Andhra Pradesh, and that is really bringing a lot of change in Andhra Pradesh.

(ends)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, उनमें श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल, कुमारी सुधा आर., श्रीमती प्रतिमा मण्डल, श्री कीर्ति आज़ाद, सुश्री एस. जोतिमणि, श्री राजेश रंजन, श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री लालजी वर्मा, श्री देवेश शाक्य, श्री जिया उर रहमान, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री आनंद भदौरिया, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल, श्री टी. आर. बालू, श्री बी.मणिक्कम टैगोर, श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत, श्री के. राधाकृष्णन, प्रो. सौगत राय हैं। मैंने आज किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1203 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 3, राव इन्द्रजीत सिंह।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the National Statistical Commission, New Delhi, for the year 2024-2025.

(2) Action Taken Report (Hindi and English versions) on the recommendations contained in the Annual Report of the National Statistical Commission, New Delhi, for the year 2024-2025.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस – आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस – आगरकर रिसर्च

इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(8) (एक) भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) रमन अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) टेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र, शिलांग के वर्ष 2024-

2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) इंडियन वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(घ) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ड़) (एक) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंहभूम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंहभूम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(च) (एक) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ernet India, Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ernet India, Delhi, for the year 2024-2025.

(2) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) of Section 55 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016:-

(i) The Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Third Amendment Regulations, 2025 published in Notification No. F.No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI(E) in Gazette of India dated 17th October, 2025.

(ii) The Unique Identification Authority of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Employees) Amendment Regulations, 2025 published in Notification No. F.No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI(E) in Gazette of India dated 31st October, 2025.

(3) A copy of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.775(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2025 under sub-section (3) of section 87 of the Information Technology Act, 2000.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics (BISAG-N), Gandhinagar, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics (BISAG-N), Gandhinagar, for the year 2024-2025.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-Energy, Kapurthala, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-Energy, Kapurthala, for the year 2024-2025.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Wind Energy, Chennai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Wind Energy, Chennai, for the year 2024-2025.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Solar Energy, Gurugram, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Solar Energy, Gurugram, for the year 2024-2025.

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA), New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA), New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Solar Energy Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Solar Energy Corporation of India, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) The Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Amendment Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.625(E) in Gazette of India dated 12th September, 2025.

(2) The Telecommunications (Telecom Cyber Security) Amendment

Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.771(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2025.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Rail Vikas Nigam Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Rail Vikas Nigam Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Railtel Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Railtel Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Braithwaite and Company Limited, Kolkata, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Braithwaite and Company Limited, Kolkata, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the RITES Limited, Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the RITES Limited, Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Review by the Government of the working of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New

Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(f) (i) Review by the Government of the working of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bangalore, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bangalore, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(g) (i) Review by the Government of the working of the Madhepura Electric Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Madhepura Electric Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(h) (i) Review by the Government of the working of the Wabtec Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Wabtec Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(i) (i) Review by the Government of the working of the Indian Railway Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Indian Railway Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(j) (i) Review by the Government of the working of the Mumbai

Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(k) (i) Review by the Government of the working of the Konkan Railway Vikas Corporation Limited, Navi Mumbai, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Konkan Railway Vikas Corporation Limited, New Delhi, Navi Mumbai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(l) (i) Review by the Government of the working of the IRCON International Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the IRCON International Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(m) (i) Review by the Government of the working of the National High Speed Rail Corporation Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the National High Speed Rail Corporation Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 199 of the Railways Act, 1989:-

(i) The Railways Red Tariff (Amendment) Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.719(E) in Gazette of India dated 26th September, 2025.

(ii) The Railways Red Tariff (Second Amendment) Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.769(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2025.

(iii) The Indian Railway (Selection to Senior Posts) Rules, 2025

published in Notification No. F.No. 2025/CRB&CEO-CC/04/11 in Gazette of India dated 7th November, 2025 together with a Corrigendum thereto (in English version only) published in Notification No. F.No. 2025/CRB&CEO-CC/04/11 pt. dated 19th November, 2025.

(3) A copy of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.735(E) in Gazette of India dated 6th October, 2025 under article 309 of the Constitution.

(4) A copy of the Railway Protection Force Amendment Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.766(E) in Gazette of India dated 21st October, 2025 sub-section (3) of Section 21 of the Railway Protection Force Act, 1957.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Railway Sports Promotion Board, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Railway Sports Promotion Board, New Delhi, for the year 2024-2025.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (6) के अंतर्गत गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4688(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित

पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(1205/RHL/SM)

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

1205 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:

> "In accordance with the provisions of subj-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Manipur Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill 2025, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 1st December, 2025 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has not recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
5th and 6th Reports

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Sir, I rise to present the following reports (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation:

(1) Fifth report on action taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Nineteenth Report (17th Lok Sabha) on "Status of framing of subordinate legislation viz. rules/regulations etc. under various acts being administered by the Ministry of Railways".

(2) Sixth report on action taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Twenty- Eighth Report (17th Lok Sabha) on "Status of framing of subordinate legislation viz. rules/ regulations etc. under various acts being administered by the Department of Fisheries in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying and delay in laying of rules/regulations".

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
Statements

SHRI P. C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Final Action Taken Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2025- 26) :-

(1) Statement showing the Final Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Fiftieth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Forty-Fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' of the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Empowerment of Persons with Disabilities).

(2) Statement showing the Final Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twelfth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the First Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment).

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग,उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'भारत में चीनी उद्योग- एक समीक्षा' के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

MOTION RE: 11TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move:-

> "That this House do agree with the Eleventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 2nd December, 2025."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है

> ''कि यह सभा दिनांक-02 दिसंबर, 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 11वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*लोक महत्व के मुद्दे

1207 बजे

माननीय अध्यक्ष : श्री उम्मेदा राम बेनीवाल।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती मरूस्थलीय जिलों में स्वास्थ्य अवसंरचना तथा विशेषज्ञ सेवाओं में विद्यमान गंभीर कमियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)की राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचचना पर प्रदर्शन लेखा परीक्षा, 2024 के अनुसार इन जिलों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों,नर्सों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी का उल्लेख किया गया है। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अंतर्गत सुनिश्चित की गई न्यूनतम सेवाएं जैसे जनरल सर्जरी, बाल रोग, अस्थि रोग, आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, ब्लड बैंक एवं बर्न यूनिट जैसी सुविधा कई जिला अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं। राजस्थान की 34 जिला अस्पतालों में से 12 जिला अस्पतालों में रेडियोलॉजी सेवाएं अपर्याप्त हैं एवं पैथोलॉजी की सेवाएं भी आंशिक रूप से उपलब्ध हैं। बाड़मेर जिला अस्पताल में बिस्तरों की कमी है एवं दो साल से सी.टी. स्केन मशीन बंद पड़ी हुई है,जो जिला अस्पताल व्यवस्था नहीं करवा पा रहा है और कैथलैब की भी कमी है। इन कमियों के कारण मरीजों को दूर जोधपुर या अहमदाबाद तक जाना पड़ता है, जहां ज्यादा से ज्यादा मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मेरी सरकार से मांग है एवं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन सीमावर्ती जिला अस्पतालों में सुविधाएं दी जाएं। … (व्यवधान)

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Thank you, Speaker Sir. I would like to raise a matter related to the installation of BSNL mobile tower in my constituency, Davanagere. Bridging the digital divide and ensuring last-mile connectivity are core pillars of the Digital India Mission, but the people of Haleshapura village, Aralikatte village and Chikkakalbalu village in Channagiri taluka, Muddanahalli village in Honnali taluka, Kongana Hossur Olathanda village in Harapanahalli taluka of my Davangere constituency continue to face daily hardship due to absence of mobile network despite the issue being repeatedly brought to the notice of the concerned Shivamogga and Bellary Circle Office and also the Ministry of Communications.

(1210/GM/KN)

As a result, students, farmers and small business are facing repeated disruptions in digital payments, online education, telemedicine and emergency

---

* Please see p. 333 for the List of Members who have associated.

communication. I, therefore, urge the Ministry to address the BSNL network issue at this under-served rural community.

I would also like to use this opportunity to highlight the affordability clause which has been imposed on BSNL for granting the third pay revision to its employees which is due since 2017. This clause is unjust because BSNL functions primarily for national service, not commercial profit. Therefore, the affordability condition should be removed and BSNL employees must be granted the third pay revision before 31st March, 2026.

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे स्नेह और गर्व से आयुष्मान कार्ड कहते हैं,उस ऐतिहासिक पहल को नमन करना चाहता हूँ। यह केवल एक कागज का कार्ड नहीं, बल्कि यह गरीब के लिए चिंता से मुक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा का विश्वास है। यह योजना, जिसने लाखों परिवारों को कर्ज, गरीबी और असहायता से बचाया है। जो लोग पहले अस्पताल जाने से डरते थे, आज वे कह रहे हैं कि इलाज भी होगा और सरकार खर्च भी उठाएगी। लेकिन इस महान योजना के साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

कई निजी अस्पताल उपचार में जान-बूझकर देरी करते हैं, ताकि मरीज मजबूरी में पैसा देकर इलाज करवाए या दूसरे विकल्प छोड़े। कुछ अस्पताल बिना आवश्यकता के महंगे पैकेज दिखाकर पूरा राशि, 5 लाख रुपये तक, एक ही मरीज पर खर्च कर देते हैं। कभी-कभी फर्जी प्रक्रियाओं के नाम पर कहीं-कहीं पर मरीज की जानकारी के बिना कार्ड स्वाइप, नकली भर्ती और बिलिंग की शिकायतें आ रही हैं। इन प्रथाओं से योजना की प्रतिष्ठा घटती नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट दिखाता है कि व्यवस्था मजबूत है तथा निगरानी और सुधार आवश्यक है। इसलिए मेरी मांग है कि अस्पतालों के लिए मॉनीटरिंग और रैंकिंग सिस्टम लागू हो। फर्जी बिलिंग पर दंड और लाइसेंस निलंबन की व्यवस्था कड़ाई से लागू हो। मरीजों के लिए एक रियल टाइम शिकायत... (व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र और मेवाड़ की एक महत्वपूर्ण समस्या सदन में उठाना चाहता हूं, जो रेलवे से संबंधित है। पिछले 10-11 वर्षों में रेलवे में इलैक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग और नई रेलवे लाइन की बहुत बड़ी सौगात मोदी सरकार में उस क्षेत्र को मिली है। लेकिन मेवाड़ क्षेत्र के लोग मुम्बई और चेन्नई में बड़ी संख्या में जाते हैं,चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे अध्ययन के लिए हमारे यहां के लोग वहां जाते हैं। जब त्यौहार होता है या कोई काम होता है, तो वहां के लोगों को आने के लिए बड़ी परेशानी होती है। अभी मात्र एक ट्रेन चित्तौड़ से मुम्बई के लिए चलती है और वह भी अल्टरनेट डेज में चलती है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि चित्तौड़ से मुम्बई और चेन्नई के लिए शीघ्र कोई ट्रेन चले, ताकि वहां के लोगों को आने-जाने में सुविधा मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान, दिल्ली में लगभग पिछले 5 सालों से मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया है, की तरफ दिलाना चाहता हूं।

1213 बजे (श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

वर्ष 2021 में मास्टर प्लान आना था। आज वर्ष 2025 हो गया है। दिल्ली में लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू नहीं हो रही है। दिल्ली में डीडीए पॉलिसी लागू नहीं हो रही है और इसी के कारण दिल्ली में अनप्लान्ड तरीके से विस्तार हो रहा है। दिल्ली में जितनी भी खेती-बाड़ी की जमीन है, आज उस जमीन के ऊपर अनअथोराइज्ड कॉलोनी बसाई जा रही है।

मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली,जो लगातार खेती-बाड़ी की जमीनों पर बिल्डिंग बाय-लॉज का वायलेशन करके, मास्टर प्लान का वायलेशन करके बसाई जा रही है, दिल्ली इस बोझ को सहन नहीं कर सकती। आज दिल्ली के सामने बिजली, पानी और सड़कों का संकट खड़ा हो गया है।

यदि आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है, तो उसका एक ही कारण है कि दिल्ली अनप्लान्ड-वे से बसाई जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान नोटिफाई किया जाए, जिससे दिल्ली को प्लान्ड-वे में बसाया जा सके और अनअथोराइज्ड कॉलोनीज के लिए बिल्डिंग बाय-लॉज जल्दी बनाए जा सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1215/ANK/GTJ)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत गंभीर, मानवीय और संवेदनशील विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह विषय उन 61 भारतीय नागरिकों से संबंधित है, जो विभिन्न राज्यों, विशेषकर राजस्थान से स्टडी वीजा और वर्क वीजा पर रूस गए थे, परंतु एजेंटों द्वारा धोखे से उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिए जाने की गंभीर जानकारी प्राप्त हुई है। हमें इन 61 लोगों की मिसिंग विदेश मंत्रालय ने उपलब्ध कराई है। वहां पर वे वर्क वीजा और स्टडी वीजा पर गए थे, लेकिन वहां रूस की जो आर्मी है, उसने उनको फ्रंट लाइन पर उनको लड़ने के लिए भेज दिया गया। उन 61 नागरिकों में मेरे राजस्थान से अजय कुमार, संदीप सूंडा, मनोज सिंह शेखावत, महावीर प्रसाद तथा करमचंद तथा शेष अन्य राज्यों के युवक हैं। पिछले कई महीनों से उनको रूस-यूक्रेन युद्ध में जबरन सैन्य गतिविधियों में लगाया गया है। पिछले तीन-चार महीनों से उनका अपने परिवारों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। उनके परिजनों की स्थिति अत्यंत नाजुक है। कई माता-पिता अस्पताल में हैं। उनके अंदर मानसिक तनाव और भय की स्थिति चरम पर है।

सभापति महोदया, हमने इस बारे में माननीय मंत्री जी से कई बार आग्रह किया है। इन परिवारों ने तीन नवंबर और एक दिसंबर को दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर धरना देकर अपनी पीड़ा और चिंता सरकार तक पहुंचाई है। इस विषय की सूचना मेरे द्वारा भी विदेश मंत्री जी को दो बार दी

जा चुकी है। वर्तमान में आवश्यक है कि इन भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और रूस सरकार से तत्काल वार्ता कर इन्हें युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालकर स्वदेश वापसी की ठोस पहल की जाए। एजेंटों द्वारा युवाओं को नौकरी और सामान्य कार्य का झांसा देकर फ्रंट लाइन पर भेजा जाना अत्यंत गंभीर आपराधिक कृत्य है, जिस पर त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है।

अतः मेरा आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी से निवेदन है कि इस मुद्दे को उच्चतम राजनयिक स्तर पर तत्काल उठाया जाए, विशेष तंत्र सक्रिय किया जाए और इन 61 भारतीय नागरिकों की शीघ्र सुरक्षित एवं सम्मानजनक वापसी हेतु आपात प्रयास किए जाएं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री मुकेश राजपूत जी।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक वंदे भारत ट्रेन का संचालन भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से भगवान राम की नगरी अयोध्या तक वाया कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात होते हुए कराया जाए, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को मथुरा से अयोध्या तक यात्रा करने में आसानी हो सके तथा कासगंज, फर्रुखाबाद जैसे शहरों को भी एक वंदे भरत ट्रेन मिल सके।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कई तीर्थ स्थल स्थित हैं, जहां पर देश-विदेश से आने वाले यात्रियों का आना-जाना लगा रहता है। फर्रुखाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा स्थित है, जहाँ भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण हुआ था। बाबा नीम करौरी धाम की तपोस्थली नीम करौरी धाम भी यहीं स्थित है। अन्तर्राष्ट्रीय जैन तीर्थ कंपिल भी यहीं स्थित है, जहाँ तेरहवें तीर्थकर भगवान विमलनाथ थे। उनके चारों कल्याणक यहीं कंपिल में हुए थे। महाभारतकालीन राजा द्रुपद की राजधानी कंपिल, जहां द्रौपदी जी का स्वयंवर हुआ था, यहीं है। फर्रुखाबाद में गंगा तट पर माघ के महीने में कल्पवासियों का मेला राम नगरिया भी लगता है, जहाँ देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। इसे अपरा काशी भी कहते हैं।

महोदया, यदि वंदे भारत ट्रेन इस रूट से फर्रूखाबाद, कासगंज, कन्नौज होते हुए चलती है, तो मैं कह सकता हूं कि इस सीधी वंदे भारत ट्रेन के मिलने से अवध बिहारी से लेकर बांके बिहारी तक देश-विदेश के कई लोगों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही पिछड़े हुए कासगंज, फर्रूखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात जैसे लोक सभा क्षेत्रों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री बस्तीपति नागराजू जी।

[*]SHRI BASTIPATI NAGARAJU (KURNOOL): Respected Chairperson Madam, I would like to bring to the notice of this august House the problems of BSNL employees. BSNL is an important PSU which is serving as the backbone of our telecommunication system. This organisation is serving far-flung areas and remote villages.

---

[*] Original in Telugu

BSNL employees served our nation with utmost dedication in the times of natural disasters and pandemics like Covid-19. During Covid, around 388 employees sacrificed their lives but they are not getting recognition for their services. These employees are now facing acute financial hardships and professional problems. Their legitimate demand for implementing 3rd PRC is still pending. Revision of pension of retired BSNL employees is also still unresolved. There is a huge gap in pay, allowances and promotional opportunities between BSNL employees and employees on deputation. They are demoralized as they are not being provided with medical and other facilities. BSNL employees are playing an important role in Aatmanirbhar Bharat by contributing in the development of 4G and 5G technology but their issues are still unresolved.

In this context, I request the Union Government to interfere and resolve the following issues. They should implement third PRC for BSNL employees. The Government may consider giving some exemptions for determining eligibility for non-executive posts. Pension should not be determined on the basis of profit or loss of the organisation. Instead, it should be implemented in line with the pension that is disbursed to Government employees. Though DoT made appointments in BSNL, they may be given one-time appointment under CCS 1972 Rules.

Above all, resolving these issues should not be viewed as a policy decision but it should be seen as giving respect to national service.

Jai Hind, Jai Bharat.

(1220/RAJ/HDK)

डॉ. राजीव भारद्वाज (कांगड़ा) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से आयुष मंत्री आदरणीय जाधव जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र में आयुर्वेद महाविद्यालय, पपरोला की ओर दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदया, यह महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का एक मात्र संस्थान है। पूरा परिसर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह हर्बल वनस्पतियों से समृद्ध है। इस महाविद्यालय को भारत सरकार की आयुर्वेद शिक्षा नियामक संस्था, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत के आयुष विभाग द्वारा इस महाविद्यालय को विशेष संस्थान का दर्जा दिया गया है और अलग से पांच करोड़ रुपए की निधि प्रदान की गई है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इसकी ओर दिलाना चाहता हूं कि यह महाविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बने। जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो इसके लिए एक

योजना बना कर केन्द्र में भेजी गई थी। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र के लिए आयुष विभाग की योजना है कि वहां राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान बने। यह सभी पैरामीटर्स पूरा करता है।

मैं आपके माध्यम से इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह विद्यालय एड्स जागरूकता, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने में पूर्ण सहभागिता प्रदान करता है।

सभापति महोदया, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बने यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। इससे आयुर्वेद के क्षेत्र में विशेष वित्त पोषण होगा, अधिक कार्यकुशलता, गुणवत्ता एवं अनुसंधान में बढ़ोतरी होगी और यह लोकहित में एक बहुत बड़ा निर्णय होगा।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से आयुष मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं बिहार की बेटी होने के नाते हम आपको और इस पूरे सदन को बिहार की अकल्पनीय और ऐतिहासिक जीत की बधाई देती हूं। बिहार ने पूरे देश में यह स्थापित कर दिया है कि झूठ और नफरत की राजनीति पर विकास की राजनीति हमेशा भारी पड़ती है।

सभापति महोदय, आज का विषय बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत पूरे देश में 10 हजार अटल टिंकरिंग लैब्स बना कर शिक्षा के केन्द्र में एक नई क्रांति लाने का आह्वान किया है।

(1225/NK/PS)

इसमें जो सबसे सराहनीय पहल है कि 5692 अटल टिंकरिंग लैब ग्रामीण क्षेत्र में है, एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते हम हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे कि 2025-26 के बजट में उन्होंने पचास हजार ऐसे ही अटल टिंकरिंग लैब्स खोलने की घोषणा की है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी कि बिहार ज्ञान की धरती है, वह अभी भी इस विषय में कहीं न कहीं पिछड़ रहा है। आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 97 लैब्स हैं जो वहां की विशाल छात्र आबादी के लिए अन्याय है। वहां के जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनकी आंखों में सपने तो हैं लेकिन संसाधन नहीं है।

समस्तीपुर लोक सभा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है, वहां की अधिकतर आबादी ग्रामीण है। ऐसे में समस्तीपुर लोक सभा के हरेक प्रखंड में एक अटल टिंकरिग लैब का निर्माण हो जिससे वहां के गरीब बच्चे, वंचित बच्चे और ग्रामीण बच्चे हैं, उनको भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का समान अधिकार मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय बिहार।

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे (लातूर) : माननीय सभापति महोदया, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र विशेष रूप से लातूर, नांदेड़, जालना, धाराशिव, छत्रपति शम्भाजी नगर, बीड, परभणी और हिंगोली जिलों में हाल ही में हुई अतिवृष्टि की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इस भीषण वर्षा के कारण किसानों की भूमि पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उनकी खड़ी फसलों को भारी

नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर उनकी उपजाऊ जमीन कटकर बह गई है, इसके परिणामस्वरूप मराठवाड़ा के किसान इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि अब तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया है, वह अत्यंत अपर्याप्त है। कई किसानों की बहुत अधिक भूमि कट कर बह गई है। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार द्वारा केवल दो या तीन हेक्टेयर तक की मुआवजा देने की योजना बनायी जा रही है जो न्यायोचित नहीं है।

अत: मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की कटकर बह गई भूमि को तत्काल महाराष्ट्र सरकार की एजेंसियों के माध्यम से दुरुस्त कराया जाए तथा उन्हें उचित और पर्याप्त मुआवजा तुरंत प्रदान किया जाए। धन्यवाद।

श्री हरीभाई पटेल (महेसाणा) : सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र महेसाणा लोक सभा सहित उत्तर गुजरात और संयुक्त गुजरात में एक भी वीजा सुविधा केन्द्र नहीं है। जिसके कारण वहां के नागरिकों को वीजा आवेदन और अन्य सुविधाओं के लिए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जाना पड़ता है, जिससे अधिक समय और धन की बर्बादी होती है।

अत: मैं माननीय विदेश मंत्री जी, भारत सरकार से सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र महेसाणा, उत्तर गुजरात और गुजरात के संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वीजा सुविधा सेवा वीएफएस केन्द्र खोला जाए ताकि महेसाणा लोक सभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे उत्तर गुजरात और गुजरात राज्य के नागरिकों को सुगमता व सुविधा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

[*]SHRI PHANI BHUSAN CHOUDHURY (BARPETA): Hon'ble Madam Chairperson, I rise to speak on the demand of six communities of Assam who have been demanding ST status since the 1970's. I would like to thank the Modi Government for taking positive steps to grant ST status to these communities. In 2004-2005, the Assam Legislative Assembly took a unanimous decision to accord ST status to these six communities of Assam. In 2007, a representation was made to the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, to accord ST status to these communities. I was one of the signatories to that representation, but the Congress Government of the day did not take any step in this regard. However, the Central Government under Modi Ji has taken positive steps to grant ST status to these six communities.

In the year 2016, under the chairmanship of Shri M.K. Singla, the then Special Secretary (Internal Security), Ministry of Home Affairs, a High-Powered Committee was constituted. As per the recommendations of the High-Powered Committee, a Group of Ministers of the Assam Government was constituted. The High-Powered Committee advised our State Government to form a Group of Ministers (GoM) and to make necessary recommendations. As advised by the High-Powered Committee, the Government of Assam formed a GoM in 2019, and on 30th November 2025, the GoM submitted its report in the Assam Legislative Assembly. The Government of Assam will soon forward the report of the GoM, recommending the granting of ST status to the six communities, to the Central Government.

I urge upon the Modi Government to accord ST status to these six Assamese communities as recommended by the GoM of the Assam Government. I request the Central Government to bring a piece of legislation in the coming Budget Session to grant ST status to these six communities. I hope the Government will take all necessary steps in this regard.

---

[*] Original in Assamese

(1230/IND/SNL)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से बिहार के किसानों और धान खरीद समितियों की समस्याओं के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सरकार के समक्ष लाना चाहता हूं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय के नियमों के अनुरूप बिहार सरकार वहां की खरीद समितियों के माध्यम से धान की खरीद कर रही है। उसना और अरवा चावल के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में खरीद समितियों को काफी नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2011-12 में जो नियम बनाया है, उसका लगभग 14 वर्षों से पालन करते हुए समितियों को 2.5 प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया जाता है जो कि एमएसपी पर निर्धारित है। 14 वर्षों में सरकार एमएसपी प्रति वर्ष निर्धारित करती है किंतु कमीशन धान खरीद समितियों को वर्ष 2011-12 की एमएसपी पर ही 2.5 प्रतिशत भुगतान हो रहा है। इस कारण समितियों को काफी नुकसान हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बिहार के धान की खरीद करने वाली निबंधित समितियों को प्रति वर्ष के निर्धारित एमएसपी दर का 2.5 प्रतिशत कमीशन का भुगतान करने का आदेश दें और साथ ही आकस्मिक व्यय मद परिवहन, मजदूरी, भंडारण एवं रख-रखाव के मद में की जा रही भुगतान राशि पर कम से कम दस प्रतिशत की वृद्धि करें और धान की कुटाई मद में अरवा चावल पर दस रुपये, विसना चावल पर 29.40 पैसे की दर से, महंगाई के अनुसार वृद्धि करने की कृपा करें।

(1235/SMN/KDS)

यह भी वर्ष 2011-12 की दर से ही निर्धारित रेट है। साथ ही समितियों को धान की सुखमन मद के लिए 2.5 प्रति कुंतल धनराशि का भुगतान की व्यवस्था करने की कृपा करें। यह बिहार के किसानों और धान खरीद समितियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। धन्यवाद।

SHRI T.M. SELVAGANAPATHI(SALEM): Madam, various parts of Tamil Nadu especially the delta region of our State have experienced heavy rains which has devastated the normal life of the farmers and because of these heavy rains, the moisture content of the paddy, grown by our farmers, have abnormally increased, rendering them not to be procured. It has come to a standstill. Therefore, Madam Chairperson, our dynamic leader, Dravidian leader of our State, the Chief Minister of Tamil Nadu had written to the Prime Minister to increase the permissible moisture content for paddy procurement from 17 per cent to 22 per cent highlighting the plight of the poor farmers. In fact, three Central teams have visited various parts of Tamil Nadu and collected samples which the people have established that the moisture conent is more because of incessant rains. They have collected samples and left but

unfortunately this vengeful and anti-farmers Government have rejected to increase the permissible moisture content for paddy procurement because of which the livelilhood of our farmers has been thrown out of gear.

In fact I recall that on several occasions in the past when the Union Government accepted the request to increase the moisture content but the deaf Union Government rejected the proposal on various issues including the Metro Rail Project which was due to Madurai and Coimbatore. It was blantantly rejected by this Government betraying the people of Tamil Nadu. Not only this Madam, the funds for education department have been stopped. The NREGA funds have been reduced. The Railway projects have been forestalled.

Now, the farmers have been betrayed. They are not betraying the DMK but they are betraying the people of Tamil Nadu. I say that the Kharif procurement is also still underway and the north east monsoon in our State is intense again.

I, on behalf of the DMK, urge upon the Union Government to order for relaxation of moisture content. Otherwise, the farmers' livelihood will be rendered absolutely bad.

Thank you, Madam.

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : धन्यवाद सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान उन लाखों शिक्षकों की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो अभी पूरे देश में, चाहे सत्तापक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, बड़ी संख्या में शिक्षक सांसदों, विधायकों के पास जा रहे हैं। उनके सामने एक बड़ी विपत्ति उत्पन्न हुई है।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, क्या आपने विषय चेंज किया है?

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : जी मैडम।

माननीय सभापति : आपको यहां बताना चाहिए था।

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : मैडम हमने वहां दिया हुआ है।

माननीय सभापति : ठीक है।

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : मैडम, सारे शिक्षक जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश लागू किया कि सारे प्राथमिक शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य कर दिया जाए।

(1240/CS/RP)

जबकि 20-25-30 साल पहले जब इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उस समय विज्ञापन में या जो उनके सामने जो अहर्ता थी, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर अभी यह नियम लागू होता है तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, जिनके सामने बहुत समस्या उत्पन्न होगी। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि लाखों शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए इस तरफ ध्यान दिया जाए। वर्ष 2009 में जो

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, उसके बाद जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उनके लिए तो टीईटी अनिवार्य किया जाए, लेकिन उसके पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उनको टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी जाए। इससे शिक्षकों के सामने सामाजिक रूप से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, वह समस्या उत्पन्न न हो।

महोदया, सारे शिक्षक सांसदों के पास जा रहे हैं और अभी दिल्ली में भी उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया था। शिक्षक जिले-जिले में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यह चिंता स्वाभाविक है। यह जो कानून लागू हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश निश्चित रूप से अव्यावहारिक है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि सरकार उनकी माँगों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एक नया कानून बनाए और वर्ष 2009 के पहले जिन शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उनको इससे छूट दी जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर) : महोदया, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अविलंबनीय प्रश्न को शून्य काल में उठाने का मौका दिया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जनपदों में हार्टीकल्चर आधारित पर्यटन हार्टी टूरिज्म को प्रोत्साहित करने की दिशा में चल रहे प्रयासों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदया, उत्तराखंड जनपद के नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्र में 8 एकड़ भूमि पर 5 करोड़ रुपये की लागत से एक अभिनव हार्टी टूरिज्म परियोजना का विकास कार्य प्रगति पर है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को फल उत्पादन विशेषकर बागवानी से जोड़ते हुए अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस परियोजना में किसानों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, आधुनिक कैफे हट्स एवं स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जा रही है। यह पहल केवल पर्यटन को ही नई दिशा नहीं देगी, बल्कि यह वहाँ के बेरोजगारों को भी रोजगार देने की एक बहुत अच्छी पहल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि इस पहल को और आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए विशेष धन की व्यवस्था की जाए और विशेष टेक्नोलॉजी, जो इस समय सभी जगहों पर दी जा रही है, वह उत्तराखंड समेत सभी पर्वतीय राज्यों को दी जाए ताकि हार्टी टूरिज्म एक अच्छी तरह से आजीविका चलाने का मॉडल भी बन सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मलविंदर सिंह कंग (आनंदपुर साहिब) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पिछले दिनों पंजाब में बड़े स्तर पर फ्लड आया। इसके कारण हमारे तकरीबन 6 जिलों के पच्चीस सौ गाँव पूरी तरह से तबाह हुए और 5 लाख एकड़ से ज्यादा खड़ी फसल, जो बिल्कुल तैयार फसल थी, वह पूरी तरह से फ्लड के कारण बर्बाद हो गई। हमारे जिन जिलों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आयी है, वे सारे बॉर्डर के जिले हैं। ये वही जिले हैं, जहां के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की लड़ाई लड़ी थी। आज तकरीबन दो महीने हो गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी वहाँ विजिट किया। वे वहाँ आये, भारत सरकार

के तमाम मंत्री साहिबान आये, लेकिन एक रुपया भी उन 6 जिलों के लोगों को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनको रिहैबिलिएट करने के लिए भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। इवेन जो हरियाणा और राजस्थान की सरकारें पंजाब के हिस्से का पानी माँगती हैं और उसे अपना पानी होने का क्लेम करती हैं, उन सरकारों ने भी इस मुश्किल घड़ी में, इस विपत्ति के समय में पंजाब का साथ नहीं दिया।

(1245/MNS/VPN)

पंजाब के लोगों ने अपनी सभी मुश्किलों को अपने आप झेला है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब बिहार में चुनाव होते हैं, तब आप बोलियां लगाते हैं कि 50,000 करोड़ रुपये दूं या 70,000 करोड़ रुपये दूं, 80,000 करोड़ रुपये दूं या 90,000 करोड़ रुपये दूं और दूसरी तरफ पंजाब राज्य है, जिसने देश की आजादी के लिए, इस देश के अनाज भंडार भरने में सबसे बड़ा योगदान दिया, उस प्रदेश को मुश्किल समय में अपने हालात पर छोड़ देना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि पंजाब में बाढ़ से हॉस्पिटल, सड़कें सब तबाह हो गईं। वहां के लोगों का बाढ़ से घर तबाह हो गया, जिनकी पांच लाख एकड़ फसल खत्म हो गई, उनके लिए 50,000 करोड़ रुपये का एक स्पेशल पैकेज भारत सरकार रिलीज करे, ताकि पंजाब के बॉर्डर के वे लोग जो देश की लड़ाई लड़ते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकें।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) : मैडम, मेरे से पहले मेरे साथी ने जो इश्यू रेज किया है, मुझे भी इसी इश्यू को आपके संज्ञान में लेकर आना था कि पंजाब में अगस्त और सितंबर के महीने में बेतहाशा पानी के कारण जिस तरह की तबाही आई, वहां तकरीबन 2,300 गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। वहां पांच लाख एकड़ जमीन पूरी तरह से तबाह हो गई। व्यास, रावी और सतलुज नदियों का पानी ऐसी तबाही लेकर आया। यह भी एक चर्चा का विषय है कि डैम कंट्रोल ठीक से नहीं हुआ, तो उसमें कुदरती आपदा कितनी थी और मानव निर्मित आपदा कितनी थी, लेकिन मैं आज उस विषय पर न जाते हुए, सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि इस तबाही के साथ, जो करीबन तीन लाख एकड़ लोगों की फसल खड़ी-खड़ी तबाह हो गई, पांच लाख एकड़ जमीन तबाह हो गई और तबाह इस तरीके से हुई कि अब जब पानी चला गया है, उसके बाद भी वहां इतना रेता छोड़ गया कि शायद अगली दो-तीन फसलें भी वहां के किसान बीज नहीं सकेंगे। इंडो-पाक बॉर्डर पर जिन लोगों की तारों के उस तरफ जमीनें थी, जो पुरखों के समय से जिन जमीनों पर कल्टीवेशन कर रहे थे, वहां रावी, व्यास नदियां पूरी जमीन ले गईं। अब उनके पास जमीन ही नहीं रह गई। उनका सब कुछ तबाह हो गया है, न घर रहा, न जानवर रहे।

मैडम, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगी कि केंद्र सरकार कह रही है कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का 12,500 करोड़ रुपये स्टेट के पास है, लेकिन हमारी स्टेट की सरकार और स्टेट के वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको इस साल सिर्फ 1,500 करोड़ रुपये मिले हैं।

प्रधान मंत्री जी मुआवजे का जो 1,600 करोड़ रुपये का ऐलान करके गए हैं, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस छोटी रकम के बारे में भी पंजाब के वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि वह रकम नहीं आयी है। केंद्र सरकार कह रही है कि 12,500 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, राज्य सरकार कह रही है कि पैसे नहीं आए। जिन लोगों के पास घर नहीं है, छत नहीं है, जमीन तक नहीं है, पशु तक नहीं है, स्कूल तबाह हो गए, अस्पताल तबाह हो गए, वे लोग कहां जाए? इन दोनों के बीच फैसला कौन करेगा? लोगों की बांह कौन पकड़ेगा? यहां पर पैसा मांगना बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट के राही, केंद्र सरकार पैसे क्यों नहीं भेजती है, ताकि लोगों का कुछ संवर जाए। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप सरकार तक मेरा संदेश पहुंचाएं।

श्री अनुराग शर्मा (झाँसी) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी और हम सब का हिन्दुस्तान को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है, बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के यह पूरा होना मुश्किल और कठिन है। सैकड़ों महिलाएं, करोड़ों महिलाएं एसएचजीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 90 लाख महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई हैं।

सभापति महोदय, मैं बुंदेलखण्ड से आता हूं, हमारे वहां तकरीबन 12 लाख महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हुई हैं चाहे झांसी हो, ललितपुर हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, हमीरपुर हो, महोबा हो।

(1250/MLC/UB)

इन महिलाओं में बहुत सारी विशेषताएं हैं, मेरी दीदीयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। हमारे यहाँ मिलेट्स की खेती, मिलेट्स से कुकीज़ बनाना, फूड प्रोसेसिंग में बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। मसालों में भी आगे हैं और अचार भी डाल लेती हैं। मेरे यहाँ साफ्ट ट्वाइज और चंदेरी साड़ियों का भी धंधा होता है।

इसमें एक विशेष समस्या यह आ रही है कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक्स कैश क्रेडिट्स लिमिट नहीं दे रहे हैं। अभी तक ललितपुर जिले में 6,200 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने अप्लाई किया है, जिसमें से केवल 3,900 को कैश क्रेडिट्स मिला है। झांसी में भी तकरीबन 6,000 ने अप्लाई किया, किंतु झांसी में भी तकरीबन यही आंकड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन महिलाओं को जो एनआरएलएम और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़ी हुई हैं, इनके लिंकेजेज जल्दी से पूरे कराए जाएं, नहीं तो ये कर्जा लेती हैं और उन कर्जों में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नष्ट हो जाएंगे। इन सबको बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया है।

दूसरा, इनके स्किल डेवलपमेंट्स की बात है। ये दीदीयाँ न जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर पाती हैं,न इन चीजों को आगे बढ़ा पाती हैं। आपसे यह आग्रह है कि अगर इनके लिए स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अच्छी तरीके से बुंदेलखंड में चला दिए जाएं जिसमें महिलाओं को इंटरनेट पर बेचने के लिए, वैसे यह Gem पोर्टल और ओडीओपी के माध्यम से बेचती हैं, मदद हो जाएगी। जब तक बुंदेलखंड की महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक बुंदेलखंड सम्पन्न नहीं होगा। इसमें मेरी पांच-छह डिमांड्स हैं, आपसे यही आग्रह है कि सरकार इनको गंभीरता से ले और इसे टाइम बाउंड

कर दिया जाए। बैंक लोन के लिए अप्लाई करें, तो इसे 15 दिन या एक महीने के अंदर टाइम बाउंड रूप से कर लिया जाए।

बुंदेलखंड में छह मेजर चीजें हैं,जिनमें मिलेट्स, स्पाइसेस,डेयरी,हैंडी क्राफ्ट्स, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल हैं। हमारे यहाँ इनको सिखाने के लिए काम हो। इनकी ब्रांडिंग, डिजिटल ट्रेनिंग और ई-कामर्स के लिए ऑन बोर्डिंग हो जाए और टेक्निकली मदद कर दी जाए।

अगर इनको सिक्योरिटी दे दी जाए, इंश्योरेंस हो जाए और इन महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट कार्ड में रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए,तो इन्हें ऑटोमैटिकली इंश्योरेंस का भी फायदा मिलेगा। धन्यवाद सभापति जी।

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Madam, I would like to raise the most neglected issue which is about inclusion of Boya-Valmiki community in the ST list.

Our inscriptions talk about these mighty hunters and their sole occupation of hunting which has now turned into making forest products and agriculture. They are financially and educationally backward. These people were included in the Criminal Tribes Act of 1871 leading to stigma. In 1961, the Deputy Registrar General of India also mentioned that Boya community should be included in the ST list. During 2017, under the leadership of our hon. Chief Minister, Nara Chandrababu Naidu Garu, the Legislative Assembly, the Legislative Council and also the Commission passed a resolution unanimously to include them in the ST list.

The previous YCP Government promised their inclusion and used it for political gains. It was a political gimmick they played. When in the neighbouring States such as Karnataka they enjoy ST status and in other States, they enjoy SC status, why in the State of Andhra Pradesh can they not enjoy the ST status? It is a very backward community and they are suffering in day-to-day life.

I would request the Government to introduce a Bill and do them justice. This is not political. It is a matter of justice and equality promised by our Constitution. I request the Minister and the Government to do justice to this community.

(1255/GG/NKL)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्यगण, अब मैं एक और दो दिसंबर वाली शून्य काल सूची में से नाम पुकार रही हूँ।

सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे अपने-अपने विषय को कृपया एक-एक मिनट में रखने का कार्य करें।

माननीय सदस्य, श्री गौरव गोगोई जी।

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Hon. Madam Chairperson, I stand in the Parliament of India to pay tribute to one of our greatest sons of our Mother Assam, *Asomi aai*, the late Zubeen Garg.

Zubeen passed away in Singapore on 19th September when he was due to perform at a function organized by the Government of India, Ministry of External Affairs and the High Commission of India to Singapore.

Zubeen was an artist, humanitarian, environmentalist, wildlife lover and a voracious reader of books. During the 80s and 90s, he gave the people of Assam hope and, in recent years, he gave us moral courage and steel in our spine. He taught us how to overcome personal trauma and not be divided by religion and caste. Truly, Assam meant tea, oil, rhinoceros and Zubeen Garg. He showed us a vision of *Bor Asom* that is, free from hate, fear, suspicion and mistrust. Zubeen will always be our Kanchenjunga. Today, the people of Assam miss him terribly. We want justice for Zubeen Garg. The State government of Assam says that it was a murder. We want to know how during a programme organized by the Government of India a murder was committed on foreign soil. We want justice for Zubeen Garg, and we request the Government of India to give the highest civilian honour to the late Zubeen Garg. Thank you.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Madam Chairperson. I would like to raise a very important issue of my constituency, regarding the Rayagada Railway Rail Division. It was announced way back, around eight years ago, and only last year the inauguration was done by the hon. Prime Minister to set up the Rayagada Railway Division. But, unfortunately, the non-notification of the Railway Division is causing serious problems. All decisions are taken remotely from Visakhapatnam, and when the divisional review meeting occurred, it happened in the Waltair Division. There has been no divisional review meeting for the Rayagada Railway Division. There is no divisional control office, and there is no local operating, engineering, mechanical, electrical, or S&T setup. There are no coaching depots, pit lines, wash sheds, stabling lines, or wagon examination facilities.

This prevents new trains from starting from this particular location. For any new train, it is always stated that local pits, pit lines, washing sheds, etc., are needed.

Through you, Madam Chairperson, I would like to request the hon. Railway Minister to notify the Rayagada Railway Division immediately, as it is causing serious operational problems. We want to establish the DRM office with full departments, including operating, engineering, S&T, mechanical, electrical, etc. We request the establishment of the control unit, wash sheds, stabling lines, C&W depot, and S&T and electrical maintenance facilities. There is a demand from the people for a new daytime train from Koraput to Bhubaneswar via Rayagada. Additionally, we want to extend the Bhubaneswar-Visakhapatnam Vande Bharat train to Koraput, so that the people from Koraput and Rayagada can avail themselves of the Vande Bharat facility. Thank you.

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Madam Chairperson, I rise to expose the glaring neglect and inaction by the Union Government regarding the Vellore Airport at Abdullapuram, Vellore. Even though on-ground works have already largely been completed, yet no commercial flights, no license, and no operational clearance have been granted.

Madam, the Vellore Airport was taken up under the Central UDAN Scheme with an estimate of Rs. 65 crore. Renovation has been underway since 2017, and the basic infrastructure works like terminal building, runway, taxiway, have been completely finished. In September 2023, the airport officials announced that initial signal test and runway lights testing were successfully completed. Moreover, the Prime Minister, during the recent campaign, landed his plane at the Vellore Airport for the campaign purposes.

Madam, Vellore is a major medical, educational, and industrial hub. The lack of a functional airport continues to deprive the region of emergency connectivity. This cannot be dismissed as a delay. It is a deliberate discrimination against a key region of Tamil Nadu.

(1300/VR/YSH)

Therefore, I demand that the hon. Minister of Civil Aviation should form a committee, without further delay, including the Members of Parliament and the MLAs to visit the airport and check what is happening there. He should immediately issue an aerodrome license for Vellore airport based on its completed infrastructure and successful tests, and announce the commencement of commercial flight operations without any procedural delay. They must provide a clear timetable with a

definite date for opening, and assure that this Government will no longer treat vital infrastructure projects for Tamil Nadu as a second priority.

Madam, Vellore is deprived of the Central funds. For long time, I have been asking for completing the second bridge at Katpadi railway junction as early as possible. *....(Interruptions)* But still it has not been completed. *....(Interruptions)* I wanted to bring it to the notice of this august House. Thank you, Madam.

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : सभापति महोदया, मेरे झुंझुनू लोक सभा क्षेत्र में फतेहपुर नाम का एक कस्बा है, जो सीकर के बाद सबसे बड़ा शहर है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए। फतेहपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र है। वहां पर एक एग्रीकल्चर कॉलेज है। वहां पर भेड़ ऊन फार्म है। वहां पर जितने भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी काम करते हैं, वे तो हैं ही, उनके अलावा वहां पर उस क्षेत्र के किसानों के बच्चे हैं, अल्पसंख्यकों के बच्चे हैं, एससी/एसटी के बच्चे हैं। ऐसा होना चाहिए कि वे भी केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा ले सकें और वर्तमान में जो केन्द्रीय विद्यालय हैं, उनकी दूरी वहां से बहुत अधिक है। सिर्फ सीकर में एक केन्द्रीय विद्यालय है।

सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से और शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि फतेहपुर, जो कि एक विधान सभा मुख्यालय है, वह सीकर जिले का शहर है और झुंझुनू लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए, जिससे वहां के सभी जरूरतमंद छात्र वहां पर शिक्षा ग्रहण कर सकें।

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सभापति महोदया, चंडीगढ़ एक केन्द्र शासित प्रदेश है और वह सीधे तौर पर केन्द्र सरकार के अधीन आता है। चंडीगढ़ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के मसले हैं, जो पिछले 25 वर्षों से लंबित हैं। मैं उन मसलों को आपके समक्ष और इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ जैसे जो ऑनरशिप राइट्स हैं और प्रॉपर्टी की शेयर बाय सेल है, उसके ऊपर अवैध तरीके से रोक लगी है। लोग जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन बस्तियों में रहते हैं, उनके मालिकाना हक का मामला पिछले 25 वर्षों से लंबित है। 22 गांव, जिनकी धरती के ऊपर चंडीगढ़ बसा है, उसमें लाल डोरे को खत्म करने का जो मसला है, वह पिछले 25 वर्षों से लंबित है। लोगों ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में जो नीड बेस्ड चेंजेस किए हैं, उसका मसला भी पिछले दो दशकों से लंबित है। ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज और ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज के कई मसले हैं, जो भी काफी समय से लंबित हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि शायद सरकार ने 12 दिसम्बर को इन मसलों के ऊपर गृह मंत्रालय में कोई बैठक रखी है। मेरा अनुरोध यह है कि ये 25 सालों से जो लंबित मामले हैं, उनका कोई न कोई समाधान करके लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाए।

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मेरे क्षेत्र के किसानों की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इस बार अनियमित एवं अतिवृष्टि के कारण धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अनेक किसानों के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इससे धान की उपज 40 से 60 प्रतिशत तक प्रभावित हुई है। किसानों पर आर्थिक संकट गहराया है। कटाई-मड़ाई की लागत बढ़ गई है और खरीद केन्द्रों पर उचित मूल्य, एमएसपी पर ब्रिकी में भी समस्याएं आ रही हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को तत्काल राहत की आवश्यकता है।

(1305/STS/PBT)

मेरा अनुरोध है कि क्षति का त्वरित सर्वे कर उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। फसल बीमा योजना के तहत क्लेम का भुगतान शीघ्र कराया जाए। धान की सरकारी खरीद में किसी भी प्रकार की कटौती या मनमानी न हो। किसानों को पूर्ण एमएसपी दिया जाए और खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाए। प्रभावित किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण, पुनर्गठन और अन्य राहतें उपलब्ध कराई जाएं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके नुकसान की भरपाई और उचित समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री मलैयारासन डी. जी - उपस्थित नहीं।

श्री डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोण जी - उपस्थित नहीं।

श्री वामसि कृष्णा गद्दाम जी - उपस्थित नहीं।

श्री श्रीमती कमलजीत सहरावत जी - उपस्थित नहीं।

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी जी।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Madam, thank you very much for this opportunity. Madam, I have been repeatedly asking for the last five years for a Kendriya Vidyalaya school in my constituency. This Government had stated that a Kendriya Vidyalaya school will be made available in each and every parliamentary constituency, but sadly, I have been asking for this for last five years: the hon. Railway Minister is also here. Railway Minister Sir, I have one small request. Through the Speaker, I would like you also to be aware about what I am asking for. We have asked for land from the Railway, where they have abundant of land in Chennai, in my North Chennai constituency. When I spoke to the General Manager of Railways, they are willing to hand it over, but the complications are between the Railways Ministry and the Education Ministry, the Kendriya Vidyalaya. To hand over the land is becoming a very challenging issue. Unless these two Ministries co-operate with each other, it is impossible to go ahead with the development of this Kendriya Vidyalaya school. If you look at North Chennai constituency, it is socially and economically a very backward area, where there are plenty of people, labourers, who are living there. Especially, plenty of people from the Railways and the Central Government staff are living in the North Chennai constituency. They all will be benefited if a Kendriya Vidyalaya school is built at the earliest. I hope that Madam, through you, both these Ministries will work together and make the dream of my constituency's people a reality in the near future. Thank you very much.

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी - उपस्थित नहीं।
श्री भरत मतुकुमिल्ली जी - उपस्थित नहीं।
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके जी - उपस्थित नहीं।
श्री योगेन्द्र चांदोलिया जी।

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : धन्यवाद माननीय सभापति जी। शून्य काल के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपनी बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली भारत की राजधानी है और मिनी भारत है। पिछले 26 वर्षों में दिल्ली में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारें थी, उसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल थीं। मैं जो विषय उठाना चाहता हूं, वह यह है कि दिल्ली और दिल्ली के आस-पास की जो माताएं-बहनें जब दिल्ली में इलाज कराने आती हैं और उसमें जो प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है, उसमें अमीर आदमी तो अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में जा कर करा लेता है, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, जिनकी प्रीमैच्योर डिलीवरी के कारण मृत्यु हो जाती है। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जे.पी. नड्डा जी से मांग है कि केन्द्र सरकार के अस्पतालों - कलावती हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग, आरएमएल, सफदरगंज और एम्स के अंदर अलग से ब्लॉक बनाये जाने चाहिए, जिससे गरीब लोगों का इलाज हो और दिल्ली सरकार को भी यहां से एक निर्देश जाना चाहिए कि प्रीमैच्योर डिलीवरी वाले बच्चों की जान बचे, उसके लिए अलग से एक पूरा अस्पताल बने। मैं यह मांग आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने मेरी बात को सुना और मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1310/MM/SNT)

सुश्री सयानी घोष (जादवपुर) : महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार का 'द्वारे सरकार' नाम का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसे दिसंबर, 2020 में लांच किया गया था। इसका लिट्रल ट्रांसलेशन है - सरकार आपके द्वार। मतलब, 'Government at your doorstep'. The programme aims to deliver Government services and welfare schemes directly to the people, including senior citizens, persons with disabilities, transgender persons, prisoners, and poor and marginalized groups through outreach camps organised at the gram panchayat and municipal ward levels. मैडम, इस प्रोग्राम को अगर हम सेंट्रल लेवल पर जैसे पीएम आवास योजना और मनरेगा के लिए अगर हम बूथ लेवल कैम्प के तहत जारी कर सकें, जैसे सुश्री ममता बनर्जी जी ने किया है तो मुझे लगता है कि यह सबके लिए अच्छा होगा। पिछड़े वर्ग के लोग जो अल्पशिक्षित हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के पास नहीं जा सकते हैं, उनकी सुविधा के लिए अगर हम उनके घर तक, उनके द्वार तक सरकार को लेकर जाएं और उनको जो-जो स्कीम की जरूरत है, उसके हिसाब से हम उनको फैसिलिटी दे पाएं तो मुझे लगता है कि यह जनहित में होगा और सभी के लिए अच्छा होगा। आपके माध्यम से मैं चाहती हूं कि सरकार इसका संज्ञान ले।

If doorstep delivery of services, including for ration, such as 'Duare Ration' scheme, can be formulated, it would be good.

Thank you very much.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : श्रीमती कृति देवी देबबर्मन जी - उपस्थित नहीं।

Shrimati Kanimozhi Karunanidhi Ji.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Five workers who are Indian citizens from Thoothukudi and Tenkasi districts, Shri Ponnudurai, Shri Puthiyavan, Shri Petchimuthi, Shri Esakkiraja, and Shri Thalapathy Suresh, were working in an electrical company in Mali for six months. On 6th November, 2025, the workers were kidnapped from their camp by terrorists and taken away. Till now, we have no information about what has happened to them, and the families are really worried. They do not know if those people are alive or what has happened to them.

I urge the Government to take necessary steps to save them and bring them back to India and to their families.

माननीय सभापति : श्री मनीष जायसवाल - उपस्थित नहीं।

श्रीमती भारती पारधी जी।

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से मेरे निर्वाचित क्षेत्र सिवनी जिले की एक अनोखी और अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि उपज सिवनी के जम्बो सीताफल (कस्टर्ड एप्पल) – के लिए भौगोलिक संकेतक टैग (GI टैग) की माँग रखना चाहती हूँ।

सिवनी के छपारा तहसील में 656 हेक्टेयर भूमि में 6,500 मीट्रिक टन से अधिक सीताफल का उत्पादन होता है। यहाँ का सीताफल अपने विशाल आकार (600 ग्राम से लेकर 1 किलो तक), बेहद मीठे स्वाद, और उच्च गुणवत्ता वाले पल्प के कारण देश-विदेश में विशिष्ट पहचान रखता है। जबकि अन्य जिलों में इसका औसत वजन 100 से 150 ग्राम होता है, वहीं सिवनी का सबसे छोटा सीताफल भी 200 ग्राम का होता है।

यह फल पूरी तरह से जैविक होता है – बिना किसी रासायनिक खाद या उर्वरक के। इसकी माँग बांग्लादेश, यूएई, नेपाल, कतर, नीदरलैंड्स और सऊदी अरब तक फैली है। इसे बढ़ावा देने के लिए आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी से पल्प प्रोसेसिंग यूनिट और एफपीओ (FPO) की स्थापना की गई है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से आग्रह करती हूँ कि सिवनी जम्बो सीताफल को शीघ्र GI टैग प्रदान किया जाए, जिससे हमारे किसानो को और उद्यमियों को पहचान मिले, और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके। धन्यवाद।

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र में निर्माण हो रहे अमृत स्टेशनों की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में दो स्टेशनों- शहडोल जिले के बिओहारी और सिंगरौली जिले के बरगवां में अमृत स्टेशन का कार्य चल रहा है।

(1315/MK/RTU)

इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। एक चीज मैंने खुद देखी है कि जो निर्माण एजेंसी इरकॉन कंपनी काम कर रही है, वह बहुत ही निम्न स्तर का कार्य है। उनके द्वारा जो कई जगह दीवारें बनाई गई हैं, वे क्रैक हो गई हैं। जो फर्श बनाया गया है, वह बनने से पहले उद्घाटन भी नहीं हुआ था, वे फट गई हैं। बिल्डिंग की छत से पानी टपक रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इरकॉन लिमिटेड द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, चूंकि रेलवे हमेशा से एक उत्कृष्ट कार्य के लिए जाना जाता है, रेलवे के 50-60 साल पहले के काम भी आज देखने लायक हैं, इनकी जांच कराई जाए। इस तरह से निर्माण कार्य में जो त्रुटि है, उसको ठीक किया जाए। उनसे रिकवरी की जाए और जो अधिकारी और ठेकेदार हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य डॉ. काकोली घोष दस्तीदार जी - उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्य, श्री जगदम्बिका पाल जी।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे एक लोक महत्व के प्रश्न को उठाने की इजाजत दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारी भारतीय रेल ने पूरे देश में विस्तार किया है। अब इस कनेक्टिविटी को नेपाल के साथ भी जोड़ सकें, उस दिशा में भारत-नेपाल की नो मैन्स लैंड पर बढ़नी रेलवे स्टेशन पर आपने वाशिंग पिट भी दे दिया। आज बढ़नी पूरे नेपाल का गेटवे है। आपने सिद्धांत: इस बात को स्वीकार भी किया है कि नेपाल में स्थित काठामांडू, पोखरा, बुटवल से भारत और नेपाल की 'मैत्री' विस्तार और नेपाल की एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी भारत पर निर्भर है। भारत के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं, उसके लिए वहां से हमारे यहां के चार महानगर, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई से जोड़ने की बात हुई है। उस दिशा में कार्रवाई भी हुई है।

पूरे देश में न केवल भारत को बल्कि नेपाल को भी उस कनेक्टिविटी से पर्यटन तथा हर तरह के व्यावसायिक दृष्टिकोण का लाभ होगा। मैं आपके माध्यम से बढ़नी से, नो मैन्स लैंड से, देश के चार महानगरों के लिए ट्रेन चलाए जाने की मांग करता हूं।

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी (नन्दुरबार) : सभापति महोदया, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि 1931 की जनगणना के दौरान, जब देश में ब्रिटिश शासन था, तब जिन्हें हम आज गर्व से एसटी, यानी आदिवासी कहते हैं, उन्हें एक अलग श्रेणी ट्राइबल के अंतर्गत गिना गया था। यह श्रेणी हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी जैसे प्रमुख धर्मों के साथ

बराबरी से सूचीबद्ध थी। उस जनगणना में 82,50,000 से ज्यादा आदिवासियों को अलग दर्जा दिया गया था और साथ ही यह भी कहा गया था कि आदिवासियों की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान किसी अन्य संगठित धर्म के साथ समाहित नहीं होती है।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांस्टिट्यूशन ऑर्डर, 1950 में भी कहा गया है और उसी तरह से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की गाइडलाइन्स के दिशा-निर्देशों की भावना के भी विरुद्ध है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुसूचित आदिवासी की स्थिति धर्म से स्वतंत्र है।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि, In 2011 in Ram Ratan Case, the hon. Supreme Court noted that the Scheduled Tribes in Madhya Pradesh, like the Gonds, have distinct customary and religious practices. Their customary laws govern their social life and not the codified laws.

In 2020 also, the hon. Supreme Court made an observation regarding the separate Sarna religious code for the adivasis. The Union Government has acknowledged in affidavits that many tribals do not identify as Hindu, but are Sarna followers or traditional animists.

In 2021, the Orissa High Court also confirmed and requested the Government to adopt a separate Sarna religion in the Census for tribal faiths.

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि ट्राइबल या आदिवासी को जनगणना प्रपत्र और सभी सरकारी अभिलेखों में एक वैध और अलग धार्मिक श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि हमारे आदिवासी भाई-बहनों की पहचान कभी भी कमजोर तरीके से प्रस्तुत न की जाए। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि हम अपने संविधान की भावनाओं का सम्मान करें और आदिवासियों की सांस्कृतिक विलुप्ति से बचाएं। हम अपने उन पूर्वजों की विरासत का सम्मान करें, जिन्होंने हमारे जंगल, जमीन और अद्वितीय जीवन पद्धति की रक्षा के लिए संघर्ष किया है।

(1320/ALK/AK)

*SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR): Thanks, hon. Chairperson Madam. I would like to draw your attention towards the deteriorating law and order situation in Punjab. Nowadays, a number of murders are taking place in Punjab. Innocent people are being killed. They are hardworking and honest people and doing their businesses. Jailed gangsters and such elements even operating from abroad are getting these people killed and ransom is being asked from them. Punjab Government has completely failed on this issue.

I would like to state that a high level enquiry is required on this issue. Gangsters operating from the foreign soil are utilizing our poor people

* Original in Punjabi

for their petty gains. Generating employment is an urgent need of Punjab. Secondly, an enquiry by a sitting judge is required to know as to how these people have turned gangsters and political parties are using them as a tool.

Aam Adami Party has utilized these people in the election of Dera Baba Nanak. Akali Dal gave ticket to a family member of a gangster. BJP is also patronizing a gangster in Sabarmati jail who is getting people killed. An enquiry by a sitting judge is required so that the culprits bringing these people to this juncture can be punished.

I have to state that the law and order situation has worsened and people are planning to move outside the country and some have already left. Our Chief Minister has gone to Japan for seeking investment. I would like to ask that who is responsible for the plight of our investment that is being moved abroad. The Central Government must intervene in the matter and provide safety to our people.

माननीय सभापति : श्री बाबू सिंह कुशवाहा – उपस्थित नहीं।

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि भील जनजाति देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति में से एक है और चाहे हल्दीघाटी का युद्ध हो या मानगढ़ धाम का बलिदान, भीलों ने हमेशा ही आदिदेव महादेव को साथ में लेकर आंदोलन किया है और आक्रांताओं का मुकाबला किया है। जो भील जनजाति है, वह गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करती है, जिनकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ से ज्यादा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विगत दिनों में केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई हैं। मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मोदी जी की सरकार ने 'प्रधानमंत्री जनमन योजना' और 'धरती आबा योजना' से जो सेचुरेशन वाली स्थिति में काम किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए नॉर्थ ईस्ट और तेलंगाना में एक-एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। यह जो भील क्षेत्र है इसमें लगभग तीन से साढ़े तीन करोड़ जनजाति समाज के लोग निवास करते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि जिस प्रकार से 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' योजना चलाई है। इसमें से दक्षिणी राजस्थान में या गुजरात का जो बार्डर एरिया है, उसमें एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। यह 275(1) के तहत हो सकता है, एक बड़ी योजना हो सकती है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनजाति समाज पूरे देश में हिंदू समाज है। जिस प्रकार से अलग धर्म कोड की यहां पर मांग की गई है, यह बहुत गलत है। मैं इस पर आपत्ति करता हूं, देश की 720 जनजातियां इस पर आपत्ति करती हैं।

धन्यवाद।

SHRI ISHA KHAN CHOUDHURY (MALDAHA DAKSHIN): Respected Chairperson, I would like to bring to your kind notice a matter of great concern about Malda airport, which is a non-operational airport of the Airports Authority of India.

The airport became operational in 1960 offering direct flights to Kolkata, Delhi, and Guwahati. However, operations were halted in 1972 due to the Bangladesh War. In 1980, with the concerted efforts of late A. B. A. Ghani Khan Choudhury, the airport was revived and continued to be operational until 1989.

In order to revive the airport operations, the Government of India signed an MoU with the Government of West Bengal on 29th June, 2016 for the lease of 114 acres of land for 30 years to develop the airport under the national RCS-UDAN Scheme. Furthermore, the Civil Aviation Ministry requested the State Government to confirm that the land is free from encumbrance and to guarantee the provision of essential services such as security, fire, and meteorological support for the operation and management of the airport.

However, it has been nine long years since the MoU was signed between the Central Government and the State Government, and there is no visible progress for this much needed project. Due to Malda's growing economic significance and strategic location, as a midpoint between North and South Bengal, the revival of this airport will significantly enhance trade, tourism, and regional connectivity.

I would request the Civil Aviation Minister to immediately intervene in order to expedite the approval and execution of Malda airport for the economic and tourism growth of the people of Malda and West Bengal.

Thank you.

(1325/CP/SRG)

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपये प्रति हेक्टेअर है। इसके तहत किसानों को बुआई के समय पर सब्सिडाइज्ड इंट्रेस्ट रेट पर पैसा मिलता है और उनको इसका फायदा मिलता है। सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट के अंदर इस लिमिट को इनक्रीज करके 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की।

आज हम इस फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में खड़े हैं। आज तक इस घोषणा के क्रियान्वयन का नोटिफाई नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 लाख रुपये की लिमिट को 5

लाख रुपये बढ़ाने की जो बात कही है, उसको आज तक बैंक्स मानने को तैयार नहीं हैं। थर्ड क्वार्टर आने के बावजूद भी केसीसी धारक को प्रति हेक्टेअर 5 लाख की जो लिमिट मिलनी चाहिए थी, उस घोषणा को भारत सरकार नोटीफाई करे।

मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं। आज की तारीख में एमएसपी के ऊपर तो इनक्रीजिंग हुई है, पर सोइंग एरिया की जो इनपुट कॉस्ट है, वह भी बहुत इनक्रीज हुई है। यह जो 5 लाख रुपये की लिमिट है, वह बहुत छोटी लिमिट है। इस लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति हेक्टेअर किया जाए, ताकि किसानों को उसका लाभ मिले। सरकार अपने किए हुए वायदे को थर्ड क्वार्टर तक भी पूरा नहीं कर पाई है। इसके ऊपर गवर्नमेंट सीरियसली इंटरवीन करके, 3 लाख रुपये की लिमिट बढ़ाकर जो 5 लाख रुपये की है, उसको हैंड टू हैंड नोटीफाई करने का काम करे।

DR. RABINDRA NARAYAN BEHERA (JAJPUR): Madam, thank you for giving me this opportunity to put forth my views after a long time, during `Zero Hour'.

My submission to the hon. Minister of Electronics and IT is this. Will the Minister of Electronics and IT please state what steps have been taken by Government of Odisha, Odisha Computer Application Centre or National Informatics Centre, STPI and other agencies for implementation of Artificial Intelligence for improving governance in the State? Is there any specialized AI-driven application developed and implemented in the area of agriculture and grievance redressal system?

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI SANDHYA RAY): Shri Brijmohan Agrawal … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Sharmila Sarkar.

DR. SHARMILA SARKAR (BARDHAMAN PURBA): Madam, thank you for giving me the opportunity to speak on current status of AIIMS, Kalyani of West Bengal. When the AIIMS at Kalyani was approved in October 2015, it was hoped that it would provide state-of-the art healthcare to the people of Bengal and function as a viable alternative to AIIMS, Delhi. However, 10 years down the line, critical operational deficiencies have severely crippled its functioning. Out of a total 309 sanctioned faculty posts in 2025-26, 139 posts are vacant, that is 45 per cent posts are still lying vacant. Similarly, out of 221 non-faculty sanctioned posts, 55 per cent of the seats are vacant. These manpower shortages gravely compromise patient services, teaching and researches.

AIIMS, Kalyani was envisaged as a 960-bedded hospital with all modern facilities, yet currently, only 568 beds are operational, and critical care is also crippled with only 16 functional beds in trauma and emergency services, and

not a single ventilator ambulance is available there. These shortfalls are causing immense hardship to patients with a waiting period of 6 to 12 months or more to get an operation date. The staff shortages also impose disproportionate workload and mental pressure on the existing staff.

Hence, I urge the Government to urgently intervene to ensure that AIIMS, Kalyani delivers its promise of delivering affordable, accessible and advanced health care without any further delay.

(1330/SM/SK)

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI (BALASORE): Namaskar Madam. I thank you for giving me this opportunity to raise an important matter in 'Zero Hour'. I rise to draw the attention of this august House to a matter of significant national importance. The East Coast Canal is a critical waterway that has the potential to transform connectivity, logistic efficiency, and economic growth across our eastern coastal belt.

The canal, originally conceptualised during 19th century and further mapped under the National Waterways Act, 2016, forms a vital stretch of National Waterway No.5, connecting West Bengal and Odisha through an integrated network of rivers and tidal channels. As per the Inland Waterways Authority of India assessments, this alignment can decongest highways, reduce carbon emissions, and enable cost-effective movement of minerals, agricultural produce, and coastal cargo.

However, despite its strategic value, the canal remains under developed. This situation has arisen because persistent siltation has rendered major stretches non-navigable and has been delayed by issues such as low initial viability, land acquisition hurdles, high capital requirements for dredging, embankment strengthening, and the need for multiple environmental and CRZ clearance.

The vision of Purvodaya, as articulated by the hon. Prime Minister, can be realised if the East Coast Canal is fully developed and integrated into a broader connectivity framework of the eastern region in a timely manner. This will further strengthen the MSME ecosystem by providing them with a cost-efficient logistics corridor. I have approached the Minister time and again with letters and personally discussed with him, but it has not been materialised.

I, therefore, urge the Ministry of Ports, Shipping, and Waterways to expedite all remaining approvals, inter-agency clearances, and project

implementation processes to ensure the timely revitalisation of the East Coast Canal, which was also a part of our election manifesto. Namaskar.

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाहर के देशों के बारे में बताना चाहता हूं कि यहां पूरा का पूरा नकली कफ सिरप का रैकेट चल रहा है। मैं आपके माध्यम से इसके बारे में सदन और देश को अवगत कराना चाहता हूं।

सभापति जी, बनारस सैंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह जी इसी कफ सिरप के कारण लगभग एक साल पहले खत्म हो गए। उनकी पत्नी भारती सिंह जी ने बताया कि वह एक साल बनारस पुलिस के यहां दर-दर भटकती रहीं और उनकी कोई एफआईआर स्वीकार नहीं हुई। जब यह बात मीडिया के माध्यम से बाहर निकलकर आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रैस कांफ्रेंस की और ट्वीट किया तब जाकर बनारस की पुलिस सक्रिय हुई। मसला यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आज़मगढ़ और भदोही के इलाकों में नकली कफ सिरप का रैकेट चल रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल और देश के बाहर बंग्लादेश और साउथ अफ्रीका तक रैकेट द्वारा नकली कफ सिरप की सप्लाई की गई और इससे सैंकड़ों बच्चे खत्म हो गए।

सभापति जी, अफसोस की बात है कि जब भारती सिंह जी शिकायत करती हैं तो पुलिस ध्यान नहीं देती है, वैसे तो उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस, बुल्डोजर से लेकर तमाम बातें की जाती हैं। … (व्यवधान) सभापति जी, आप महिला हैं और आप बच्चों का दर्द समझ सकती हैं।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय): आप अपनी बात कम्पलीट कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : आप सोचिए कि वहां बच्चों की क्या हालत है, जहां का प्रतिनिधित्व माननीय प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बनारस में महीने में कम से कम चार-पांच दौरे करते हैं। बनारस में एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं और उन्होंने दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का व्यापार कर लिया, हमें रुपये पर आपत्ति नहीं है, लेकिन जब मासूमों की जान चली जाती है तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी, आप महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती हैं। माफिया लोगों की आंखों में पानी नहीं है, संवेदना नहीं है, बच्चे मरें तो मरें, बजुर्ग मरें तो मरें, लेकिन इनके पैसे की कमाई होनी चाहिए।

(1335/SJN/GM)

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर केन्द्र सरकार के मंत्रीगण बैठे हुए हैं, वे इस विषय की जांच कराएं। जो रैकेट था, मैं पूर्वांचल के जिन जिलों की बात कर रहा हूं, उन माफियाओं ने करोड़ों रुपये की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। अगर आप कहेंगी, तो मैं उनके नामों की पूरी जानकारी दे दूंगा, गाड़ियों के मॉडल्स के बारे में बता दूंगा। उन्होंने आय कर भरते समय अपनी आय में उसको कहीं नहीं दिखाया है। यह रैकेट प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में फैला हुआ है।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, आप भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं?

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपकी क्षेत्र में बदनामी हो रही है। इस पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए।

माननीय सभापति : श्री जुगल किशोर – उपस्थित नहीं।

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे जी।

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान एक विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पुणे से बेंगलुरु जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 है, जो कात्रज सुरंग व नवले ब्रिज से होकर गुजरता है। उसकी ढलान बहुत अधिक है, जिसके कारण वहां प्रत्येक हफ्ते कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। 13 नवंबर को एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें आठ लोगों की जानें चली गई थीं और 22 लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। अब तक नवले ब्रिज पर 100 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वहां पर एक सेफ्टी ऑडिट किया जाए और उस ढलान को सुधारा जाए। अगर वहां एक सर्विस रोड बना दी जाती है, तो विभिन्न दुर्घटनाओं में जिन लोगों की जानें चली जाती हैं, तब ऐसा नहीं होगा। नवले ब्रिज को उच्च प्राथमिकता दुर्घटना नवीकरण क्षेत्र घोषित किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग होने की वजह से वहां से बहुत सारे हैवी ट्रक्स निकलते हैं, जिससे वहां हैवी ट्रैफिक जाम रहता है और कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसा किया जाए, जिससे निकट भविष्य में वहां पर दुर्घटनाएं न हों और आम लोगों की जानें न जाएं, तो अच्छा होगा।

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान टीटीई निर्णय परीक्षकों की सेवा-सुरक्षा हेतु विधायी हस्तक्षेप की मांग की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं इस सम्माननीय सदन का ध्यान लाखों शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा एवं आजीविका से जुड़े हुए एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

सभापति महोदया, सितंबर, 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कक्षा एक से आठ तक के सभी शिक्षकों के लिए नियुक्तियों की तिथि चाहे जो भी हो, शिक्षा पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश सहित देश भर के लगभग 20,00,000 शिक्षकों का क्वॉलिफाइड और एग्जेम्प्टेड दर्जा संकट में पड़ गया है। अनेक शिक्षक, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 व एनसीटीई, 2010 की अधिसूचना के अनुसार विधिपूर्वक नियुक्त एवं विधिसम्मत रूप से मुक्त श्रेणी में दर्ज थे, वे आज असामंजस्य, तनाव व असुरक्षा की स्थिति में पहुंच गए हैं।

सभापति महोदया, यह विदित है कि आरटीआई अधिनियम और टेट की बाध्यता देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न तिथियों से प्रभावी हुई है। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रभावी स्थिति 27 जुलाई, 2011 है। नवीन निर्णय ने इन वैधानिक नियमों की उपेक्षा करते हुए हजारों शिक्षकों को अचानक असुरक्षित स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उनके मनोबल पर पड़ेगा, बल्कि विद्यालयी शिक्षा की स्थिरता पर भी पड़ेगा।

सभापति महोदया, मेरी केन्द्र सरकार से विनम्र मांग है कि इस निर्णय को केवल वैचारिक रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि प्रभावी अधिसूचना की तिथि से पूर्व शिक्षकों का वैधानिक दर्जा सुरक्षित रह सके। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में उपयुक्त संशोधन लाने पर भी विचार करे, ताकि देश भर के शिक्षकों की सेवा, अधिकार और सम्मान की रक्षा हो सके।

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : सभापति महोदया, मैं इस सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण व लोकहित के मुद्दे की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। पिछले माह की 26 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 जिलों की बार काउंसिलों के अध्यक्षों और सदस्यों ने सभी सांसदों का घेराव किया था। (1340/DPK/GTJ)

एक अति महत्वपूर्ण मांग, जो सन् 1981 से चली आ रही है, वह मांग उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाइकोर्ट की बेंच की है। उसे लेकर ध्यानाकर्षित करने के लिए सभी का धरना और आंदोलन चलता आया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री जी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बिजनौर से आता हूं। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत और मेरठ से हमारे प्रदेश का हाइकोर्ट लगभग 700 किलोमीटर दूर है। अन्य प्रदेशों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और यहां तक कि लाहौर जैसी अन्य देशों की हाइकोर्ट भी इनसे नज़दीक हैं। सुलभ न्याय की व्यवस्था नागरिकों का महत्वपूर्ण हक है। एडवोकेट्स आदि के अन्य विषय भी हैं। मुझे ध्यान है कि मेरे दादा जी भी सन् 1978 में प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री रहे थे, तब भी यह मांग की गई थी। मेरे पिताजी ने भी इसी सदन में यह मांग उठाई थी और आज मैं भी इसी मांग को उठा रहा हूं। मुझे आशा है कि सरकार और कानून मंत्री द्वारा इस जायज़ मांग को स्वीकार करके तमाम नागरिकों के लिए न्याय मिलने का काम होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[*]SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Honorable Madam Chairperson,

There was a heavy downpour in Maharashtra last month and yesterday Hon'ble Minister Shivraj Singh Chauhan made a statement that, due to heavy rains standing crops on 14 lakh hectares of land have been washed away and farmers are in a great trouble. Therefore, agricultural minister asked the state government to send the proposal to waive off farm loans and provide help to Maharashtra.

But it is unfortunate that the Agriculture Minister himself said that, no proposal has been received from the Maharashtra government yet.

When this government came to power, the Chief Minister repeatedly said that we would waive off the loans of farmers and help the farmers of Maharashtra

---

[*] Original in Marathi

in the heavy rains and flood conditions. Leaders were using helicopters for campaigning in the recently held panchayat raj elections.. This is the first time that such incidents of fighting, gunshots, etc. have taken place during the Panchayat elections. This has never happened in the history of Maharashtra. There was no transparency in this elections. The Chief Minister himself said that the Election Commission did not do its job properly and efficiently.

On the one hand, the farmers are in trouble and still justice has not done to them. On the other hand, such kind of chaos never happened in the Panchayat elections in the political history of Maharashtra. Therefore, the Government of India should request the Government of Maharashtra and invite proposals so that the farmers of Maharashtra can be helped timely.

Thank you.

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदया, अभी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा है। मैं इन बातों को लगातार पिछले 10-12 सालों से पार्लियामेंट के अंदर उठाता रहा हूं। मेरा इलाका संथाल परगना है, जहां से मैं सांसद हूं। वर्ष 1951 में वहां आदिवासियों की आबादी 45 परसेंट थी। अभी जब वर्ष 2011 की जनगणना हुई, तो वह केवल 26-27 परसेंट है। जब वर्ष 2026-27 में जनगणना होगी, तो मुझे लगता है कि वह 21 या 22 परसेंट हो जाएगी।

यहां हम आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा की बात करते हैं। लगभग 50 परसेंट आदिवासी गायब हो गए हैं। हमारे यहां मुसलमानों की आबादी नौ परसेंट थी। अब वह 24 परसेंट हो गई है। पूरे देश में मुसलमान केवल चार परसेंट बढ़े हैं। यह हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहां मुसलमान 15 परसेंट बढ़े हैं, जहां विस्थापन है, जहां पलायन है और जहां रोज़गार के कोई साधन नहीं हैं। ये कौन से लोग हैं?... (व्यवधान) ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं, जो हमारे यहां आ गए हैं।... (व्यवधान) ये सारा अपोज़ीशन उनसे वोट प्रभावित करके चुनाव जीतता है।... (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक, अररिया, किशनगंज, साहबगंज, पाकुड़ और पूर्णिया, जहां का मैं इंचार्ज भी था, इन सभी के लिए एक कोहेसिव प्लान बनाया जाए, बीएसएफ को पूरा अधिकार दिया जाए और एनआरसी लागू करके सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को घसीटकर बाहर किया जाए। जय हिन्द, जय भारत।

(1345/HDK/PC)

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अगरतला के एमबीबी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने हेतु विषय उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदया, अगरतला एयरपोर्ट 1,000 अंतर्राज्जीय और 200 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की क्षमता से संपन्न है। इसके अलावा इसमें 20 चेक-इन काउंटर्स हैं, चार यात्री बोर्डिंग ब्रिजेज़ भी हैं और इस एयरपोर्ट की सालाना तीन मिलियन यात्रियों की क्षमता है। इसमें 18.85 करोड़ रुपए की राशि का

त्रिपुरा सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भुगतान किया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने एमबीबी हवाई अड्डा, अगरतला के इमीग्रेशन काउंटर्स के लिए विभिन्न रैंक्स के 25 पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की थी। उस मांग को भी त्रिपुरा सरकार ने पूरा कर दिया है। वहां आईएलएस सिस्टम है, ग्राउंड लाइटिंग सुविधा भी वहां है और दिनांक 4.1.2023 को एमबीबी हवाई अड्डे को सीमा शुल्क चैक पोस्ट घोषित कर दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी और सिविल एविएशन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगरतला एयरपोर्ट को इमीडिएटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने की कृपा करें। वहां सभी टेक्निकल कार्यवाही हो चुकी है। अत: वहां इमीग्रेशन पोस्ट अधिसूचित करने की कृपा करें और वहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन जल्दी से जल्दी शुरू करें।

धन्यवाद।

SHRIMATI JUNE MALIAH (MEDINIPUR): Thank you, Madam. Sorry my voice would not sound the normal way, thanks to the Delhi pollution. It has got the better of my voice. Madam, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the MGNREGA, has been stopped in West Bengal, depriving nearly 59 lakh beneficiaries. Under the scheme, the Union Government continues to owe the State more than Rs. 43,000 crore in pending payments.

The Calcutta High Court, in its recent judgment, directed the Union Government to resume MGNREGA Scheme operations in West Bengal by 1st August, 2025. Despite this clear order, the Union Government has neither restored the Scheme nor released the funds due to the State's workers. Instead, it filed a petition before the Supreme Court challenging the High Court's order.

In a way, even the Supreme Court stood with the Mamata Banerjee Government and upheld the decision on resumption of the MGNREGA Scheme. In total, the Union Government's outstanding dues across various commitments amount to nearly Rs 2 lakh crore, Madam.

Depriving States of their rightful dues, shatters the foundation of cooperative federalism and the very ethos of the Constitution. Thus, I request, I urge rather, the Union Government to restart the MGNREGA Scheme and disburse the amount owed at the earliest. *Jai Bangla.*

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की ओर दिलाना चाहता हूं। आगरा में ताजमहल है और ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन, ताजमहल की खूबसूरती आगरा की जनता के लिए श्राप बन गई है। इसका कारण यह है कि ताजमहल की खूबसूरती न चली जाए, इस कारण से वहां Taj Trapezium Zone (TTZ) और एनजीटी है। टीटीज़ेड और एनजीटी

के कारण आगरा में न तो उद्योग लग पाते हैं और न ही फैक्ट्रीज़ लग पाती हैं। आगरा का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आगरा में दिल्ली से आगरा तक एक्सप्रेसवे है और लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेसवे है। आगरा से ग्वालियर के लिए भी नया एक्सप्रेसवे बन रहा है और आगरा से जयपुर के लिए भी एक्सप्रेसवे है। आगरा दिल्ली से बहुत नज़दीक है। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। वह एक ही रास्ता यह है कि फैक्ट्री और उद्योग तो बाध्यता के कारण लग नहीं सकते, लेकिन पूरे देश भर का आईटी का हब आगरा में बनाया जा सकता है।

अत: मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि आगरा के बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए और आगरा की जनता के हित में आगरा को आईटी का हब बनाया जाए, जिससे वहां के लोगों को न्याय मिल सके और ताजमहल की खूबसूरती भी इसी तरह बनी रहे।

धन्यवाद।

(1350/PS/SPS)

SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN): Thank you, hon. Chairperson, Madam.

I rise to highlight an urgent matter concerning my constituency Belur-Hassan section of National Highway-373. Although work has already been awarded and an agreement has been executed, the project has not been grounded due to the non-approval of revised cost estimate. At present, it is pending with the Regional Officer, Bengaluru to review the land acquisition award.

Due to the administrative delay, the appointment date has not been declared and the agency is unable to commence the work. This stretch is one of the most important corridors in Hassan district, which is extensively used by local commuters, tourists, and farmers. The road condition has deteriorated significantly following successive monsoons and heavy vehicular movements.

Madam, through you, I request the Ministry of Road Transport and Highways to ensure expeditious approval of revised cost estimate so that the project may be grounded at the earliest.

Thank you, Madam.

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) : सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं यहां से अपने राजसमन्द परिवार को नमस्कार करना चाहती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमन्द राजस्थान के अंतर्गत आने वाले नाथद्वारा विधानसभा के गुन्जोल राजस्व ग्राम में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए राज्य के बजट वर्ष 2023 में घोषणा हुई थी और भूमि आवंटन भी किया गया था, परन्तु अभी तक भवन निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका है। इसका क्या कारण हो सकता है?

मेरा संसदीय क्षेत्र जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, विशेषकर नाथद्वारा विधानसभा से लगे क्षेत्रों, यथा भीम व कुम्भलगढ़ में भील इत्यादि जनजातीय जनसमुदाय हजारों वर्षों से रहते आ रहे हैं। जहां इन क्षेत्रों में नए मेडिकल संस्थानों का निर्माण कर स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की आवश्यकता है, वहीं मौजूदा मेडिकल संस्थानों में नर्सिंग स्टाफ व डाक्टरों की संख्या में वृद्धि के साथ उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाओं का विस्तार करना भी बेहद जरुरी है। जब गुन्जोल राजस्व ग्राम में राज्य के बजट के माध्यम से मेडिकल कालेज के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो तो कोई कारण नहीं बनता है कि इस मेडिकल कालेज के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर न किया जा सके, जबकि क्षेत्र जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हो। मेडिकल कॉलेज निर्माण में आ रही विभिन्न बाधाओं और मौजूदा स्वास्थ्य संस्थाओं में नर्सिग स्टाफ सहित आधारभूत मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण जनता, विशेषकर नाथद्वारा और उससे लगे हुए जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र, जैसे भीम और कुम्भलगढ़ इत्यादि में स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता पर गम्भीर असर पड़ने की प्रबल सम्भावना है। इसके साथ ही नाथद्वारा और उसके आसपास क्षेत्रों में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए यथासंभव नीतिगत प्रयासों को किया जाना अत्यधिक जरुरी है।

मेरा निवेदन है कि यह कार्य जरूर किया जाए।

श्री राजीव राय (घोसी) : मैडम, मौका देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र में सड़कों की जर्जर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां प्रधानमंत्री सड़क योजना में पिछले चार सालों से एक भी सड़क पास नहीं हुई है। इस बार भी जितनी लिखकर दी हैं और जितने सर्वे करवाए हैं, उनमें से किसी का भी अप्रूवल नहीं हुआ है। जहां तक हमें जानकारी है कि जो नई स्कीम आई है, उसके तहत तो यह नहीं हो सकता है कि कोई खड़ंजा या ईंटें आनी हों। पुरानी सड़कों के संबंध में दिशा की बैठक में अधिकारी कहते हैं कि हमने बजट मांगा है, लेकिन लखनऊ से बजट नहीं आ रहा है।

मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि जिन सड़कों को हमने बनाया था, उनमें कोपागंज और कसारा गांव के लिए चार सालों से सड़कों के लिए योजना बन रही है। इसके बनवाने के लिए पता नहीं कितने दावे हो गए हैं, पुनर्निर्माण में गई है, लेकिन अभी तक उसका निर्माण ठीक ढंग से नहीं हुआ है। दोहरीघाट, मधुवन के साथ ही अन्य सारी सड़कों की स्थिति ऐसी है कि वहां से मरीज अस्पताल जाना चाहे तो रास्ते में ही मर जाए। मैं केवल सड़क के लिए नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जब डॉक्टर बैठा हो, तो अपनी बीमारी जरूर बतानी चाहिए। यहां पर दोनों डॉक्टर्स बैठे हैं। यहां पर रेल मंत्री जी भी हैं और छोटे वाले डॉक्टर भी बैठे हैं। आपने मुझे कई बार सदन में आश्वासन दे दिया, कमरे में भी आश्वासन दे दिया, लेकिन अभी मऊ को कुछ नहीं मिला है। मैं डॉक्टर साहब से उम्मीद करता हूं कि आप इसको कर दीजिए। हमारे यहां न सड़क है, न रेल है, न उद्योग है, न रोजगार है और न ही शिक्षा का कोई उच्च संस्थान है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मऊ पर विशेष कृपा की जाए। अगर आप वहां से बार-बार हार रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस जिले या उस लोक सभा को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया जाए।

DR. KADIYAM KAVYA (WARANGAL): Hon. Madam Chairperson, I draw the urgent attention of the House to the devastating damage caused by heavy rains and Cyclone Montha in October, 2025 across Greater Warangal Municipal Corporation limits. Over 200 mm rainfall submerged 45 colonies including Shivanagar and DK Nagar, and key roads -- Pothana Road, Bhadrakali-Polytechnic stretch, Mulugu Road, Bondi Vagu and the 80 feet road at Pochamma Maidan -- have been washed away, turning into rivers of slush with deep craters. Nearly 1,200 residents were evacuated to 12 relief camps. Incomplete drainage works under AMRUT and Smart Cities Mission -- only 66 per cent of Rs. 1,800 crore completed -- exposed systemic failure in planning and maintenance.

I urge the hon. Minister of Housing and Urban Affairs to release special Central funds under AMRUT 2.0 for immediate resurfacing and flood-resilient repairs of internal roads by March 2026, order a high-level audit of GWMC infrastructure and integrate real-time monitoring, and announce an immediate relief package of Rs. 100 crore for road restoration.

(1355/RHL/SNL)

Warangal, a heritage Smart City, deserves resilient roads, not recurring ruin. Thank you.

*SHRI MALAIYARASAN D. (KALLAKURICHI): Hon. Madam Chairperson. Vanakkam. I wish to raise an important issue in this august House concerning several lakhs of pensioners and family pensioners who are in a mindset filled with fear and sadness. Recently new guidelines titled 'Validation of Pension Rules 2025' were issued by the Union Government through a Gazette Notification dated 29 March 2025. This guideline accords approval to the past administrative actions of the Government as regards pension. Giving pension is not an act of sympathy. Rather it is the sum of money provided in a rightful and legal manner to the persons who served this country with dedication. Moreover, I must say that the Associations of Pensioners were not consulted before issuance of such Guidelines. In the present situation where the livelihood expenses have increased manifold, any change in their rights including monetary rights will drastically and deeply impact the lives of our Senior Citizens.

---

* Original in Tamil

Hon Chairperson, therefore, I urge upon the Government, through you, that they should issue a clarification on the Objectives, Consequences and Tradition pertaining to the announcement with regard to Validation of Pension Rules, 2025. The Government should give an assurance in this House that no pensioner or no family pensioner would be affected or loose their rights due to Validation of Pension Rules 2025. I urge that the Union government should hold consultations with the Pensioners' Associations recognized at the national level. I also urge upon the Government that a redressal mechanism should be set up, as a special case, to address the grievances of Pensioners due to this new Guideline. Thank you for this opportunity.

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सभापति महोदया जी, अरोरा गुहा में दलित लोग रहते हैं। वहां लगभग 150 घर-परिवार हैं। वहां पहले से एमएलए फंड से सरकारी सड़क बनी हुई है। उसके बिजली का बिल हम दे रहे हैं। वहां इंदिरा आवास बना दिए गए हैं। छह पुश्त रहने के बावजूद गलत तरीके से बिना कानूनी प्रक्रिया के उन्होंने गांव को उजाड़ दिया। इस तरह बेगूसराय,पटना, पाटलीपुत्रा, डुमरांव, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्णिया में सभी जगह गरीब, बेरोजगारों, मिडिल क्लास और गरीब व्यवसायियों की दुकानें उजाड़ी गयीं। कल बेगूसराय में बहुत बुरे तरीके से महादलित और गरीब बस्ती को उजाड़ा गया है, वहां पर लाठी चलायी गयी है, जुर्म किए गए हैं … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप भारत सरकार से मांग कीजिए।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : मैं सरकार और नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि जब तक उनको आशियाना न दिया जाए, उस पंचायत में पांच डिस्मिल जमीन और जब तक शहर में दुकान न दी जाए, उनके आशियानों तथा फल, सब्जी और चायवाले दुकानदारों को न उजाड़ा जाय। यह मेरी सरकार से मांग है।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : सभापति महोदया,बिहार राज्य अंतर्गत सुपौल जिले के सुपौल एनएच 327 ई. से बैरियाबुंच होती हुई वाया मढौना एवं मधेपुर होते हुए दरभंगा तक सड़क का निर्माण कार्य किया जाए तथा उक्त सड़क के मध्य कोसी नदी पर पुल का निर्माण किया जाए। यह कोसी क्षेत्र तथा मिथिलांचल की चिरलंबित मांगें हैं। कोसी क्षेत्र की मुख्य फसल बांस, जूट, मखाना तथा अनाज की ढुलाई कम समय में होगी, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा। पुल एवं सड़क निर्माण से कोसी, मिथिलांचल सहित देश के लाखों लोगों को आवागमन की सुविधा होगी तथा व्यापार एवं जनहित की सुविधाओं में भी लाभ मिलेगा।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : मैडम,पिछले साढ़े छह साल से एमयू के लिए मैं लगातार अपील कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सामर्थ्य पोर्टल पर टीचिंग, नॉन टीचिंग के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करवाएं।

(1400/KN/SMN)

साथ ही साथ एनजीटी से जो रोक लगी है, उसको हटाने के लिए एएमयू से एसईआईएए, बिहार को प्रपोजल जाना चाहिए, ताकि एनजीटी से रोक हट सके। हमारा जो फंड रुका हुआ है, वह मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलाहिदा फंड मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री मोहिब्बुल्लाह (रामपुर) : सभापति महोदया, मैं आपकी तबस्सुर से एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए जेपीसी कमेटी बनाई गई थी, जिस पर हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। उसमें छह महीने का टाइम मिला और 'उम्मीद पोर्टल' पर 30 परसेंट ही वक्फ जायदादों, मदरसों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसका सर्वर डाउन चल रहा है और उसकी डेट भी खत्म हो गई है। 70 परसेंट वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से वे लोग, जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) करना पड़ेगा। आखिर मुसलमानों को मुल्क में कब तक दबाया जाता रहेगा। जुल्म बर्दाश्त करने की एक हद होती है। जब बर्दाश्त करने की हद खत्म हो जाती है तो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ... (व्यवधान)

جناب محب اللہ (رامپور): جناب، میں آپ کے ذریعہ سے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وقف امینڈمینٹ کے لئے جے۔پی۔سی۔ کمیٹی بنائی گئی تھی، جس پر ہماری پارٹی نے پہلے ہی کہا تھا کہ سرکار کی نیت اور نیتی دونوں ہی سہی نہیں ہے۔ اس میں 6 مہینے کا ٹائم ملا تھا اور امید پورٹل پر 30 فیصد ہی وقف جائدادوں، مدرسوں، مسجدوں، قبرستانوں کا رجسٹریشن ہوا ہے ۔ اس کا سرور ڈاؤن چل رہا ہے، اور اس کی ڈیٹ بھی ختم ہو گئی ہے۔ 70 فیصد جائیدادوں کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آرٹیکل 25 اور 26 کو ختم کر دیا گیا ہے اور مسلمانوں کی زندگی ہمارے پیارے وطن میں ہی تنگ کر دی گئی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کے بزرگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی تھی، مولانا ارشد مدنی کہہ رہے ہیں کہ ظلم اور نا انصافی کے خلاف شاید ہمیں دوبارہ لڑنا پڑے گا اور (کاروائی میں شامل نہیں) ۔ کرنا پڑے گا۔ آخر

مسلمانوں کو ملک میں کب تک دبایا جاتا رہے گا۔ ظلم برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب برداشت کرنے کی حد ختم ہو جاتی ہے تو ظلم اور ناانصافی کے خلاف (مداخلت)

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदया, मैं व्यथित अंत:करण से बोल रहा हूं। वर्ष 2014 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की जो अवस्था थी, उस पर इस सरकार ने कहा था कि हम उसे उबार कर आगे ला रहे हैं। अब ऐसी अवस्था है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेवाएं कहां मिलती हैं, उसके बारे में पता नहीं है। कंपनी है कि नहीं, उसके बारे में भी पता नहीं है। हाल ही में बीएसएनएल के कर्मचारियों का एग्रीमेंट हुआ, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों का एग्रीमेंट नहीं हुआ। आप मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : आप अपनी बात पूरी कर लीजिए।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : एक तरफ यह सब करते हुए, उसमें 60 हजार कर्मचारी थे और अब सिर्फ 3200 कर्मचारी हैं। उनके लिए कंपनी है कि नहीं, इसके बारे में पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यह सब होते हुए, ये 'संचार साथी' ऐप ला रहे हैं। यह संचार साथी नहीं है। जब यह इनबिल्ट आता है तो हमारे कानून में प्रावधान था कि अगर लैंड लाइन भी ऑब्जर्वेशन में करनी है तो गृह मंत्रालय पुलिस को जाकर बताती थी। अब यह इनबिल्ट आएगा। यह एक तरह का पेगासस है और गोपनीयता पर सरकार अतिक्रमण करना चाहती है। अभी थोड़ा सा सॉफ्ट रूप में लिया है, लेकिन अगर यह इनबिल्ट रहेगा तो यह घातक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में 3200 कर्मचारी हैं। महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारियों को बीएसएनएल में लाया जाए। क्योंकि मुम्बई एवं दिल्ली जैसे शहरों में अभी वोडाफोन आइडिया सेवाएं दे रहा है और दोनों राजधानी हैं। दोनों जगह न्याय नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि सरकार इन कर्मचारियों की सुरक्षा करें। उनको बीएसएनएल में लें। यह संचार साथी ऐप बंद करें। धन्यवाद।

माननीय सभापति : अभी काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते थे और बाकी जो सदस्य रह गए हैं, उनको कल मौका दिया जाएगा।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shrimati Supriya Sule	Shri Vishaldada Prakashbapu Patil
Dr. Shivaji Bandappa Kalge	Shri Vishaldada Prakashbapu Patil Dr. Prashant Yadaorao Padole
Shri Shrirang Appa Chandu Barne	Shri Vishaldada Prakashbapu Patil
Adv. Gowaal Kagada Padavi	Dr. Prashant Yadaorao Padole
Dr. Nishikant Dubey	Dr. Prashant Yadaorao Padole
Shri Dharmendra Yadav	Dr. Prashant Yadaorao Padole
Shri T.M. Selvaganapathi	Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian Shri D. M. Kathir Anand
Shrimati Shambhavi	Shrimati Anita Subhadarshini
Shri Gaurav Gogoi	Shrimati Kanimozhi Karunanidhi Shrimati Supriya Sule Shri Arvind Ganpat Sawant Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Praveen Patel	Shri Sudheer Gupta
Shri Ramvir Singh Bidhuri	Shri Sudheer Gupta
Shri Ajay Bhatt	Shri Sudheer Gupta
Shri Mukesh Rajput	Shri Sudheer Gupta
Shri Chandra Prakash Joshi	Shri Sudheer Gupta
Shri Darshan Singh Choudhary	Shri Sudheer Gupta
Dr. Prabha Mallikarjun	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Dr. Byreddy Shabari	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Manish Tewari	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Dr. Sharmila Sarkar	Shrimati Pratima Mondal Shrimati Sajda Ahmed

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1403 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे 20 मिनट के भीतर अपने मामले के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Protocol violation during flag-off ceremony of Vande Bharat train at Sitapur Junction, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : दिनांक 8 नवंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल रूप से शुभारंभ की गई वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22545/46 लखनऊ सहारनपुर) मेरे संसदीय जनपद सीतापुर जंक्शन पर ठहराव के साथ चल रही है उसी दिन सीतापुर जंक्शन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का सरकारी कार्यक्रम आयोजित हुआ अपने ही संसदीय जनपद में आयोजित इस कार्यक्रम में चार बार के निर्वाचित सांसद को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया ना पूर्व सूचना न आमंत्रण ना मंच। नैमिषारण्य, जो मेरे संसदीय जनपद में ही मेरे क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वहां आने जाने वाले लाखों श्रद्धालु सीतापुर जंक्शन से ही यात्रा करते हैं इस ट्रेन का ठहराव उनके लिए वरदान है। किसी भी नई ट्रेन के उद्घाटन में जनपद के सांसद को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना बाध्यकारी है। यह मेरे विशेषाधिकार का हनन है। मेरा सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस संदर्भ में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक तथा इस कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार सभी वरिष्ठ अधिकारियों डीआरएम लखनऊ, एडीआरएम के विरुद्ध तत्काल कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

(इति)

Re: Need to ensure full implementation of Peace Accords with different organizations in North-Eastern States

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति लाने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2019 से अब तक विभिन्न सशस्त्र संगठनों के साथ 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किये हैं, जो इस क्षेत्र में स्थिरता की दिशा में एक बड़ी सफलता है। इन शांति समझौतों का ठोस प्रभाव पड़ा है और 11 हजार से ज्यादा युवा हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुए है । वर्ष 2014 की तुलना में 2024 में उग्रवाद की घटनाओं में 74 प्रतिशत, सुरक्षा बलों की हताहतों में 70 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्यु में 85 प्रतिशत की कमी आई है । माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने अपने सक्रिय प्रयासों से पूर्वोत्तर क्षेत्र की जटिल समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए विभिन्न सशस्त्र संगठनों के साथ किये गए शान्ति समझौतों का शत-प्रतिशत कार्यान्वन किया जाए ताकि इस क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(इति)

Re: Need to enact law for regulation of vehicle speed limits

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : हमारे देश में ओवरस्पीडिंग के कारण सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में कुल सड़क दुर्घटनाओं में 58.6% दुर्घटनाएं तेज रफ्तार के कारण हुई हैं, जिनमें 1,01,841 लोगों की जान गई। सरकार द्वारा ओवरस्पीडिंग को लेकर नियम बनाए गए हैं जिनमे वाहनों की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है लेकिन वाहन निर्माता कंपनियां वाहनों में अधिकतम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखती है जबकि हमारे देश में इतनी तेज गति से वाहन चलाने के लिए न तो जगह है और न ही सड़कें है और जब सरकार ने वाहनों की अधिकतम स्पीड सीमा निर्धारित की हुई है तो वाहनों को 200 की स्पीड तक दौड़ाने की आवश्यकता क्या है। अतः मेरा इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि वाहनों में लगे गतिमीटर की सीमा 120 किलोमीटर प्रतिघंटा से ज्यादा न करने सम्बन्धी कानून बनाने की कृपा करें।

(इति)

Re: Promotion opportunities for in-service teachers due to implementation of mandatory TET requirement

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : हाल ही में स्कूलों में वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा (Teacher Eligiblity Test) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश से, विशेषकर उन शिक्षकों में गहन चिंता और बेचैनी का माहौल है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे और जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में दशकों का मूल्यवान समय दिया है। सेवाकालीन सुरक्षा का उल्लंघन इन शिक्षकों को उनकी नियुक्ति के समय प्रचलित नियमों और योग्यताओं के आधार पर नियुक्त किया गया था। सेवाकाल के बीच में यह शर्त लगाना उनके स्थापित सेवा अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। प्रशासनिक जटिलता लाखों शिक्षकों को एक साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य करने से शैक्षणिक व्यवस्था के संचालन में अस्थिरता पैदा होने का गंभीर खतरा है। यदि बड़ी संख्या में शिक्षक TET उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, तो स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी हो सकती है। अनुभव की अनदेखी वर्षों के शिक्षण अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान को केवल एक पात्रता परीक्षा के माध्यम से चुनौती देना न्यायसंगत नहीं है। उनका अनुभव भी उनकी योग्यता का प्रमाण है। पदोन्नति और सेवानिवृत्ति पर प्रभाव यह नियम उन शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर छीनता है, जो वर्षों से सेवा में हैं और जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम समय बचा है, उन्हें भी पदोन्नति के लिए TET अनिवार्य कर दिया गया है।

(इति)

Re: Unclaimed Financial Assets deposited in Banks and its utilization

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : 'आपकी पूंजी आपका अधिकार' भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इस पहल का उद्देश्य बिना दावे वाली वित्तीय संपति को शीध्र उनके वैध धारकों तक लौटाना है। यदि किसी बैंक खाते में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोई वित्तीय लेन देन नहीं होता है तो वह निष्क्रिय हो जाता है। भारतीय बैंकिग प्रणाली में दावा न की गई जमाराशि वर्ष 2025 के मध्य तक 67,000 करोड़ रूपये से अधिक का अनुमान है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूॅ कि इतनी बड़ी राशि में राजस्थान के लोगों का कितना पैसा है और इस पैसे को किस काम में खर्च किया जा रहा है, इसके साथ मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि क्या इस अभियान से लोगों में जागरूकता आई है अगर हां तो अब तक कितना पैसा लोगों को वापिस किया जा चुका है।

(इति)

Re: Damage caused to crops by Nilgai (Blue Buck) in Deoria and Kushinagar districts in Uttar Pradesh

श्री शशांक मणि (देवरिया) : मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर और आसपास के क्षेत्रों में नीलगाय के कारण होने वाले फ़सली नुकसान को तत्काल मान्यता देने की आवश्यकता है। किसानों का कहना है कि आठ से पंद्रह नीलगायों के झुंड नियमित रूप से खेतों में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण हर वर्ष लगातार और बढ़ते हुए नुकसान दर्ज किये जा रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर प्राप्त जानकारी यह स्पष्ट करती है कि धान में केवल रौंदने के कारण प्रति एकड़ लगभग दस से तीस प्रतिशत तक की क्षति होती है, जबकि गेहूँ, अरहर, चना, मटर और मूँग जैसी फ़सलों में छह से सात क्विंटल प्रति एकड़ तक का नुकसान सामने आता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि देवरिया और कुशीनगर को नीलगाय संघर्ष प्रभावित ज़िले घोषित किया जाए। पीएमएफ़बीवाई के अंतर्गत जंगली जानवरों से होने वाले नुकसानों के अंतर्गत कवर किया जाए, गाँव स्तर पर सामूहिक सोलर फेंसिंग को समर्थन दिया जाए, और ज़िला स्तर पर एक समन्वित तंत्र तत्काल स्थापित किया जाए।

(इति)

Re: Need to establish Khadi and Village Industries Commission – Skill Development Centre in Hazaribagh Parliamentary Constituency

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : मैं केंद्र सरकार का ध्यान हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में "खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र" की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता/चाहती हूँ। हजारीबाग व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा, हस्तशिल्प, लकड़ी-बांस आधारित कुटीर उद्योग, अगरबत्ती/मोमबत्ती निर्माण जैसे पारंपरिक उद्योगों की अपार संभावनाएँ हैं, परंतु आधुनिक प्रशिक्षण, तकनीक और बाज़ार संपर्क के अभाव में स्थानीय युवाओं व महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः मेरा आग्रह है कि हजारीबाग में "खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र (KVIC Skill Development Centre)" की स्थापना की जाए तथा इसे PMEGP, SFURTI और अन्य ग्रामोद्योग योजनाओं से जोड़ते हुए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मार्केट लिंकज और उद्यमिता हेतु सब्सिडी आधारित ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह केंद्र क्षेत्र में स्थानीय रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बल प्रदान करेगा। अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए हजारीबाग में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु त्वरित कार्रवाई की जाए।

(इति)

Re: Need to construct a bypass road from Brijghat on NH 9 in Garhmukteshwar in Amroha Parliamentary Constituency

श्री कंवर सिंह तंवर (अमरोहा) : मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा के गढ़मुक्तेश्वर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह पौराणिक तीर्थ स्थल है, जहाँ मासिक पूर्णिमा सहित विभिन्न पर्वों पर माँ गंगा में स्नान हेतु दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। परंतु NH-9 पर स्थित ओवरब्रिज का एक हिस्सा अत्यंत पुराना एवं संकरा होने से भारी जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जो पर्वकाल में और भी गंभीर हो जाती है व घंटों जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी द्वारा देशभर में सड़कों का तीव्र विकास हुआ है। मैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि NH-9 पर बृजघाट से बाईपास निर्माण को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें, जिससे श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके।

(इति)

Re: Need to implement Animal Ambulance Scheme and set up Veterinary hospitals in each district in the country

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : पशुधन हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। देश में पशुधन आबादी 54 करोड़ से अधिक है, किन्तु अनेक जिलों में आज भी बीमार या दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के उपचार हेतु पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण पशुपालक समय पर अपने पशुओं का समुचित उपचार नहीं करा पाते, जिससे उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है और मूल्यवान पशुधन भी नष्ट हो जाता है। इन क्रम में मेरा विनम्र आग्रह है कि देश के प्रत्येक जिले में "1962 पशु एम्बुलेंस योजना" को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ताकि आपातकालीन स्थिति में पशुओं को समय पर चिकित्सकीय सहायता मिल सके। साथ ही, "एक जिला–एक पशु चिकित्सालय" नीति के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक आधुनिक, पूर्ण-सुविधायुक्त जिला पशु अस्पताल स्थापित किया जाए। इन अस्पतालों में एक्स-रे, सर्जरी थिएटर, प्रयोगशाला परीक्षण, आईसीयू, आधुनिक उपकरण तथा प्रशिक्षित विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे पशुधन का संरक्षण सुदृढ़ होगा, लाखों पशुपालकों की आय बढ़ेगी और देश की पशुधन संपदा सुरक्षित एवं स्वस्थ बनी रहेगी। अतः सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में शीघ्र और प्रभावी कदम उठाए जाएँ।

(इति)

Re: Need to construct an over-bridge/underpass at Maninagar Railway crossing in Ahmedabad West Parliamentary Constituency

श्री दिनेशभाई मकवाणा (अहमदाबाद पश्चिम) : मैं सरकार का ध्यान अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग पर प्रतिदिन अत्यधिक रेल यातायात के कारण बैरिकेड लंबे समय तक बंद रहते हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों, स्कूली बच्चों, कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, एम्बुलेंस सेवाओं तथा व्यापारियों को गंभीर यातायात जाम और अनावश्यक समय-हानि का सामना करना पड़ता है। कई बार आपातकालीन सेवाएँ भी इस जाम में फँस जाती हैं, जिससे जनता में अत्यधिक असंतोष व्याप्त है। इस क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज (ROB) या अंडरब्रिज (RUB) का निर्माण वर्षों से लंबित है। क्षेत्र के नागरिकों, स्थानीय संस्थाओं तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मांग को कई बार उठाया जा चुका है, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज या अंडरब्रिज के निर्माण को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए और कार्य जल्द प्रारंभ कराया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को लंबे समय से हो रही असुविधा से राहत मिल सके।

(इति)

Re: Alleged irregularities in implementation of drinking water projects under Jal Jeevan Mission in Jhansi and Lalitpur districts of Uttar Pradesh

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister towards the concerning status of the Jal Jeevan Mission in the backward districts of Jhansi and Lalitpur in Uttar Pradesh. Under the 2022 targets, drinking water supply was to be provided to 648 villages in Jhansi district through 109 multi-village schemes. As 10 villages already have deepwater sources and 25 villages are covered under previously constructed schemes, the requirement stood at 613 villages. However, out of the 10 multi-village schemes, only seven have been commissioned while three remain incomplete. Consequently, drinking water supply has been ensured in only 400 villages, leaving 213 villages still facing severe shortages. In Lalitpur district, against the target of 556 villages, supply has reportedly reached 545 villages, leaving 13 villages uncovered. During my visits to the region, I observed that pipelines under the Jal Jeevan Mission have not been laid according to prescribed standards on Nagar Panchayat, Zila Panchayat and other rural roads. The required depth has not been maintained, and No-Objection Certificates were not obtained before laying pipelines along major roads. Due to this, local authorities are facing difficulties in road reconstruction, widening and repair, while the 2022 directions remain unimplemented. I request urgent corrective action.

(ends)

Re: Need to restore the operation of Jharkhand Swarna Jayanti Express (12873/12874) suspended from 1st December, 2025 to 28th February, 2026

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : ठंड के मौसम में कोहरे के कारण वर्षों से 12873/12874 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का परिचालन रद्द कर दिया जाता है। ठंड के मौसम में इस ट्रेन का परिचालन रद्द करने की एक परंपरा सी बन गयी है। पिछले वर्ष भी रेलवे ने कोहरे के कारण इस ट्रेन का परिचालन रद्द करने का निर्णय लिया था, परन्तु माननीय रेल मंत्री जी से जनता को आवगमन की कठिनाईयों से अवगत कराने पर उन्होंने उक्त ट्रेन को बंद करने के निर्णय को रद्द कर दिया था तथा ट्रेन का परिचालन जारी रहा था। इस वर्ष भी रेलवे ने कोहरे का बहाना बनाकर दिनांक 1/12/ 2025 से 27/2/2026 तक बंद करने का निर्णय लिया है। देश की राजधानी से कनेक्ट होने और दिल्ली में उच्चतर चिकित्सा संस्थान में इलाज हेतु आने जाने के लिए यह ट्रेन सर्वोत्तम साधन है। पलामू, गढ़वा, लातेहार एवं सोनभद्र आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हैं। इन जिलों के छात्रों, व्यवसायियों एवं मरीजों के आवागमन के साधन को बढ़ाने के बजाय तीन माह के लिए कम करना उचित नहीं है। माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि रेलवे बोर्ड के निर्णय को निरस्त करते हुए उक्त ट्रेन का पुनः परिचालन सुनिश्चित किया जाय।

(इति)

Re: Need to make services of ASHA workers permanent across the country

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I wish to raise a matter of urgent public importance regarding the plight of over one million Accredited Social Health Activists (ASHA) who serve as the backbone of India's rural healthcare system. despite their critical role in implementing national health programs—ranging from maternal care and immunization to pandemic management—they continue to be classified as "honorary volunteers." The current remuneration structure, comprising a meager fixed honorarium and performance-based incentives, is woefully inadequate given rising inflation and the nature of their full-time workload. This financial insecurity forces many of these frontline warriors into debt and poverty. Therefore, I urge the Government of India to recognize ASHA workers as permanent workers and significantly increase the central budgetary allocation for the National Health Mission. The government must ensure a minimum fixed monthly salary of ₹21,000, in line with recommendations for skilled workers. Furthermore, they must be provided with statutory benefits, including Provident Fund (PF), ESI coverage, and a guaranteed pension. Strengthening the financial security of ASHA workers is not just a labor right but a prerequisite for a robust public health infrastructure.

(ends)

Re: Need to take comprehensive measures to make Pulicat lake in Andhra Pradesh and Tamil Nadu a sustainable eco-tourism hub

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): Pulicat Lake, India's second-largest brackish water lagoon after Chilika Lake, is a critical ecological and economic asset spanning Andhra Pradesh and Tamil Nadu is home to rich biodiversity, including several endemic and migratory bird species, and supports the livelihood of over a lakh people engaged in fishing and related activities. Despite its immense potential for eco-tourism, Pulicat Lake remains underdeveloped, lacking sustainable tourism infrastructure and conservation efforts. The absence of a formal regulatory framework has led to deforestation of mangroves, and siltation, further endangering the lake's ecological balance. The government must take immediate steps to declare Pulicat Lake a sustainable eco-tourism hub, ensuring that conservation and development go hand in hand. A well-structured strategy must be implemented, including measures to encourage eco-tourism, prevent environmental degradation, and promote community-led eco-tourism models that empower local populations while preserving the ecosystem. Establishing a Pulicat Development Authority, modelled on Chilika Development Authority, will be crucial in coordinating conservation, tourism development, and sustainable resource management. Given rising threats to Pulicat Lake, urgent intervention is required to prevent ecological collapse and harness its potential for sustainable tourism. Government must act decisively to protect this invaluable natural resource while fostering eco-friendly economic opportunities for the local communities.

(ends)

Re: Need to allocate funds for providing basic railway services at Palayamkottai railway station in Tamil Nadu

SHRI ROBERT BRUCE C. (TIRUNELVELI): Palayamkottai in Tirunelveli Parliamentary Constituency is the twin city of Tirunelveli and is widely known as the Oxford of South India for its numerous educational institutions which are more than 100 years old. Palayamkottai Railway Station, opened more than 75 years ago is still devoid of basic necessities such as drinking water, toilet facilities, multi modal transit connect facilities etc, affecting tourists, daily commuters such as Office Goers and Students, especially women. Even today, the railway station is functioning under a small shed covering just a small portion of the platform, leaving commuters at the mercy of the elements. Adequate seating facilities are not available at the railway station, severely affecting senior citizens and persons with disabilities. Such lack of amenities is itself against the railway norms for providing Minimum Essential Amenities to NSG 6 category stations. I call upon the Union Government to allocate adequate funds and undertake necessary development work for the establishment of Minimum Essential Amenities at the earliest at Palayamkottai Railway Station. (ends)

Re: Need for rail connectivity between Kalyana-Karnataka and Northern States

SHRI G. KUMAR NAIK (RAICHUR): There have been longstanding gaps in railway connectivity between Northern States and Hyderabad-Karnataka, leaving major districts underserved for decades. Raichur, Kalaburagi and the surrounding regions urgently require services with respect to a fast passenger service from Kalaburagi to Bengaluru via Raichur, daily fast passenger trains to Hyderabad, and a direct train from Raichur to Visakhapatnam. These routes are not a matter of convenience but a crucial link for the labour, students and patients which connect to all of South India and is severely restricting mobility of people. This local demand must be viewed against the backdrop of Karnataka's historically low railway density which ranks poorly on both railway density per population and per area. Between 2014-24, Karnataka saw an average of just 163 km of railway tracks commissioned per year, well behind states with already higher density of railways. Despite hosting four major railway zones, Karnataka lacks a unified institutional framework to address its needs. I urge the Ministry to address these gaps urgently and fulfil the long-pending connectivity demands of the people of Kalyana-Karnataka.

(ends)

Re: Progress and status of schemes under Jal Jeevan Mission in Mau district of Uttar Pradesh

श्री राजीव राय (घोसी) : जल जीवन मिशन (JJM) 2019 में 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने के नल के पानी की आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2024 तक इसमें 15 करोड़ परिवार (ग्रामीण भारत का 80%) शामिल थे। इस बीच, केंद्रीय बजट 2025-26 में, शेष (20%) ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से JJM को 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, विशेषकर मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में JJM की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। वास्तव में मऊ में 1470 गांव हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 803 गांव ऐसे हैं जिनमें 100 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन हैं, जबकि 656 गांवों में काम प्रगति पर है और 11 गांवों में जलापूर्ति का काम अभी शुरू होना बाकी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांवों, जहां JJM का कार्य चल रहा है, वहाँ गरीब लोग वस्तुतः प्रताड़ित हो रहे हैं क्योंकि कार्य करने में लगा ठेकेदार जिन सड़कों/गलियों को खोदता है उन्हें लंबे समय तक न तो कवर किया जाता है और न ही ठीक से मरम्मत की जाती है, जिससे लोगों को दुर्घटनाओं का खतरा हो जाता है जिनकी संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा बड़े दावों के बावजूद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अनेक परिवार हैं जो अभी भी इस योजना के लाभों से वंचित हैं। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणालियों का संचालन और रखरखाव, जो कुछ गांवों में लागू किया गया था, वह भी बहुत चिंता का विषय है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मऊ में जल जीवन मिशन (JJM) की प्रगति और स्थिति की जांच करे और जल जीवन मिशन का कार्य करने वाले ठेकेदारों द्वारा क्षतिग्रस्त और नष्ट की गई सड़कों की मरम्मत का आदेश दे।

(इति)

Re: Problems being faced by in-service teachers by making Teacher Eligibility Test (TET) compulsory as service condition

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : कक्षा 1-8 तक के सभी सेवारत शिक्षकों को दो साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने देश भर में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। पूर्वव्यापी आदेश 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को प्रभावित करता है, और अकेले उत्तर प्रदेश में, लगभग 1.86 लाख शिक्षक, जो कुल कार्यबल का लगभग 40% है, सीधे प्रभावित होंगे। इस आदेश के कारण बड़े पैमाने पर जबरन सेवानिवृत्ति हो सकती है और शिक्षकों की मौजूदा कमी और भी बदतर हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में पहले से ही 1.2 लाख से अधिक शिक्षण पद रिक्त हैं और हजारों स्कूल विलय के कगार पर हैं, इस आदेश से कक्षाओं में शिक्षक विहीनता और बच्चों की शिक्षा बाधित होने का खतरा है।

मैं केंद्र सरकार से इन चुनौतियों का संज्ञान लेने, समीक्षा याचिकाओं का समर्थन करने और स्कूली शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए सेवारत प्रशिक्षण और जिला स्तरीय शिक्षक कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे संतुलित विकल्पों पर विचार करने का आग्रह करता हूँ।

(इति)

Re: Need to release the pending dues of MGNREGS to West Bengal

SHRI KALIPADA SAREN KHERWAL (JHARGRAM): MGNREGS was initiated to provide livelihood and social security to the marginalised and vulnerable. However, this progress has been deliberately stopped for 59 lakh workers in West Bengal. Under the scheme, the Union Government still owes the state over Rs 43,000 crore. Even the Calcutta High Court's recent judgment directed the Union Government to restart the scheme in West Bengal on 1 August 2025. However, the Union Government did not adhere to this order, and have denied West Bengal MGNREGS workers their rightful dues. In fact, the Union Government even filed a petition in the Supreme Court, which was subsequently rejected. However, the Union Government has neither released the due amount nor has it re-started the scheme in West Bengal. Union Government owes 2 lakh carore. Timely fund transfers are fundamental to a robust federal structure, enabling states to maintain financial autonomy and deliver essential services to their citizens. Withholding or delaying funds undermines the cooperative spirit and strains the union - state relations. It also hinders the states from meeting their constitutional responsibilities. Therefore, I strongly urge the Government to expedite the release of pending dues to the state of West Bengal and re-initiate the scheme as soon as possible.

(ends)

Re: Need for construction of a flyover at Bagnan Library More stretch of NH No. 16 in Uluberia Parliamentary Constituency

SHRIMATI SAJDA AHMED (ULUBERIA): I would like to draw the kind attention of the Government to the urgent need to improve road safety on National Highway No. 16, especially from Ranihati to Kolaghat in Uluberia Parliamentary Constituency area. This stretch has become a highly accident-prone zone. In particular, Bagnan Library More, Mansatala, Pirtala, Khalisani, Orphuli, Nimdighi, Ranihati are witnessing frequent accidents, leading to heavy casualties and loss of lives. The traffic pressure on NH-16 is increasing every day, and the present road structure is no longer sufficient. There is an urgent need to construct a flyover at Bagnan Library More and to conduct an intensive safety audit of the entire stretch. Strict measures must be taken to control speed, manage crossings and prevent further road accidents in this area. I urge the Government to take immediate action to ensure safety and save precious lives.

(ends)

Re: Need to confer Bharat Ratna posthumously to Pasumpon Muthuramalinga Thevar, a freedom fighter and Parliamentarian from Tamil Nadu

SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI): Late Shri Pasumpon Muthuramalinga Thevar was a three-time parliamentarian elected to the 1st, 2nd & 3rd Lok Sabhas. He also elected to the Madras Legislative Assembly four times in 1937, 1946, 1952 and 1957. He was associated with the freedom movement at the young age of 19 under the influence of Netaji Subhas Chandra Bose and spent 4000 days in prison during the Freedom Struggle. He organized the Forward Bloc in Tamil Nadu and became the President of its State Unit in 1948 and Vice-President of the Party in 1955. A devout follower of Gandhiji, worked for Gandhian ideals of using Khadi and promoted prohibition and removal of untouchability, led the historic entry of Harijans into the Meenakshi Temple, Madurai. He was a strong opponent to the Criminal Tribes Act-1920 (which was a 19th-century colonial law) and devoted his entire life for the uplift of the downtrodden, including peasants, industrial workers and other backward sections of society. He was the prime instrumental and established the "Agriculturist Association" to mitigate the plight and the sufferings of the peasants. A well known labour leader fought for the rights of labourers and to abolish the 'Zamindari System was born on 30 October 1908 and died on 30 October, 1963 at Madurai. All sections of the society irrespective of political parties in Tamil Nadu unitedly support and demand to confer Bharat Ratna to Pasumpon Muthuramalinga Thevar. Therefore, I urge upon the Union Government to confer Bharat Ratna to Pasumpon Muthuramalinga Thevar posthumously as a respect and tribute to one of the great Freedom Fighter, parliamentarian, spiritualist, labour leader and strong Opponent to the Criminal Tribes Act (1920).

(ends)

Re: Need to enhance States' share of Central taxes to 50% during the period of 16th Finance Commission

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Tamil Nadu continues to be one of the largest contributors to the central exchequer. But in the devolution of share of tax revenue, Tamil Nadu is not getting its due share. The share of Tamil Nadu in devolution of taxes decreased from 5.305 percent in the 12th Finance Commission to 4.079 percent in the 15th Finance Commission. The termination of GST compensation regime on 30.06.2022, has resulted in a revenue shortfall of Rs. 20,000 crore per annum for the Government of Tamil Nadu. While the 15th Finance Commission recommended a 41% share, the actual effective devolution of the Centre's total tax only amounted to about 33.16% in the last four-years, causing big-financial strain on Productive states like Tamil Nadu. Therefore a new approach should be adopted to strengthen the federal structure of India and ensure that well-performing states are not penalised by existing devolution methods. The Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu has advocated for increasing the states share of central taxes to 50% in his interactions with the 16th Finance Commission in Chennai in November 2024 and reiterated it at a NITI-Aayog meeting in May 2025. This increased devolution of funds is essential for states to have greater financial autonomy and implement development projects that meet the State specific needs. Also significant funds are required for disaster relief and infrastructure restoration due to natural calamities almost every year. Therefore I urge the Union Government and the 16th Finance Commission to increase the states' share of central taxes to 50% during the 16th Finance Commission period.

(ends)

Re: Need to expedite establishment of Rural Self Employment Training Institute & Pradhan Mantri Kaushal Kendras under PMKVY in Konaseema district of Andhra Pradesh

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): There exists a substantial skilling infrastructure deficit in Dr. B. R. Ambedkar Konaseema district, Andhra Pradesh, which has significantly constrained the implementation of Central skill development initiatives. Although flagship programmes such as PMKVY, DDU-GKY and RSETIs are designed to create a job-ready workforce, their intended outcomes are not materialising in the district due to the absence of functional training centres and the lack of institutional capacity to operationalise them. A new RSETI has been sanctioned, but site finalisation remains pending. There is still no operational PMKK or PMKVY centre even after the roll-out of PMKVY 4.0 with stronger industry and placement linkages. Training under DDU-GKY is practically inactive due to lack of basic training infrastructure. The district also remains the only one in Andhra Pradesh without a Government ITI, further widening the skill gap and limiting the availability of trained manpower. I request the Government to urgently operationalise the sanctioned RSETI, establish PMKK and PMKVY centres and prioritise the creation of a Government ITI in the district. Strengthening the district-level skilling ecosystem is essential to ensure equitable access to employment-linked opportunities and to enable the youth of Dr. B. R. Ambedkar Konaseema District to contribute meaningfully to national growth.

(ends)

Re: Illegal encroachment on land under Valmiki Nagar Tiger Reserve in Bihar

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर) : मैं सरकार का ध्यान बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले स्थित वाल्मीकिनगर टाइगर रिज़र्व (VTR) की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह क्षेत्र पर्यावरणीय, जैव विविधता एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। हाल के वर्षों में VTR की भूमि पर अनधिकृत निर्माण और कब्जा कर लिया गया है, जिससे रिज़र्व का प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है तथा देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। यदि इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, तो यह न केवल वन्य जीव संरक्षण में बाधा बनेगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गंभीर नुकसान होगा। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस मामले की जांच कराते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे, अवैध कब्जा हटाए और VTR को मूल स्थिति में बहाल करवाने का कष्ट करें। (इति)

Re: Need to set up a Sainik School and Sainik or NCC Training centre in Baghpat district of Uttar Pradesh

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेषकर बागपत जिले में सैनिक स्कूल, सैनिक प्रशिक्षण केंद्र अथवा NCC प्रशिक्षण अवसंरचना स्थापित करने की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बागपत और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हर वर्ष हजारों युवा सेना, अर्धसैनिक बलों तथा NDA सहित विभिन्न रक्षा सेवाओं में शामिल होने का लक्ष्य लेकर मेहनत करते हैं, किंतु इस पूरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उन्नत सैन्य प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उन्हें गुणवत्तापूर्ण तैयारी, मार्गदर्शन और संसाधनों से वंचित रहना पड़ता है। यह स्थिति न केवल युवाओं की क्षमता को सीमित करती है, बल्कि रक्षा सेवाओं में योगदान देने वाले इस क्षेत्र की संभावनाओं को भी कम करती है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि बागपत जिले में सैनिक स्कूल, Sainik Training Centre अथवा NCC प्रशिक्षण अवसंरचना स्थापित करने की कृपा करें ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को बेहतर सैन्य तैयारी के अवसर उपलब्ध हो सकें और वे देश की रक्षा सेवाओं में और अधिक प्रभावी योगदान दे सकें। (इति)

Re: Need for safe execution of Zojila Tunnel Project connecting Jammu & Kashmir and Ladakh

SHRI MOHMAD HANEEFA (LADAKH): I wish to draw the attention of this House to the alarming delays in the Zojila Tunnel project - critical for Ladakh's connectivity and national security. Although its completion was targeted for 2026, only around 70% work has been done. Such delays severely affect Ladakh's development, especially during winters when road access is blocked. These repeated delays raise doubts about the implementing agency's capability and the tunnel's safety, especially given recent incidents of bridge and road collapses. The Government must clarify whether Ladakh's harsh climate was adequately studied and local inputs were taken into consideration. It may also be explained as to whether the delay led to cost escalation. A time-bound and safe execution plan is essential. The tunnel began without full environmental clearance, despite Ladakh being an ecologically fragile region. Recent health and ecological concerns underline the need for continuous environmental monitoring. I urge the Government to make all environmental reports public and enforce strict safeguards. The project uses foreign New Austrian Tunnelling Method (NATM). In this connection, I would like to know whether the trial studies were done for Ladakh's terrain, and if so, please let me know also how much Indian-made machinery is used. We must encourage 'Make in India' in such projects. I urge the Government to ensure this project is safe, sustainable, and timely -setting a benchmark for resilient infrastructure in Ladakh.

(ends)

माननीय सभापति :आइटम नंबर 16. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक 2025 – माननीय वित्त मंत्री जी।

1404 बजे (श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you very much, Sir. … (*Interruptions*)

1404 बजे

(इस समय सरदार सरबजीत सिंह खालसा आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय सभापति : आप मेरी बात सुनिये। हम आपको मौका देंगे। मेरी जिम्मेदारी है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : इंजीनियर साहब**,** आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरी गुजारिश है कि अभी पीठ ने माननीय वित्त मंत्री जी का नाम पुकार दिया है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कल आप दोनों को शून्य प्रहर में मौका दिया जाएगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह पीठ का फैसला है। माननीय वित्त मंत्री जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : इंजीनियर साहब**,** आप तो बहुत समझदार हैं। आप कृपया अपनी सीट्स पर जाइये। आपकी बात को रजिस्टर कर लिया है और आपको कल मौका दिया जाएगा।

… (व्यवधान)

(1405/ANK/RP)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : इंजीनियर साहब, आपको कल बोलने का मौका दिया जाएगा। धन्यवाद।

माननीय वित्त मंत्री जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : इंजीनियर साहब, आपके कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं, आप वॉक आउट मत करिए। आप बैठिए। हम कल आपको मौका देंगे।

… (व्यवधान)

1405 बजे

(इस समय सरदार सरबजीत सिंह खालसा अपने स्थान पर वापस चले गए।)

माननीय सभापति : माननीय वित्त मंत्री जी।

वित्त मंत्री; तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : आप बैठिए। आपको स्पीकर साहब ने बताया है कि आपको कल मौका देंगे। आपकी आवाज सुनाई जाएगी। कृपया बैठिए ... (व्यवधान) नहीं-नहीं, कल किसने देखा, इस तरह की फिलोसोफिकली बात मत करिए। आप कल बात करिएगा। अभी आप शांति से बैठिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपसे मेरा निवेदन है कि बैठ जाइए।

माननीय वित्त मंत्री जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय वित्त मंत्री जी, आप शुरू कीजिए। इंजीनियर साहब, आप बैठ जाइए। आपसे वित्त मंत्री जी ने भी रिक्वेस्ट कर ली, पीठ ने भी रिक्वेस्ट कर ली। इसलिए आप कृपया बैठ जाएं। धन्यवाद।

माननीय वित्त मंत्री जी।

CENTRAL EXCISE (AMENDMENT) BILL

1406 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Central Excise Act, 1944, be taken into consideration."

Sir, the Central excise rates are normally prescribed under the Fourth Schedule to the Central Excise Act of 1944. The rates for tobacco and tobacco products are in Section 4 of Fourth Schedule of the Central Excise Act. When GST was introduced in 2017, the Central Government gave up its excise rights and the duties which were levied under the Central Excise, all tobacco products were given away in favour of the GST Council so that the Council can levy compensation cess and that compensation cess which would be collected on tobacco products in place of excise would go for the compensation for the States for the initial years when they come into the GST. Now, as a result, the Central Excise Duty, right was kept up, but the duties were minimal or completely zero.

Now the compensation cess time is over. Even from July 1st, 2022, we do not anymore give compensation amount to the States. We are collecting this cess after 2022 till now only because the GST Council had discussed and we borrowed money back-to-back, and gave it to the States as though the compensation is being paid, but paid with borrowed money. It was decided in the GST Council that this borrowing will have to be principal and interest paid back by extending the compensation cess only to that much period which is required for paying the loans back. Even the GST law itself had limited the compensation cess collection to only five years and that is why, it ended in 2022. But, with legal advice and with complete understanding which the GST Council expressed, and I am grateful for that to the GST Council, the extension of the GST compensation cess happened till now. In another probably couple of weeks, the loans will be completely repaid. The Centre, therefore, wants to make sure that the excise will come back to us so that we can levy that duty.

(1410/VPN/RAJ)

Another argument, which is very important for all the Members of Parliament to know is by the Act of GST, you cannot tax any item under the GST beyond 40 per cent. Now, if you cannot tax any item, even if it is a demerit good, like cigarette, beyond 40 per cent, what is happening is that the ultimate incidence through GST on a demerit good like cigarette has come down. So, the popular narrative would be: is the Government or is the GST Council cognizant of the fact that cigarette or the demerit good like tobacco is being taxed lesser than what it was earlier? Is that the intention? To address that, in order that the incidence is no longer lesser than what it was during the GST time with the compensation, we are bringing this excise. In a way, we are saying cigarette should not become affordable now because the incidence has become lesser. That is the reason this Bill has come before the House and I would like to have the views of the hon. Members. If at the end of the debate, there is something more that I will be allowed to speak with your permission, I can reply as well. Thank you very much.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Central Excise Act, 1944, be taken into consideration."

1411hours

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI (RAJAHMUNDRY): Hon. Chairperson, Sir, I would like to thank you for the opportunity that has been given to me to participate in this very sensitive piece of legislation that has been brought in by the hon. Union Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman ji. I would also like to voice my appreciation towards the sensitivity with which this piece of legislation has been brought in, which the hon. Finance Minister has just very eloquently outlined.

Sir, we all know for a fact that tobacco addiction is a major problem in our country today. Estimates say that about 1.35 million deaths occur annually in our country due to cancer, heart related diseases or COPD. COPD would mean diseases that are related to lungs.

The issue is very serious because around 29 per cent of the population, that is, 267 million adults and many more adolescents are actually in a way habituated or are addicted to tobacco and related products. The challenge is not simply the smokeless tobacco, which actually gives rise to incidences of oral cancer but also the addictive nature of the tobacco products as well as the marketing tactics which are undertaken by various other sections of our society. The usage of tobacco is amongst both men and women, where about 42.14 per cent men and 14.2 per cent women are estimated to be addicted to tobacco. Surprisingly, the very same survey also says that about 8.5 per cent of our children between the age of 13 and 15 are also addicted to tobacco and related products like pan masala and so on today.

Sir, tobacco, therefore, is becoming a major cause of death as well as disability in our country, which is something that we all need to take cognizance of. The issue does not simply stop with people who are smoking tobacco related items like cigarettes and tobacco and so on but it also raises the concern of the passive smokers. It is estimated that around 30.2 per cent of our population are passive smokers and this is also negatively impacting the health of that section of society. When I say passive smokers, these are the people who are inhaling the smoke that is let out by people who are smoking cigarettes and tobacco and so on.

India, today, is said to be the second largest consumer of tobacco and accounts for almost one-sixth of the world's tobacco related deaths. This simply speaks of the magnitude of the issue that we have in our country today.

Today, India's disease burden is no more characterised by communicable diseases but is rather being characterised by non-communicable diseases like heart related problems, cancer, lung related problems and so on.

(1415/UB/NK)

This only highlights the fact that we need to bring in a change not only in our lifestyles but also in the habit which would mean indulging in hazardous substances which we have been talking about.

As per the study, cancer and cardiovascular related diseases top the list of non-communicable disease's list, and tobacco is also considered to be one of the largest contributors to the burden of non-communicable diseases. India today accounts for 17 per cent of the world's population but when it comes to the disease burden, it accounts for 20 per cent of the world disease problems. So, this is not a small number that we are looking at. The non-communicable disease burden which was around 55 per cent in 2016 is now about 60 per cent deaths because of non-communicable diseases in 2019.

India is a welfare State which is committed to the welfare and well-being of its citizens and the Narendra Modi Government is also committed to the same, and having been committed to the same, it has taken the decisive step of imposing the GST on health-hazardous substances like tobacco and pan products and so on. This is intended to discourage the use of dangerous substances and also simultaneously to generate revenues that would actually be spent on social and health sectors, which is very, very important for our commitment to the well-being and welfare of the citizens of our country.

Today, even as we are phasing out the GST compensation cess, it is rightly mentioned by our hon. Union Finance Minister that we must ensure that the prices do not plummet of these tobacco and such substances to such an extent that they become easily accessible to people as we are speaking about how we can discourage them from using such hazardous substances. Therefore, the measure that has been undertaken today would maintain the price stability, protect the vulnerable and the youth sections of our society and

also act as a deterrent because the prices would not plummet to the extent that we actually fear they would.

The Government today seeks to provide food security for the poor through the free ration programme where we are providing free ration to about 80 crore poor people and also to improve the living standards of the middle class wherein we have actually lowered the tax burden and so on. We must ensure that every rupee that is being now collected through this GST is actually expended towards these kinds of measures which could be now further expanded.

Sir, with focus on the health sector, the Central Government has been able to increase the number of AIIMS in our country from seven in 2014 to 23 today. The number of medical colleges has doubled from 387 in 2014 to 808 today and, above all, we have one of the largest health insurance schemes in our country in the form of Ayushman Bharat which provides health security to about nine crore people who have already availed the Ayushman Bharat and the Central Government has expended Rs. 1.3 lakh crore on this programme. Therefore, every rupee or penny that would be now collected on the GST we are assured will be expended on such welfare schemes keeping the welfare and progress of the citizens of our country in mind.

Sir, the concern here amongst the States is that if it would actually affect their revenues. We must realise that it would not affect the State revenues because the 42 per cent share of the Central tax devolutions that should go to the State, as has been recommended by the 15th Finance Commission, would stand as it is, and it has already been outlined by the hon. Union Finance Minister that this GST compensation removal was actually a time-bound initiative that was brought in and it was agreed upon by all the States. So, it is not a coercive decision that is being taken by the Central Government today.
(1420/NKL/IND)

So, the only concern here would be the farmers, the farmers who are indulging in the growing of tobacco. In our country today, we have six million farmers who are dependent on the tobacco crop, and 20 million labourers who are dependent on this crop. Above this, we have about 36 million people who are involved in processing, exports, and so on and so forth.

So, through you, I would like to appeal, to the hon. Union Minister for Finance, that along with the Ministry of Commerce and Industry and also the Ministry of Agriculture, we must ensure that the security of these farmers is kept intact and that the issues relating to them are taken into account. It is important to recognize that the farmers are not averse to any decision that the Government may take related to the health of the country. Rather, they will definitely seek support from the Central Government when it comes to crop diversification.

There was once an initiative taken to diversify farmers who were involved in tobacco growth. Subject to correction, around 1,10,000 acres have actually been diversified by farmers into various other crops. However, I think, the interests of the other six million farmers that I am talking about today need to be protected. It is a strong appeal and prayer that I have to the hon. Minister.

Therefore, having gone into every minute detail, we must realize that this calibrated tax adjustment fiscal step is to ensure that we have a healthier and more productive workforce. Today, when we talk about the youth, we recognize that 65 per cent of India's population is under 35 years of age. When we say they are under 35 years of age, we are actually referring to a large pool of human resources that can become very productive for our country. Therefore, Sir, this is to ensure that we have a healthier and more productive human resource pool to help us realize the dream of achieving a Viksit Bharat by 2047. Thank you.

(ends)

1422 hours

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

This Bill is being brought to compensate for the cessation of the compensatory cess on tobacco products. I understand the logic of why this Bill is being brought, and I accept the reasoning that the Finance Minister has stated. The Statement of Objects and Reasons clearly indicates that the aim is to protect tax incidence and maintain revenue from tobacco after the compensation cess is discontinued. So, there is a logic behind why this Bill is being introduced, and I accept that logic.

When Shrimati Purandeswari spoke before me, she alluded to the problem but did not present a solution. As she rightly said, we have 1.35 million deaths in India because of tobacco use. In fact, 27 per cent of all cancer cases are attributed to tobacco. About 8.5 per cent of the young people aged between 13 and 15 use tobacco products. The economic loss for our country due to tobacco use is nearly Rs. 2 lakh crore annually. Thus, tobacco imposes a huge cost on this nation. I am not suggesting that we ban cigarettes. It is because prohibition never works. I know this Government is sometimes very fond of banning things, but I am not suggesting to ban anything. Banning will simply push the issue to the underground market and the black market, and people who are addicted will somehow find a way to get it. In fact, there is a contrary thought regarding the spurious liquor cases that happen in India. Why are people consuming spurious liquor? It might sound contrarian and even controversial when I say this. As regular liquor is not affordable, they go and buy spurious liquor, which is cheaper. Therefore, believing that by increasing prices of tobacco products, you will actually lower consumption, is wrong. What will happen is the emergence of spurious manufacturers, and people will find alternatives. I am not suggesting you lower taxes, but I am stating that if you believe increasing taxes will lower the consumption, that does not work at all.

(1425/VR/KDS)

In fact, we really need to think about this very, very carefully. I understand the logic of this Government in raising compensatory taxes. The topic of tobacco usage is beyond politics. There is no partisan view in this. We as a society must really think about this.

Successive Governments have only used tobacco products to increase revenue. But we have never addressed the problem that tobacco is causing. Dr. Purandeswari said that there are six million farmers, who cultivate tobacco. There

are 20 million labourers who are working in these tobacco lands. There are more than 35-40 million people involved in the industry. But we are not thinking about how to move them to other sectors. No Government has come up with any plan on how to migrate farmers from tobacco to other crops. What will people involved in the tobacco industry do? Can they be migrated to another industry? What are we doing to reduce consumption of tobacco? We do not consider all that. While we say it is bad, we keep taxing it, we keep getting more revenue, but we never really address the problem. If we think that merely raising taxes will reduce consumption, that is also not going to happen.

I think the time has come for us to act. Successive Governments have failed. I am not only pointing at this Government. No Government has come up with anything holistic to stop or to reduce tobacco usage. What are we going to do to reduce the usage of tobacco? How do we discourage people from using tobacco? There is no blueprint in this regard. This Government has no blueprint for it. There is no road map for it. Except for saying that we will tax it, and we are having these statutory warnings on these tobacco products, the Government will do nothing. I do not think that there has been any study which shows that because of those statutory warnings on tobacco products, tobacco usage has actually gone down. The real problem here is how do we address tobacco usage, how do we reduce tobacco usage, and how do we migrate people involved in the tobacco industry into other sectors?

The Finance Minister must also tell us whether by increasing this excise duty, if the prices go up, will it lead to counterfeiting? Will it lead to a black market? There is something known as a Laffer Curve in economics, which means if you keep increasing taxes, compliance goes down. Is there a point where the Finance Minister believes that beyond this, it will actually lead to more black-marketing? Will it only lead to more avoidance of tax as opposed to revenue collection?

While I understand the logic of the Government in bringing about this compensatory excise increase to offset the cess, the Government must come up with a holistic plan on how to reduce tobacco usage, how to migrate people who are working in the tobacco sector to other sectors. That is the real problem, and not merely tinkering with these things and just increasing revenue, the problem is going to resolve. While I understand the logic of why this is being brought, we should keep the big picture in mind. Thank you very much, Sir.

(ends)

1428 hrs

नरेश चन्द्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) : सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम-1944 में संशोधन करने वाले विधेयक वर्ष 2025 पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

महोदय, मैं इस सदन में न तो किसी बड़े उद्योगपति की और न ही किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी, बल्कि उन लाखों गुमनाम हाथों की आवाज बनकर आया हूं, जो सुबह 4 बजे से तंबाकू की पत्ती तोड़ते हैं। जो रात के अंधेरे में लालटेन की रौशनी में बीड़ी लपेटते हैं। जो सुपारी के बगीचों में दिन-रात मेहनत करते हैं और जिनके घरों के चूल्हे इन्हीं छोटे-मोटे कारोबारों से जलते हैं। इनका नाम न तो अखबारों में छपता है,न टीवी पर दिखता है। इनके पसीने से इस देश की अर्थव्यवस्था में हर साल हजारों करोड़ रुपये का योगदान आता है। आज सरकार बिना इनकी सुनवाई के इन्हीं लोगों की रोजी-रोटी पर भारी टैक्स व नया स्वास्थ्य सेस थोपने जा रही है।

महोदय, हमारे इलाके में तंबाकू की खेती होती है। सरकार तंबाकू, बीड़ी,गुटखा पर नया टैक्स लगाने की बात कर रही है। यह नियम बिना सोच-विचार, बिना गरीब मजदूरों, किसानों की हालत देखे लाए जा रहे हैं। फतेहपुर में उत्तर प्रदेश के आस-पास तंबाकू की खेती बहुत बड़ी तादाद पर होती है।

(1430/CS/PBT)

महोदय, छोटे किसान और छोटे उद्यमी इससे बुरी तरह से दब जाएंगे। ऊपर से महंगाई बढ़ेगी, बाजार छोटा होगा और किसानों की खरीद कम हो जायेगी। नया सेस मशीन के हिसाब से लगेगा। इससे छोटे कारखाने, पत्ती छंटाई वाली यूनिट और घरों में काम करने वाले परिवारों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य का फायदा होगा, लेकिन गांव का सच यह है कि मजदूर, किसान का रोजगार पहले से ही कमजोर है। यह कदम उस पर और चोट करेगा।

महोदय, हमारी मांग है कि इसे जल्दबाजी में पास न किया जाए। आज हमारे देश के अंदर एक झटके में 28 परसेंट जीएसटी के ऊपर 50-60 परसेंट का सेस और मशीन आधारित कर लगा देंगे, तो क्या होगा? बड़ी कंपनियां तो अपना दाम बढ़ाकर निकाल लेंगी, लेकिन छोटे बीड़ी कारखाने, पत्ती छंटाई वाले शेड, जहां 15 से 20 हजार बीड़ी रोज लपेटने वाली महिलाएं आदि, ये सब बर्बाद हो जाएंगे।

महोदय, यह स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन स्वास्थ्य तो तभी सुधरेगा जब दो वक्त की रोटी मिलेगी। मेरी मांग है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेज दिया जाए। तम्बाकू किसानों, बीड़ी मजदूरों, सुपारी उत्पादकों और छोटे उद्योगों के प्रतिनिधियों को बुलाकर सुनवाई की जाए। इसको मशीन आधारित न किया जाए।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : पटेल जी, इससे राज्य को भी नुकसान होगा। जो कंपेनसेशन सेस है, उसका हिस्सा राज्य को ही जायेगा।

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) : महोदय, आपके जिले में धान होता है और धान की वह बर्बादी है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। धान 1600-1700 रुपये में लिया जा रहा है और

उसकी एमएसपी 2369 रुपये है। आप भी तो इस पर ध्यान दिया कीजिए। आप इधर बैठते हैं तो क्या हुआ, लेकिन धान के आप किसान हैं, आपके जिले में धान पैदा हो रहा है।

महोदय, मेरा यह कहना है कि प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर वैकल्पिक फसल और रोजगार की ठोस योजना बनायी जाए। जल्दबाजी में विधेयक पास हुआ तो गांव का गरीब आदमी एक बार फिर कुचला जायेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश में अगर यह महंगा हो जायेगा तो विदेशी कंपनियां यहां पर स्मगलिंग कराएंगी और स्मगलिंग के माध्यम से इस देश का उत्पाद खराब हो जायेगा। आज हमारे देश में इसमें भारी वृद्धि सिगरेट्स आदि को महंगा बना सकती हैं, जिससे विदेशी स्मगलिंग ब्रांड्स की खपत होगी।

महोदय, इससे सस्ते उत्पादों की ओर रूझान बढ़ सकता है, जो स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाते हैं और कर संग्रह को नुकसान पहुंचाते हैं। इस विधेयक में ऐसे श्रमिकों, किसानों के लिए संक्रमण योजना या सुरक्षा प्रावधान नहीं हैं, जिनकी आजीविका इस पर क्षेत्र आधारित है। इसमें कर वृद्धि की प्रभावशीलता की समीक्षा का अभाव है। विधेयक में यह नहीं है कि सरकार खपत, अवैध व्यापार या राजस्व पर बड़े प्रभाव का नियमित आकलन करेगी, जो नीति निर्माण के लिए आवश्यक होता है। माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा तम्बाकू का काम होता है। बीड़ी के पत्ते का काम होता है। उन गरीबों की हालत पर ध्यान देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। ये विशेषज्ञ भी हैं, ये मुख्यमंत्री रहे हैं। इन लोगों के द्वारा बैठकर इसके बारे में ठीक से विचार किया जाए ताकि छोटे किसानों का और जो तम्बाकू उत्पादक हैं, बाद में मशीनों में वह प्रोसेस होता है, वह अलग विषय है, लेकिन उन छोटे लोगों पर इसका बड़ा भारी बोझ पड़ेगा। इसलिए मेरी मांग है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेज दिया जाए। धन्यवाद।

(इति)

1434 hours

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Shri Sougata Ray Ji.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Central Excise (Amendment) Bill, 2025 brought forward by the Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman. Once again, it has fallen on the Finance Minister to mobilise resources for the Government due to which she has brought about this Bill.

It has been stated in the Statement of Objects and Reasons that with the introduction of GST, Central Excise Act was repealed by Section 174 of Central GST Act except in respect of goods listed under entry 84 of List I of Seventh Schedule to the Constitution. This includes tobacco and tobacco products. With the levy of GST and compensation cess on tobacco and tobacco products, the rates of central excise duties were reduced significantly to allow for levy of compensation cess without large impact.

(1435/SNT/MNS)

In order to expand the fiscal space to increase the rate of Central excise duty on tobacco and tobacco products, and thereby protect the overall tax incidence, it is imperative to amend the table in Section 4 of Schedule IV to the Act. Now, why was this brought about? Products such as cigarettes, cigars, hookah, tobacco, chewing tobacco, zarda, and scented tobacco currently attract 28 per cent GST plus a hefty compensation cess that varies by product, and in some cases, goes as high as 290 per cent. This cess was originally introduced in 2017 to compensate States for the GST-related revenue loss and was extended until March 2026 to help repay loans taken during the COVID period. These loan repayments are expected to be completed by December. After that, the compensation cess will cease, which would otherwise lead to a sudden fall in the tax incidence on tobacco. Therefore, the Government plans to replace the cess with a new Central excise duty. According to the Statement of Objections and Reasons, the Bill seeks to give the Government the fiscal space to increase the rate of Central excise duty on tobacco and tobacco products so as to protect tax incidence.

This change aligns with the GST Council’s September decision to discontinue the compensation cess on all goods except tobacco and to transition to a two-rate GST structure while reserving a 40 per cent slab for ultra-luxury and sin goods. If enacted, the Bill will replace the GST compensation cess on tobacco with a Central excise duty, allow the Centre to revise excise rates to match current local overall taxation levels, ensure revenue neutrality by keeping the tax burden on sin goods unchanged, create a permanent taxation structure instead of a temporary

cess, and maintain tobacco under the highest GST bracket of 40 per cent once the rationalised slabs come into effect. In any case, we are opposed to cess because it is wholly consumed by the Central Government. The States do not get any part of it.

Under the new law, the GST compensation cess on tobacco will be replaced with a Central excise duty, the Centre will be able to revise excise rates to match total taxation levels, and revenue neutrality will be ensured. Now, there are two Bills. After this Bill, another Bill will come on pan masala, on which the Minister for her own reasons stated that the pan masala tax will be helping both health and national security. I will discuss that when that Bill comes up. This measure will ensure that the total tax incidence on tobacco and pan masala remains unchanged, replace the compensation cess with a permanent excise duty, introduce a new machine-capacity-based cess on pan masala to bolster public health, and prevent revenue loss to the Centre once the compensation cess ends at the end of this year.

This Bill will formally end the compensation cess on tobacco products such as cigarettes, cigars, chewing tobacco, and zarda. The Centre will gain authority to impose and revise a new Central excise duty on tobacco under the amended Central Excise Act, 1944. The aim is to keep the overall incidence of tobacco – currently a mix of GST and compensation cess – at a high level even after the cess expires.

(1440/RTU/MLC)

Now, what was the logic behind compensation cess? It was an additional charge. The compensation cess was levied on certain goods and services in India designed to compensate States for potential revenue losses following the implementation of the GST while largely merged into the new GST slabs. As on September 2025, it continues to apply to tobacco and tobacco related products. The purpose was to protect the revenue of manufacturing-heavy States which were expected to lose tax income under the consumption-based GST system. As per the mechanism, the revenue collected from the cess was put in a dedicated fund and disbursed to States based on a formula that projected 14 per cent annual growth.

Goods originally covered applied to luxury and sin goods including luxury cars, aerated drinks, coal and tobacco products. The 56th GST Council meeting, which was a very important meeting, streamlined the tax structure leading to the cess being integrated into a new consolidated GST rate for most luxury and sin goods. For example, luxury cars and aerated drinks are subjected to 40 per cent

GST which includes the cess component. Now, this cess is extended till 31st March, 2026 but is solely focused on repaying loans the Central Government took during the COVID-19 pandemic. So, the remaining cesses are still subjected to a separate compensation cess in addition to their GST rate. The cess will continue for these items until the outstanding loan and interest obligations are fully discharged. The Bill has been introduced in the Lok Sabha. Now, the Bill, in its Schedule, details the different types of tobacco products, starting with unmanufactured tobacco, tobacco refuse, which includes sun-cured country tobacco; tobacco for manufacture of Bidis, not stemmed; tobacco for manufacture of hookah, flue-cured Virginia tobacco. It also includes cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes of tobacco or tobacco substitutes, including cigars, cheroots, cigarillos, cigars and cheroots, cigarettes containing tobacco other than filter cigarettes, other than filter cigarettes, filter cigarettes of length (including length of the filter, the length of the filter being 11 millimetres or actual length), filter cigarettes of length (including length of the filter, the length of teh filter being 11 meters or its actual length). All this will fall under this and there are other manufactured tobaccos, for instance, water pipe tobacco, hookah or gudaku tobacco, smoking mixture for pipes and cigarettes, on which in any case, a lot of tax is put. As I mentioned earlier, this has been forced. The Government has been compelled because the cess is going and Government has to make up the revenue loss.

Now, this brings me to the end of my deposition regarding my submission on the fiscal matter. But here, while speaking, both Purandeswari ji from the Ruling Party and Shri Karti P. Chidambaram from the Opposition mentioned the moral question of the Government depending on tobacco and tobacco products for its resource mobilisation. They mentioned how many people are affected by cancer due to tobacco. I have been a smoker myself and I am trying to kick the habit because people say that I will not live for five years if I cannot kick the habit.

(1445/AK/GG)

So, this moral question is before the Finance Minister. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): He can become a brand ambassador to create awareness about it.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The moral question is before the Finance Minister as to whether the Government has any role in controlling the consumption of tobacco in reducing the health problems. The Finance Minister is silent about it.

HON. CHAIRPERSON: Sougata Dada, the time allotted for your Party is only nine minutes, and I have already given you 12 minutes.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Good thing! I am speaking, Sir. … (*Interruptions*) Why would we appreciate Shri Jagdambika Pal unless he encourages us?

HON. CHAIRPERSON: Try to conclude now.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): So, this question remains whether fiscal instruments can be used to reduce consumption of tobacco. What alternative is now there? There is now only mention on the packet 'cigarette smoking is injurious to health'. Somebody writes, 'cigarette smoking can even cause death'. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Sougata Dada, you should not address Shri Nishikant Dubey ji. You should address only the Finance Minister.

… (*Interruptions*)

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): No, he is not talking to him. … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Nishikant is the favourite child of the ruling Party. Hence, I try to respond to him. … (*Interruptions*) He is a favoured child. You will see that he will speak four times every day. … (*Interruptions*) So, this question has been raised. The contrary opinion has been voiced by the Samajwadi Party. He said that so many people are dependent on tobacco. Purandeswari ji asked what will happen to six million tobacco farmers and 20 million tobacco workers. An alternative has to be found for them. I do not belong to the JD(U), but Nitish Kumar ji took a bold decision to establish prohibition in Bihar, which gave him good electoral advantage. He must have lost revenue, but still he took that bold decision. Has that reduced illicit liquor in Bihar or not? This is a question to be probed.

Now, the question is this. Can the Finance Minister show courage, boldness, and take a moral stand: "No, as Finance Minister, I do not want to encourage any type of smoking including cigarettes, cigars, hookah, and everything? This is the principal moral question which has been put before the Finance Minister.

While one cannot object to resource mobilization by the Government for raising revenue, one must pose the question where this revenue will come from. It seems that all Governments, whenever there is shortfall in revenue tax cigarettes, etc. This means indirect encouragement. The economists have to delve into the question whether increasing price of cigarettes, etc. has reduced consumption of tobacco.

With this question, I leave it to the Finance Minister to respond to the moral question raised before her whether by increasing the tax the Finance Minister is encouraging or discouraging smoking.

(ends)

1449 hours

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Central Excise (Amendment) Bill, 2025.

The hon. Finance Minister has explained very clearly about the need for this particular Bill at this particular juncture because the GST Compensation Cess, which has to come to an end and has come to an end, and this taxation has to be adjusted so that the revenue is not lost. The earlier speaker from the BJP had highlighted about the diseases that can be caused due to smoking. Apart from lung problems like COPD or bronchitis or cancers of the lung or oral cancers, you would be surprised to know that not only the lungs, but it also affects other organs like it affects the eye. There is a condition called tobacco amblyopia, which can affect your vision. There are also cancers, which can happen outside the lungs like in the pancreas or urinary bladder.

(1450/SRG/YSH)

So, there are multiple implications of this. When it comes to passive smokers, of course, they are inherently more affected because they are in a confined space. When they have a person who is smoking, they breathe very very normally which allows more time for the smoke to settle down into their lungs and create more problems. So many people had mentioned about the effects and how it should be curtailed etc. In fact, the Member from Congress had said that increasing the prices or the taxes is not going to deter the smoker from smoking. I would like to mention that I have worked as a surgeon in hospitals, and in Tamil Nadu specifically, in Southern India, we have a condition called as *thromboangiitis obliterans*. This is a condition which affects the blood circulation of the legs and this specifically occurs in people who smoke *bidis*. In these hospitals, I have seen hundreds of patients who smoke *bidis,* who come up where they will end up with amputation of their legs. So, I have seen cases where they get amputated in one leg. They continue smoking, and then they lose the other leg, and I have seen the worst case where both the upper limbs also had to be amputated; with the stumps, he was still smoking the *bidi*. So, to say that increasing the price is going to deter people from smoking is an argument which I would definitely not accept because even though they know that it is harmful for them, they do not have the motivation for doing that.

I would like to bring it to the knowledge of this House that during the UPA Government, they came out with one programme for effectively curbing smoking. They brought a law which made smoking in public places a criminal act. That one

single act has brought in so much of discipline in almost all places of this country. This is something which has happened internationally, because I have been travelling abroad and everywhere smoking in public has been banned. In fact, I would like to recall that in the Central Hall in the Parliament, there used to be an ashtray. When I came here, I was told that there used to be an ashtray over there and Members used to be smoking over there. When you go to hotels and when you go to cinema theatres, when you step outside during an interval, you will find that the whole place is like a movie scenario that will be fully filled up with fog and smoke. This kind of situation used to be there. This single act of banning smoking in public place will provide relief to all the non-smokers, especially families. So, I would like to take this opportunity to tell this Government to do something about ways of preventing people from smoking. So many people keep saying that raising taxes will not curb smoking. I would like to give my suggestions. In each and every Parliamentary Constituency or each and every block, you make available a place where quitting smoking can be initiated. There are several medications, several formulations which are available. … (*Interruptions*) You start that thing, then I will start with me. You first start doing this in all these places and we will work on that.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): You please address the Chair.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, we have to understand. Everybody has spoken about the ill effects of smoking and the amount of expenditure the nation incurs because of the smokers. It runs into several thousands, if not lakhs of crores. So, I feel that investing back on our population to make sure that they have a smoke free life, you should probably set up centres in each and every Parliamentary Constituency or in each and every block where you say that you will be giving free medications for people who are motivated to stop smoking. If you do that, even if there is a 10 per cent or 20 per cent reduction, I feel that it will go a long way in improving the quality of life for not only the smoker, but also to his whole family and friends. Also, when we are talking about this excise duty, I am assuming that this is going into the divisible pool where the other States also have to be benefitting out of this. I would like to say that this divisible pool is something where our hon. Chief Minister has said that it should be increased from the present 41 per cent to 50 per cent. Sir, when our hon. Prime Minister was the Chief Minister of Gujarat, he has spoken so much about the differences and the inequalities where the Union Government has not provided enough for the State Governments. So, I would like to take this opportunity to insist that 50 per cent of the Union funds collected should be used for devolving to the States where all the States will benefit from this.

Thank you very much. With these words, I conclude my speech. (ends)

(1455/SM/STS)

1455 hours

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, the previous speaker, Kalanidhi Veeraswamy ji, spoke very emotionally on this topic.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): He is a doctor. He is a surgeon.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, He is a doctor, and he explained all the ill effects of smoking. But he himself still smokes 40 cigarettes a day, That is the problem we have in this country.

HON. CHAIRPERSON: Is it necessary to disclose this on the floor of the House?

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): In the last 25 years, as a developing country, we have done exceedingly well in at least conducting the anti-tobacco campaign across the country. I have seen, over the last 25 years, how many changes have taken place.

We used to see many people smoking in public, in theatres, in all these places. But because of an effective campaign, this has been brought down. I also remember, when there was a Grand Prix happening, every car in the F1 race used to carry the advertisement of a tobacco company. But when the race happened here in India, they had to make sure that those were removed. That sort of aggressive campaign, as a developing country, we have done in the last 25 years. But still, we need to do more.

Before I continue with my speech, I want to congratulate and I want to compliment our Finance Minister on GST 2.0. It has brought inflation drastically down; it has made many goods cheaper. Not only that, we have seen the numbers that have come out regarding the GDP for these three months, which is almost 8.2 per cent. I do not see any other major economy in the world growing at that speed and that too after 50 per cent tariffs have been levied on India. But still we are growing at 8.2 per cent. So, we are doing extremely well.

Sir, coming to the Bill, I support it for two reasons. The first is the significance of the excise duty in this country. If you look at the numbers, in

2021–22, almost Rs.3.9 lakh crore were collected. In 2022–23, Rs.3.19 lakh crore were collected and in 2023–24, it reduced to Rs.3.05 lakh crore. So, there is a huge collection of excise duty happening. I feel this Bill is very much needed.

The second reason I support it is because the amount is now moving from cess into the divisible pool, which many colleagues from the Opposition have been asking for, so that the States can get greater benefit. I think something good is happening, and I hope everyone can compliment the Finance Minister for that. These are the two reasons for which I support this Bill.

But I have two grievances and one clarification. The Finance Minister has already clearly addressed the clarification in her introduction. But coming to my two grievances, previous speakers have already elaborated on the tobacco farmers and the people dependent on tobacco growing and processing. This year, there was a peculiar situation in my State and in my constituency. There was huge production of tobacco. Many people shifted to tobacco in the last crop year. Production was very high.

On one side, we are running an anti-tobacco campaign. We are discouraging them from growing it. We are trying to wean tobacco farmers away to other crops. But on the other side, there was this huge production and many farmers participated in it. When I enquired about this, it turns out that there are firms like ITC and GPI. I know the Agriculture Minister is here. He has been trying to do contract farming in various other crops. I do not know how successful it has been in those crops. But in tobacco farming, contract farming has gone to the next level.

These firms, ITC and GPI, in the 2024-25 season, went to the farmers and signed contracts saying, “You grow it, we will purchase it.” That is what they told them and because of that, there has been huge percolation. In my constituency, normally there are many chilli farmers and cotton farmers. But they moved into tobacco because these contracts were signed.

(1500/MM/GM)

Once this huge production has come in, and these tobacco companies say we cannot buy this, the price has come down drastically. The State Government had to intervene and had to purchase their tobacco. We spent Rs.278 crore last year to purchase tobacco so that farmers do not get hit. So, there is a contradiction that is happening.

On one side, we are saying, ‘let us not do this; let us not grow tobacco; let us take tobacco farmers to some other crop.’ But on the other side, the State Government has to come in and has to pitch in its money and purchase tobacco.

Hon. Finance Minister and hon. Agriculture Minister are here. We have put in this much money into this. We want you to work with companies like ITC and GP to make sure farmers are not left in this fashion. But on the other side, please help our State also. We have put in so much money. We are a cash-strapped State.

My second grievance is with regard to the CSR fund these companies are spending. Where are they spending it? The ITC, which is headquartered in my constituency Guntur, runs into around Rs.2000 crore profit every year.

When I tried to enquire where they are spending their CSR fund, I found that they are spending it everywhere but not actually for the farmers; they are not helping the farmers on the ground. Again, this is a total contraction between what we are trying to do and what the companies are trying to do.

First, talk to these companies and make sure that they do not give these false promises to the farmers. Second, talk to these companies and make sure that they spend CSR fund in those villages where farmers are there. That will be helpful for them.

Coming to the clarity that I requested with regard to the proposed 70 per cent duty on the unmanufactured tobacco under HS Code 2401, it was very clearly mentioned by you and I thank you for that. I hope this will give a lot of relief to the small traders who are very much dependent on this.

(ends)

1502 बजे

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2025 पर सदन में चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम-1944 में संशोधन का यह प्रस्ताव पेश किया है, जो कि समय के अनुरूप अपेक्षित है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से तंबाकू सिगरेट, सिगार, हुक्का, जर्दा, पान मसाला आदि का उपयोग बढ़ा है, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी नुकसानदायक है और शायद प्रस्तावित हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस के माध्यम से उपकर लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। आशा है, इन हानिकारक वस्तुओं का उपयोग कम होगा। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा।

सभापति महोदय, यह प्रस्तावित बिल मौजूदा जीएसटी कम्पनशेसन सेस की जगह लेगा, जो अभी पान मसाला पर नया सेस लगेगा। प्रस्तावित विधेयक में उन मशीनों पर मंथली सेस लगने का प्रस्ताव है, जो 2.5 ग्राम तक से लेकर 10 ग्राम से अधिक वजन वाले प्रति मिनट 500 पाऊच तक का उत्पादन करती है, उस पर मासिक उपकर एक करोड़ रूपये से करीब साढ़े आठ करोड़ रूपये तक होगा और जो मशीन प्रति मिनट 501 से 1000 पाऊच उत्पादन करती है, उस पर प्रति मशीन उपकर करीब दो करोड़ रूपये से 17 करोड़ रुपये प्रति माह लगाने का प्रस्ताव है। फिर 1001 से 1500 पाऊच या उससे अधिक पाऊच प्रति 2 मिनट बनाने वाली मशीन पर उपकर प्रति माह और अधिक हो सकता है, साथ ही मैनुअल प्रक्रिया वाली उत्पादन पर भी उपकर लगेगा ही।

(1505/MK/GTJ)

यह सेस एक गेटवे को खोल सकता है। उत्पादन करने वाली मशीन पर भी पहली बार टैक्स की व्यवस्था हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चिन्ता का विषय हो सकता है। इस पर सरकार को पूर्णरूपेण ट्रांसपरेंसी प्रक्रिया की व्यवस्था करनी चाहिए। जब आप एक बार उत्पादन क्षमता पर उपकर लगा देंगे तो फिर उत्पादन की जाँच कैसे होगी? उसके लिए इंस्पेक्टर को बहाल करना होगा। उससे फिर इंस्पेक्टर राज आएगा, जो ईज आफ डूइंग बिजनेस के लिए घातक होगा।

दूसरा, सरकार उत्पादन क्षमता की बात करती है। अब मैन्युफैक्चरिंग में प्रति माह मांग के अनुसार उत्पादन किया जाता है। जब मांग कम होगी, तो उत्पादन में स्वतः कमी आएगी। किन्तु उपकर तो देना ही होगा, जो उत्पादक के लिए हानिकारक होगा।

सभापति महोदय, जीएसटी कानून बनाने के समय वर्ष, 2017 में सेस लगाने के लिए मात्र पाँच सालों का निर्णय लिया गया था, जिसको कोरोना के कारण मार्च, 2026 तक बढ़ाया गया था। अब फिर से इस प्रकार का टैक्स अतिरिक्त बोझ हो सकता है। वैसे भी इस सेस से राज्यों को अलग रखा गया है।

आशा है, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इस पर विस्तृत जानकारी सदन और देश की जनता को देने का काम करेंगी। जैसी मुझे जानकारी है कि दिसम्बर में राज्य सरकारों को मुआबजा देने के लिए कर्ज पूरा चुका दिया जाएगा वर्ष 2026 की समय सीमा के अनुसार सेस समाप्त हो जाना चाहिए। प्रस्ताव ने नये सेस और नई एक्साइज ड्यूटी लगाने का रास्ता खोल दिया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय उत्पाद बिल, 2025 का समर्थन करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1507 hours

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): The Central Excise (Amendment) Bill, 2025 is presented by the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman in this House and that is being discussed.

Till now, various speakers have spoken on different subjects. The basic idea, as it is given in the Objects and Reasons of the Bill, that compensatory cess which was being applied hitherto, will discontinue. In place of that, naturally, that excise duty will be applied and the tax incidence will be taken care of. I think, no one in this House would support that tobacco and these products be encouraged for human consumption. What we have seen of years together, rather decades and centuries too, is that tobacco is harmful for human consumption. The steps are being taken by various Governments at regular intervals to see that it is discouraged at early level. The issue is not about the excise duty which is being laid, which need be in place.

I congratulate the hon. Finance Minister for doing that. It is because, by that the compensatory cess or the National Calamity Tax, which was being collected through this, is going away and along with 40 per cent of GST, excise duty will be laid up and tax incidence is taken care of. But, the issue what is being cited by other speakers also is that millions of farmers are there, though their number is a bit small as compared to agrarian country that our economy is. But, of course, the labour in that same proportion is dependent on that also and their livelihood comes into question. When we say that these issues are everywhere, but particularly, if I speak about my State, Maharashtra, there is Vidarbha region and in districts of Solapur or so, there are jungles of tobacco growing plants. The leaves of the plants are plucked up and brought together. That is how the economy works over there.

(1510/HDK/ALK)

It may be in the form of unorganized economy or informal economy, I would say, that still exists and is still prevelant in the State of Maharasthra. But it has a sizeable number and that also needs to be taken care of while coming out with the measures the Government deems fit. This should be discouraged. But, at the same time, one thing I would like to bring to your notice that the schools, colleges, the institutions are also dragged, in a big way, along with

tobacco, because the students, the young generation is trapped under the menace of drugs. That also needs to be looked into by the Government.

It is true that tobacco causes pollution, environmental hazards, but at the same time, the Government should also pay heed to the environmental pollution that is happening, the kind of smog we are experiencing in Delhi, apart from tobacco issue. It is being experienced in Maharashtra and Mumbai also, and that also needs to be taken care of. You see the burning of the buds in the farms in the parts of Harayana and Rajasthan and all that. With the wind, it flows and the continuous smogging takes place. That is also vitiating the environment and very detrimental to the health of the people of the country. That also needs to be discouraged at every level.

There is nothing much to be mentioned about this because this is a welcome step which is being taken and, it is out of context though, our hon. Finance Minister is sparing no stone unturned to see that the Central Exchequer gets maximum revenue from every corner possible. At the same time, I would request her that – it is not the part of the Bill and has nothing to do with the Bill – the general insurance industry employees are waiting for their wage revision. Time and again, I have been after you, and you have been kind enough to show your consent also, but it is not happening. I think, you will take congnizance of the fact and accord, which has already been approved by you, and in the coming few days, we will get a good news. Madam, I commend the Bill.

Thank you.

(ends)

1513 hours

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I stand here to speak on the Tax Bill and I stand here on behalf of our party to support the hon. Finance Minister's Bill. Sir, I would like to ask for just a few clarifications from the hon. Finance Minister. We whole-heartedly support the Bill and that is the sense of the House today. But there are larger issues that I would like to ask her and I think that is where I would like to take the debate to, and that is, what has really been the objective of this Bill. I appreciate the increasing of prices. But if you really look at it largely, what are the Ministries which really need to be involved while implementing something like this? I would like to know: is only tax collection the incentive and the objective of this Bill, or are we looking at the collected tax? There is nothing wrong in that. That is a legal way and that is how a country is run and development happens.

At the same time, I would like to ask, is health a high priority? I come from Maharashtra, Sir, the Home, Finance, Health, Agriculture and the Food and Public Distribution are the five Ministries which really need to work together in the larger interest of the the suggestions that have come from all the MPs.

Sir, ours is the first State in the country to ban *gutkha*. But I, with full humility and heavy heart, must admit that in Maharasthra *gutkha* is available everywhere and in plenty, not just in small quantities. We banned it but it is there. Even if we do ban things, is it really the outway, because I was the only one to say हां, बैन कर दो, बैन कर दो but now I think, whether it a wrong decision. Should we have increased the tax, it would have been better than illicit *gutkha* being distributed. Another angle, I appreciate what Krishna ji said in his speech. He made a lot of issues on ITC, the development, the CSR, but I would like to add a small point to that. All these products, like *gutkha* or any tobacco products, are not allowed to advertise.

(1515/PS/CP)

I appreciate the point of Prof. Sougata Ray ji. He also said that make more signages on them. There are ample signages everywhere now. Smoking is not cool. I was in a generation where Bollywood movies showed that machoism was about smoking. But today's generation is exactly the opposite. You are shamed if you are seen smoking. Even, in a movie, it says that

smoking is injurious to health. So, I think, society, at large, globally, has done things like this to shame people for smoking. But unfortunately, what happens is that in all these brands, or in any gutka brand, they look at other comfort products. Like there are gutka products. The name is same as that of water. So, they sell water. The brand is the same but psychologically, when you are watching that ad, you do realize कि यह गुटखे वाला है, वही पानी बना रहा है, वही बिस्किट बना रहा है, चार और प्रोडक्ट्स बना रहा है, पता नहीं और भी क्या-क्या बना रहा है।

The symbol is same and the designing is same. So, we really need to look into this soft advertising that all these gutka kings of India are doing indirectly. I do not know what its solution is, but we must do it because it is in the larger interest of all my friends. I think it is one of the most wonderful debates today. Both Professor Sahab and my friend Kalanidhi – who is not here now – have spoken against smoking. You know that उम्मीद पर दुनिया कायम है। So, I am hoping that there will be a change even in them.

But, hon. Chairperson, Sir, I would like to ask a few questions to the hon. Finance Minister. I appreciate her for bringing in the Bill. But what is really alarming today is that walking around in Delhi is like smoking 50 cigarettes a day. I would like to urge her. I even spoke to Bhupender ji the other day. I was fortunate enough to meet him in the Parliament. Why do you not develop a consensus in the Parliament and give us targets? Give targets to every Member of Parliament where we can help you -- and assist you in building a better society -- for pollution, for smoking, and for all these larger social issues. कभी तो राजनीति छोड़कर हम सबको देश के लिए कुछ करना चाहिए। So, can we do something for smoking and can we do something for air pollution? So, if you also give us some targets … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Hon. Member, she had mentioned your name.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I was praising him. I took Kalanidhi ji's name because I really appreciate his intervention.

But is there something that we can do more for air pollution?

HON. CHAIRPERSON: Today, he has shown his determination.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I hope he does something. For all the solutions that he has made for making pockets in every village, if he gives

us a solution from Tamil Nadu, we will implement it in Maharashtra to stop smoking. … (*Interruptions*)

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): I will give you a solution for entire India.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I will be happy to take it and we will give your name also. But, I think, if there is something that we can together do for this, we would be very happy.

Hon. Purandeswari ji talked about welfare State. I appreciate her efforts. She is one of the finest Parliamentarians we have. But do we really want India to be a welfare State? I mean I come from a State which recently had an election, and a programme, which the hon. Shivraj Singh ji started in Madhya Pradesh and which was a very big success, was used in Maharashtra for *Ladli Behnas*, and it was effectively implemented before the election. But what happened to the welfare after elections? आफ्टर इलेक्शन पता नहीं। शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र में हुआ। इसमें 25 लाख महिलाओं के नाम कम किए गए। So, I do not think that this whole welfare business is really the right way forward. What really is the objective? I go back to my first point as to what is the objective. Even as regards the farmers' issue, I appreciate Shivraj Singh ji's work. He was the most kind to ask when Maharashtra had a huge rainfall. हमारे यहां बहुत बारिश हुई। He was one of the Ministers who reached out to our Government. He was the most helpful. He wanted to come and help us in our State. He himself said, 'कि जो भी लगेगा, हम यहां से दे देंगे।'. But it is unfortunate to say, with a heavy heart, that the Government of Maharashtra has still not sent him a proposal. महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि कमेटी बनेगी। कब उसकी रिपोर्ट आएगी, उस पर क्या होगा? I really appreciate … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Yes, Shri Shivraj Singh ji. Please, if you can yield.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Yes, please. I will be happy if you do it.

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बाढ़ की जो भयानक त्रासदी आई थी, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपना प्रपोजल 27 तारीख को केंद्र सरकार को भेज दिया है। मैं केवल इतना करेक्ट कर रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रपोजल भेज दिया है।

माननीय सभापति : आपने जब जानकारी ली होगी, तब यह नहीं हुआ होगा, लेकिन अब वह आ गया है। इसकी जानकारी माननीय कृषि मंत्री जी ने दे दी है।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : यह इनका बड़प्पन है। ये सरकार को बचा रहे हैं। आज ही मैंने महाराष्ट्र में कृषि मंत्री जी से बात की। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। हमारा एक सर्वे हो रहा है। उसके बाद कमेटी बनेगी, उसकी बाद में रिपोर्ट आएगी।

माननीय सभापति : माननीय कृषि मंत्री जी ने ऑन रिकार्ड कहा है।

श्री शिवराज सिंह चौहान : प्राकृतिक आपदाओं के मामले में मैं लगातार राज्य के सम्पर्क में रहता हूं। उन्होंने सचमुच में प्रपोजल भेज दिया है।

(1520/SK/SNL)

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): माननीय मंत्री जी, बहुत वरिष्ठ हैं। हमें महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन इनसे है। So, I will trust you. कृष्णा जी ने कहा- We are one of the fastest growing economies. We are happy if we are, but maybe he missed it in his reading.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Evasion is about 8.2 per cent, apart from this.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I am not sure; I am confused because I am not a finance expert. मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं। मैं जो थोड़ा-बहुत पढ़ लेती हूं, उससे ही कुछ समझ में आ जाता है। एक रिपोर्ट आई है, शायद फाइनेंस मिनिस्टर इसे क्लेरिफाई कर सकें। यह बात पेपर में आई है, आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है – that our situation is slightly different from what Krishna ji was saying. So, I would appreciate and request the hon. Finance Minister to clarify this. The world needs to know where India really stands. If the IMF Report has downgraded and given wrong information about India, we need to correct it to make sure that there is no wrong perception and information about India.

I think these are the limited points. I do not think we have any more suggestion to make, but we appreciate the efforts.

HON. CHAIRPERSON: Your time was only three minutes, but you spoke for more than eight minutes.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, you are very kind to me for overindulging me.

I will support the Bill wholeheartedly, and I hope the objective is very clear to reduce smoking and make sure that the tobacco farmer does not get hurt, and we can always find that Shivraj Singh ji जरूर इसके लिए कुछ अच्छा करेंगे।

(इति)

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Supriya. A good debate is going on.

1521 बजे

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : माननीय सभापति जी, मैं केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे देश की अर्थव्यवस्था और जन स्वास्थ्य से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात रखने का अवसर दिया।

मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतरमण जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने न केवल देश के राजस्व को सुरक्षित रखने बल्कि देश की युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाने के लिए साहसिक और दूरदर्शी कदम उठाया है। जीएसटी और इनकम टैक्स रिफार्म्स के बाद यह ऐतिहासिक सुधार है जो विकसित और स्वस्थ भारत की नींव को मजबूत करेगा।

हम सब जानते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जीएसटी सेस कम्पेनसेशन लगाया गया था। जब यह सेस समाप्त होने जा रहा है तो आशंका थी कि तम्बाकू उत्पादों पर टैक्स कम हो जाएगा, देश के राजस्व को भारी नुकसान होगा और कीमतें कम होने के कारण इसका सेवन बढ़ सकता है। सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और अब द सैंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 की चौथी अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है। सरकार कम्पेनसेशनल सेस की जगह एक नई लेवी और एक्साइज ड्यूटी लगा रही है ताकि टैक्स का ढांचा बना रहे और राजस्व भी सुरक्षित रहे।

इस विधेयक के तहत जो कड़े प्रावधान किए गए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। तम्बाकू और उससे जुड़े उत्पादनों पर 40 प्रतिशत जीएसटी के साथ 70 प्रतिशत या इससे अधिक सेस लगाने का प्रस्ताव है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 40 प्रतिशत जीएसटी से ऊपर नहीं जा सकते लेकिन अब 70 प्रतिशत या इससे ज्यादा सेस लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

सिगरेट की लंबाई और फिल्टर के आधार पर प्रति स्टिक 2700 रुपये से 11,000 रुपये तक की स्पेसिफिक ड्यूटी तय की गई है। इतना ही नहीं अनिर्मित तम्बाकू पर 60 से 70 प्रतिशत और निकोटिन इन्हेलेशन उत्पादन पर सौ प्रतिशत की ड्यूटी लगाने का प्रावधान भी किया गया है। यह कदम उठाना इसलिए जरूरी था क्योंकि सिगरेट, हुक्का, जर्दा और तम्बाकू जैसे उत्पादन समाज के लिए घातक हैं, अगर इन पर टैक्स कम होता तो ये और सस्ते हो जाते और इससे समाज में ज़हर और तेजी से फैलता। सरकार ने टैक्स के बोझ को बरकरार रखकर देशहित में फैसला किया है। यह बिल सिर्फ अर्थशास्त्र की दृष्टि से ही सही नहीं है बल्कि जीवन की रक्षा के लिए भी सही है। आज तम्बाकू हमारे देश के लिए महामारी बन चुका है। हमारे देश में हर साल तम्बाकू सेवन से 13.5 लाख यानी 1.35 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है।

(1525/SJN/SMN)

ग्लोबल ट्रेड सर्वे यानी जीटीएस टू और अन्य रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि तंबाकू के कारण देश में सालाना 1,77,341 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है। यह हमारी जीडीपी के एक प्रतिशत से भी ज्यादा है।

महोदय, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जितना कर का संकलन करती है, हम उससे कहीं अधिक रुपये तंबाकू से होने वाले कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज पर खर्च कर देते हैं। हमें इसके माध्यम से सीखना चाहिए। यह हमारी युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। आज हुक्का बार, वेपिंग मशीन और फ्लेवर्ड तंबाकू के नाम पर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। जब कोई युवा इसकी चपेट में आ जाता है, तो इसकी कैद से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है।

महोदय, सेन्टर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के आंकड़े बताते हैं कि भारत में नशा छोड़ने की जो दर है, वह बहुत ही कम है। व्यापक जागरुकता के बावजूद केवल सात प्रतिशत लोग ही बिना सहायता के नशा छोड़ पाते हैं। इसलिए इन उत्पादों को महंगा किया जाए, यह युवाओं को इससे दूर रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। एक जिम्मेदार सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के फेफड़ों को धुएं से बचाए और यह बिल उसी दिशा में एक सर्जिकल स्ट्राइक है।

महोदय, अंत में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। राजस्व का सही उपयोग हो। हम लोग टैक्स के माध्यम से जो कमाएंगे, इसके लिए रेवेन्यू यूटिलाइजेशन के इस बढ़े हुए सेस और एक्साइज ड्यूटी से राजस्व प्राप्त होगा, जिसका उपयोग केवल सामान्य बजट में न किया जाए, बल्कि मेरी मांग है कि इसका एक बड़ा हिस्सा कैंसर अस्पतालों के निर्माण और नशामुक्ति केन्द्रों (रीहैबिलिटेशन सेंटर्स) की स्थापना पर खर्च किया जाए।

महोदय, यहां पर कई सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं कि किसान ही खेती करता है, तब वह क्या करेगा? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो किसान तंबाकू की खेती पर निर्भर हैं, वे वैकल्पिक फसलें यानी अल्टरनेटिव क्रॉप्स की ओर अग्रसरित हों, जिसके लिए उन्हें विशेष पैकेज दिया जाए, ताकि उनकी आजीविका पर असर न पड़े।

सभापति महोदय, स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू के खिलाफ जागरुकता अभियान और तेजी से चलाए जाएं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में गुटखाबंदी है, मगर गुटखा सरेआम मिल रहा है। तंबाकू के माध्यम से बनाया गया गुटखा महाराष्ट्र में सरेआम बेचा जा रहा है। उसे सख्ती से बंद किया जाए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा कानून बनाना चाहिए। मैं यह मांग करता हूं।

सभापति महोदय, यह विधेयक आर्थिक समझदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का एक बेहतरीन संतुलन है। यह न केवल खजाने को भरेगा, बल्कि कई जिंदगियां भी बचाएगा। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पहला सुख 'निरोगी काया' के मंत्र को चरितार्थ किया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 का पूर्ण समर्थन करता हूं।

(इति)

1528 बजे

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : माननीय सभापति महोदय और इस सदन के मेरे साथियों, जय श्रीराम।

महोदय, मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 का पूर्ण समर्थन करता हूं। आज मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं खुद पिछले 50 सालों पूरी तरह से नशामुक्त हूं। मुझे याद है कि रामायण में अभिनय करने से पहले मैं चेन स्मोकर था। मैं दिन भर गुटखा खाता था। जब रामायण मेरे जीवन में आई, उस दिन से लेकर आज तक मैं नशामुक्त हूं। इसलिए मैं आज इस बिल के समर्थन में यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को लागू करता है। जीएसटी लागू के बाद इन उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई थी, क्योंकि कंपनसेशन सेस लगाया गया था। अब देश के राजस्व की सुरक्षा के लिए एक्साइज ड्यूटी को नए सिरे से व्यवस्थित करना जरूरी है। यह बिल तंबाकू, सिगरेट और पान-मसाला जैसे सिन गुड्स पर केन्द्रित है। इसका उद्देश्य इन चीजों पर पहले की जीएसटी प्लस सेस व्यवस्था को हटाकर नई टैक्स संरचना लाना है। इससे सरकार का राजस्व ढांचा बदलेगा।

यह बिल तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि तंबाकू की लत सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग और कई जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए सरकार का यह कदम जन स्वास्थ्य की सुरक्षा यानी स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करेगा।

(1530/DPK/RP)

सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है कि लोग तंबाकू का सेवन कम करें और युवा पीढ़ी इस लत से दूर रहे। इस बिल का उद्देश्य है, सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखना, ताकि देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे। यह बिल समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी लाएगा। यह बिल जन स्वास्थ्य और रेवेन्यू को मजबूत करने की एक आवश्यक पहल है। तंबाकू और अन्य हार्मफुल प्रोडक्ट्स पर 40 परसेंट जीएसटी और बढ़ी हुई एक्साइज़ ड्यूटी का प्रस्ताव जनता के हेल्थ प्रोटेक्शन और सोशल वेलफेयर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बिल का उद्देश्य हार्मफुल वस्तुओं की खपत कम करना और देश के विकास के लिए आवश्यक संसाधन सुरक्षित करना है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बिल किसी भी नागरिक या उद्योग पर अनावश्यक बोझ डालने के लिए नहीं है, बल्कि भारत के टैक्स बेस को मजबूत करने, हेल्थ रिस्क वाले उत्पादों को नियंत्रित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए है।

मैं सरकार के इस निर्णय की सराहना करता हूं कि उसने पब्लिक हेल्थ फर्स्ट की सोच के तहत यह मजबूत कदम उठाया है। तंबाकू पर बढ़ा टैक्स लोगों को इससे दूर करने में मदद करेगा और देश में बीमारियों का बोझ कम करेगा। कैंसर, सांस तथा प्रेग्नेंसी में होने वाली बीमारियों को बढ़ाने वाले तंबाकू, सिगरेट इत्यादि पर एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाना लोगों को इन बुराइयों से दूर रखने के लिए एक अच्छा कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए पहले केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य पर ऑलरेडी एक लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हमेशा देशहित को प्रथम रखकर कार्य कर रही है। यह बिल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस बिल का पूर्णतया समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।

(इति)

1532 hours

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): Hon. Chairperson, Sir, I rise to register not just my opposition to this Bill but also my deep concern over the *ad-hoc* or short-sighted decisions that the Government is taking and also manipulating the taxation system since the time GST started.

The Central Excise (Amendment) Bill, 2025 is another example. The Government is in the habit of taking *ad-hoc* decisions, non-participative decisions, and then compensating for its own problems by introducing more and more bills and pretending to rescue the nation. Let us be very clear. This Bill is neither about public health nor about national security. It is about filling a fiscal hole created by the Government's own failed GST implementation and its irresponsible borrowing.

Sir, the Government introduced GST with fanfare saying that we will have “one nation, one tax”. Since the day it has been introduced, it has been ‘one nation and constant confusion’. For eight long years, the Government failed to manage GST revenues transparently, share it in time with the states; and created a lot of problems for the states. The so-called compensation cess, which was actually proposed for only five years, became a never-ending burden. It is primarily because of the Centre’s failed attempt to protect revenues and also the reason it took massive loans, and then used the compensation cess to pay its own debts. Today, instead of admitting that the GST has been riddled with design flaws, and technical failures, the Government brings an amendment and sells it as a public health reform, which is absolutely misleading.

Sir, this Bill claims to maintain tax incidence, but what it actually does is, it is going back to the pre-GST era. So basically now, we will have GST, Central Excise, and then cess also. So basically, all the reform ideas which were proposed, I think, again we are going to have multiple confusions in the GST regime. This Government has achieved something extraordinary. They are bringing back the pre-GST tax structure. They managed to invent an even more complicated, cumbersome, and oppressive tax.

Sir, now the manufacturers, especially small-scale and traditional businesses, will be crushed under the compliance requirements. We will see the details later. If it is about health issues, if it was about protecting the people

from the ill issues of tobacco, which was discussed for so long, the Government actually should have spent more on cancer treatment, de-addiction programs, and other things. But, this is just a fiscal arrangement which the Government is doing. Sir, there is absolutely no clarity. Probably, we will have to wait for the companion bill also which may explain where this cess will go, or how much cess is going to be collected which will later be transformed into outcomes.

(1535/VPN/PC)

The major issue for which I am opposing this Bill is also for the larger GST landscape, where States are repeatedly being ignored, compensation dues are chronically delayed, rate decisions are driven by political compulsions and not economic logic and rate inversions cause chaos for MSMEs. The entire GST, which is supposed to be in a co-operative federal structure, is completely not running in the way it should be running.

This Bill is nothing but a continuation of the same undemocratic style of functioning, centralisation of power, decentralisation of blame and also *ad hoc* decision making, introduce one more Bill, one more Bill and then destroy all the reform process that you have brought in.

Sir, if the Government is truly committed to reducing these harmful consumptions, it should go into other methods and not put a technical thing as a public health reform. I think the Bill is just a compensation for what problems are created through GST. It should not have taken so long. But to push it as a public health reform is something I do not think is in good interest. I oppose this Bill for this *ad hoc* method in which GST is being handled. The entire federal structure and the federal decision making process is being compromised in this country.

(ends)

1537 बजे

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, आज मैं सदन में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, यह विधेयक केवल कर उगाही तक सीमित होता, तो यहां बहुत बहस की आवश्यकता महसूस नहीं होती। लेकिन, बिंदुवार तथ्यों की जांच से बहुत स्पष्ट हो रहा है कि सिन-टैक्स की आड़ में ऊंचे कर निर्धारण के क्रम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं किसानों की आय जैसे विषयों पर पड़ने वाले असर को अनसुना ही नहीं किया गया, बल्कि यह बड़े कॉर्पोरेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देने वाली नीति साबित होगा।

सभापति महोदय, सरकार को यह बिल लाते समय ध्यान रखना चाहिए था कि बीड़ी, तंबाकू एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के उत्पादन में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 40-45 लाख लोगों को रोजगार उत्पन्न होता है। इसमें खास तौर से महिलाओं को अपने घरेलू कार्य के इतर आमदनी का एक वैकल्पिक जरिया हासिल होता है, जिससे उनका अपना तथा उनके परिवार के लोगों का भरण-पोषण होता है।

अगर हम बीड़ी जैसे उत्पाद को देखें, तो पहले जहां 1,000 बीड़ी की संख्या पर एक-दो रुपए टैक्स देना पड़ता था, इस संशोधन के बाद दस प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। इसके चलते कुटीर उद्योग आधारित उत्पाद महंगे होने के चलते संस्थागत कॉरपोरेशन और मजबूत उद्योग मशीन आधारित उत्पाद प्रणाली के जरिए बाजार पर कब्जा कर लेंगे। इसका दुष्परिणाम होगा कि इससे छोटे और कुटीर उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार पर व्यापक असर होगा, जिसकी भरपाई के किसी वैकल्पिक प्रबंध की व्यवस्था इस विधेयक में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा इस विधेयक से जटिल कर ढांचा और ऊंची कर लागत से कुटीर एवं असंगठित क्षेत्र के उद्योग, खास तौर से बीड़ी और तंबाकू जैसे उद्योगों के बंद होने से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें कोई पुख्ता प्रावधान दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में केवल रोजगार पर ही असर नहीं होगा, बल्कि असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों का दिवालिया हो जाने का खतरा भी मंडराता रहेगा। तंबाकू और पान मसाला पर लगने वाला जीएसटी राज्यों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत रहा है। इसकी जगह नए कर ढांचे से राज्यों पर वित्तीय प्रभाव क्या होंगे, इसकी चर्चा इस विधेयक में कहीं नहीं दिखाई दी है। इसका जवाब माननीय मंत्री महोदया अपने उत्तर में देने का जरूर प्रयास करेंगी। इन उत्पादों के सेवन से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटना राज्य सरकारों के ऊपर एक बोझ के समान होता है। सरकार के द्वारा यहां पर एक और तर्क दिया जा रहा है कि ऊंचा टैक्स रेट लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, मेरा अपना अनुभव इस तथ्य को झुठलाता है। सरकार द्वारा इस व्यवस्था से अर्जित अतिरिक्त रकम से किसानों को वैकल्पिक खेती, वैकल्पिक रोजगार एवं तंबाकू उन्मुखीकरण (de-addiction) जैसे कार्यक्रमों में इस्तेमाल की व्यवस्था कहीं भी दिखाई नहीं देती है। सरकार की मंशा इससे स्पष्ट हो रही है।

क्या भारत सरकार बिहार, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में तंबाकू खेती और प्रसंस्करण में लगे लाखों किसानों एवं मजदूरों के लिए वैकल्पिक खेती तथा वैकल्पिक रोजगार के लिए किसी विशेष प्रावधान का विचार रखती है? क्या सरकार सिन-टैक्स की आड़ में कर भार से केवल बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाना चाहती है?

अत: माननीय मंत्री महोदया अपने उत्तर में जरूर इन सभी बिंदुओं पर विषयवार जवाब देने का प्रयास करेंगी। धन्यवाद। (इति)

(1540/UB/SPS)

1540 hours

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, this Bill amends the Central Excise Act, 1944. Sir, after GST was rolled out in 2017, excise duty remained only on tobacco and related products. With the GST compensation cess ending as the loans to compensate States are repaid, this Bill restores fiscal space by shifting that burden into core excise.

Under Article 2, Schedule IV, Section IV, tariff items 2401-2404, the Bill replaces the entire tobacco tariff table in Section IV. It imposes about 70 per cent duty on unmanufactured tobacco, strong specific duties on cigarettes per thousand sticks, higher duties on chewing and smoking mixtures, and clear rates for new nicotine products.

Sir, I would like to highlight the positive outcome of the Bill. Regarding tariff items 2401 10-20, 2401 30-00, a uniform high duty on all unmanufactured tobacco types and tobacco refuse reduces disputes and makes compliance simpler for farmers and traders. Regarding tariff items 2403 99 10-30, a very high duty on chewing and scented tobacco supports public health goals while preserving the revenue.

Under Article 1(2), Financial Memorandum, the shift from cess to excise protects Centre's revenue without fresh budgetary outgo and supports medium-term fiscal planning.

Sir, I have a few questions. Regarding tariff items 2402 20, how will the length-based slabs be monitored so that cigarettes are not mis-declared against 65mm, 70mm and 75mm to reduce duty? Regarding tariff items 2403 19 21-29, what safeguards will stop machine-made bidis being shown as hand-made to claim the concessional rate? Regarding tariff items 2404 12 00, 2404 91-99 00, when will the final duty rates be notified for fast-growing oral and transdermal nicotine products? Regarding tariff item 2403 99 70 versus 2403 99 10, how will diversion of low-tax cut tobacco into high-tax chewing tobacco be prevented across State borders?

With these comments, I support this Bill.

(ends)

(1545/NKL/RHL)

1545 hours

SHRIMATI MAHIMA KUMARI MEWAR (RAJSAMAND): Hon. Chairperson Sir, I rise today to speak in support of the Central Excise (Amendment) Bill, 2025, which, in my respectful submission, is not merely a fiscal adjustment but a decisive step towards strengthening our nation's public health architecture. For that, I would like to thank our hon. Prime Minister as well as our hon. Finance Minister.

भारत वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के मंत्र के साथ विकास की साधनारत् है। इसके विकास में महिलाओं, युवाओं और अन्नदाता किसानों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जीएसटी सुधार के माध्यम से करों के स्तर को सरल किया गया है, जिसके माध्यम से देश में मांग में वृद्धि हुई है और उसका परिणाम अभी जीडीपी की 8.2 परसेंट ग्रोथ से भी देखा जा सकता है। इसके लिए हमारी माननीय मंत्री, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के स्वास्थ्य की चिंता करना भी जरूरी है। इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए अभी पूरे देश में सांसद खेल प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ अन्य प्रकार से भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाये जाने के उपाय किए जा रहे हैं। इस क्रम में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशे के उत्पादनों के प्रयोग में नियंत्रण को हतोत्साहित करने के क्रम में इस संशोधन बिल को देखा जाना चाहिए।

This Bill becomes necessary at a time when the GST Compensation Cess is being gradually phased out. Without corresponding safeguards, harmful products such as tobacco would inevitably become cheaper and more accessible, particularly in rural and semi-urban markets where enforcement challenges remain acute. The proposed increase in excise duty ensures that the overall tax burden on tobacco products remains stable, so that affordability does not rise and consumption does not spike. This approach reflects responsible governance, balancing fiscal rationality with the fundamental obligation to protect the health and welfare of our people.

The real impact of this legislation must be understood not in economic abstractions, but in its effect on ordinary families, children, and village communities. In small towns and rural belts across the country, beedis, gutka, and inexpensive cigarettes remain dangerously easy to obtain. Young adolescents encounter tobacco not behind closed doors, but in public spaces, school-adjacent kiosks, weekly rural markets and roadside shops.

Experimentation begins early, often before young minds fully understand the consequences of addiction. This early exposure translates into long-term dependence, deteriorating health, educational dropouts, and increasing medical expenditure for families that can least afford it. In many agricultural and tribal communities, we see a parallel reality of undernutrition, school absenteeism, and growing health hazards directly connected to tobacco-use among adults and adolescents alike. A lot of children do not go to schools because they use all these things. When families spend their limited income on addictive products, resources meant for food, education and healthcare suffer.

By sustaining price deterrence through calibrated tax policy, this Bill intervenes at the most vulnerable entry point of addiction. Price remains one of the strongest barriers preventing children and youth from initiating tobacco use. When products remain unaffordable, experimentation reduces, progression to habitual use declines, entire patterns of household consumption change, parents reduce usage, children remain protected from exposure, and community health gradually improves. In this sense, the Bill serves as a protective shield around young Indians who constitute our demographic dividend, ensuring that future generations remain healthier, more educated and more productive.

India continues to confront an alarming burden of tobacco-related non-communicable diseases ranging from oral cancers to lung ailments and cardiovascular disorders. These illnesses do not strike in isolation; they devastate families emotionally and financially. Rural populations, daily-wage earners and low-income households face the worst consequences, often arriving at hospitals only when disease has reached advanced and costly stages. Preventive public policy, therefore, must remain our primary defence. Alongside discouraging consumption, this Bill also ensures that revenue generated from harmful commodities strengthens national healthcare capacity.

Under the present Government's leadership, our medical infrastructure has seen historic expansion. The number of AIIMS institutions has tripled, medical colleges have doubled nationwide, and the Ayushman Bharat Scheme has delivered treatment access to crores of beneficiaries.

(1550/VR/KN)

The philosophy guiding this legislation is both practical and principled. The economic burden created by harmful products is redirected into building hospitals, training doctors, and guaranteeing medical insurance for the poor. Vice, in effect, finances public virtue.

Concerns regarding State revenues deserve serious attention and have been responsibly addressed through this legislative structure. The removal of the compensation cess does not diminish the constitutionally guaranteed share of States in Central taxes. Adjustments in excise duty simply preserve overall revenue neutrality while ensuring that pricing deterrence remains intact. States continue to receive forty-one percent of the divisible tax pool as determined by the Finance Commission, and absolute financial devolution under the current Government has reached unprecedented levels. This Bill does not compromise cooperative federalism. Rather, it aligns fiscal federalism with public health priorities by ensuring uniform protection across all regions of the country.

Equally important is the need to reassure farmers and bidi workers whose livelihoods depend on tobacco cultivation and processing. This Bill does not target production, it addresses consumption alone. The Government has parallelly promoted crop diversification programs that have already shifted lakhs of acres away from tobacco cultivation into sustainable agricultural alternatives. Income-support schemes, skill assistance programmes and rural welfare initiatives continue to protect worker livelihoods while facilitating transitions where feasible. This balanced policy ensures that we do not trade one social harm for another. Rural incomes are protected even as public health objectives advance.

Another area where clarity is needed is enforcement against illicit tobacco trade. Global experience shows that smuggling flourishes where regulatory systems are weak, not where taxes are strong. This legislation is supported by a strengthened enforcement ecosystem involving digital tax stamps, track-and-trace mechanisms, and coordinated action among Customs, GST authorities and the Directorate of Revenue Intelligence. These initiatives have already led to record seizures and dismantling of organized smuggling networks. Higher excise duties do not weaken enforcement; they enhance its effectiveness by incentivizing systematic monitoring and accountability.

Sir, the most profound justification for this Bill lies in the future we owe our children. Tobacco addiction strikes at the physical vitality, educational attainment, and economic productivity of our youth. It undermines classrooms before it weakens hospitals; it erodes human capital before it appears on Government balance sheets. In a nation preparing itself for a developed future, safeguarding the health of the next generation cannot be secondary to fiscal adjustments. This legislation embodies that long-term vision. It ensures that a technical transition in tax policy does not generate a social setback in public health.

The Central Excise (Amendment) Bill, 2025 therefore represents a thoughtful convergence of governance priorities, fiscal discipline, social equity, healthcare investment, federal stability, rural protection, and youth welfare. It is legislation rooted not merely in numbers but in human outcomes. By maintaining the deterrent pricing of tobacco products, this Bill protects children in classrooms, families in villages, and workers in our towns from avoidable suffering. It stands as an example of policymaking that prioritizes prevention over cure and welfare over expediency.

With deep conviction, I support this Bill and commend it to the House as a necessary and humane measure in the national interest. While Supriya ji was saying that we should not do politics in it, and we together have to work on this, looking at the condition of our young generation, I will say that this is something where we have to work together. To achieve the goal of Viksit Bharati -2047, we all have to work together.

With these words, I support the Bill and would extend my gratitude to the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister for bringing in this Bill in the House. Thank you.

(ends)

(1555/ANK/PBT)

*SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Hon Madam Chairperson. Vanakkam I thank you for allowing me to speak on the Central Excise (Amendment) Bill 2025. This Bill proposed for increasing the excise duties for tobacco and tobacco related products. If consumption of tobacco is reduced with increasing the excise duties on tobacco, then we can welcome that initiative. In fact, this Bill proposes to increase the excise duty just for the sake of income generation. Usage of tobacco products is directly affecting our younger generation. If we cannot completely ban the usage of tobacco, we can at least make an effort minimise its consumption. This Bill aims to reduce the Cess on tobacco, and as a way of compensation, it proposes to increase excise duty for such tobacco products. But due to this change, there is no income for the States. While introducing GST during 2017, since majority of the income of the State Government is transferred to the Union Government, it was assured by the Union Government to provide compensation against the losses faced by the States concerned. This Bill says that the time limit for providing such a compensation comes to an end. They have not created alternative ways for income generation by States. Even this increase in Excise duty will not help the States and their fiscal position. The States are forced to be dependent on the Union Government for taking any decisions relating to fiscal management. Still an alternative income is generated for the States, this compensation amount should be released for the States. It is estimated that as many as 40 million or approximately 4 Crore tobacco producers and sellers are engaged in this Industry. They should be provided with alternative sources and plantation of other crops for their livelihood. In Tamil Nadu there are lakhs of labourers who are engaged in Beedi manufacturing. Tobacco production should be reduced. Usage of tobacco should also be reduced. If by increasing the Excise duty, the usage of tobacco and tobacco related products is reduced, it is a welcome step and I wholeheartedly welcome that. Thank you.

(ends)

* Original in Tamil

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : माननीय श्री रमाशंकर राजभर जी।

1559 बजे

SHRI VARUN CHAUDHRY (AMBALA): Sir, there is no quorum in the House.

माननीय सभापति : घंटी बजाई जा रही है -

अब गणपूर्ति हो गई है।

माननीय सदस्य, श्री रमाशंकर राजभर जी, आप अपना भाषण शुरू करें।

… (व्यवधान)

(1600/RAJ/SNT)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : कोरम पूरा हो गया है। श्री रमाशंकर राजभर जी।

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया सदन में बैठें, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है।

1600 बजे

श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर (सलेमपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, हमारा मुल्क परंपरा, सभ्यता बहुत दिनों से संजोए हुए है। हमारी परंपरा रही है कि शिष्टाचार की चार निशानी – आओ-बैठो, हुक्का-पानी। पुर्तगाल से 17वीं शताब्दी में तम्बाकू आया। हमारे देश में उसका विकल्प तेंदू पत्ता निकाल लिया। वह सिगरेट में भरने के लिए लाए थे लेकिन हमने उसे तेंदू पत्ता में उसे भर कर बीड़ी बना लिया। फिर उससे वह आगे बढ़ा तो वह पान में भी पड़ने लगा।

सभपति जी, वर्ष 1899 के दक्कन में भीषण अकाल के बाद बीड़ी का उत्पाद प्रमुख हुआ और यह सभी जाति वर्ग की बाधाओं को तोड़ कर हुक्के की शक्ल लेने लगा। स्वदेशी आंदोलन ने इसमें चार चांद लगा दिया और स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर स्वदेशी अपनाने में इसका काफी प्रसार हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बीड़ी उद्योग भारतीय समाज के सभी वर्गों को शामिल करने लगा और भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

महोदय, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बीड़ी भारतीय सैनिकों के राशन में भी सम्मिलित थी, आप इसी से इसकी महत्ता समझ सकते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। रोटी, व्यवसाय, शौक और आफत।

माननीय मंत्री जी, यह क्षेत्र गरीबों की रोटी का भी इंतजाम करता है। इससे चार बजे भोर में उठकर तेंदू पत्ता तोड़ने वाली महिलाओं की रोजी-रोटी चलती है। इससे हमारे मुल्क की आदिवासी-दलित इलाकों के गरीब लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ... (व्यवधान) मैं व्यवसाय की ओर भी आ रहा हूं। व्यवसाय की स्थिति यह है कि इससे कुछ लोग व्यवसाय भी करते हैं और यह कुछ लोगों का शौक भी है। मंत्री जी, सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और अंत में आफत आती है। हम उत्पादन करते हैं। हम पैकिंग के समय उस पर लिख देते हैं कि यह जानलेवा है, इसमें कैंसर हैं। हम उत्पादन भी करते हैं और पैकिंग भी करते हैं। विषय यह है कि हम इस पर जो कर लगा रहे हैं, उस कर से जिनकी रोटी चल रही थी, उनको कितना लाभ हो पाएगा? क्योंकि वे तो वहीं रहेंगे। अगर वे वहां नहीं रहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने जहां-जहां कर बढ़ाया है, शराब को देख लीजिए। बिहार और गुजरात में शराबबंदी हुई, तो वहां शराब महंगी हो गई। वहां कालाबाजारी बढ़ी और वहां शराब महंगे दामों पर मिलने लगी। दो-तीन चीजों के संबंध में यह बड़ा प्रश्न है कि हम कह रहे हैं कि कर बढ़ाने से स्वास्थ्य सुधरेगा लेकिन अवैध कारोबार बढ़ेगा। हमने कर बढ़ा कर यह देख लिया है। हमने कर बढ़ाया तो उसके बाद उसमें कितनी कालाबाजारी बढ़ी है।

दूसरा प्रश्न है कि छोटे उद्योग और मजदूरों का क्या होगा? तम्बाकू, बीड़ी, पान, मसाला फ्लेवर इंडस्ट्री से लाखों किसान जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि इस बजट से जो आय होगी, हम वह प्रदेशों को देंगे। अगर हम वह प्रदेशों को देंगे और उस आय को स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे तो मैं

आपसे आग्रह करता हूं, मंत्री जी मैं आपका आभारी हूं कि आप अच्छा काम कर रही हैं लेकिन इससे जितनी आय हो रही है, इस व्यवसाय में लगे कृषि विभाग को दे दीजिए।

(1605/NK-RTU)

कृषि विभाग से कहिए कि इसे किसान को दें और किसान को दूसरी तरफ मोड़े, तभी जाकर किसानों का भला होगा और विपत्ति से छूटकारा मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, सरकार यह कह रही है कि पैसा स्वास्थ और सुरक्षा पर खर्च होगा, पिछले वर्षों में लगे सैकड़ों करोड़ रुपये का कितना हिस्सा नशा मुक्ति कार्यक्रमों में लगा, कितने हेल्थ सेंटर बनाए गए, कितनी जागरूकता मुहिम चली। यह सच है कि सार्वजनिक जानकारी केवल उसी को जन्म देती है जहां पर सावधानियों का कोरम सा पूरा हो जाता है। लोग कैंसर से मर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि इसी उत्पाद की बदौलत 27 परसेंट तक लोग कैंसर से मर रहे हैं। बिना तम्बाकू खाने वाले भी मर रहे हैं, लेकिन जिस कर से लाभ होगा, उस कर से रोटी जिसकी चलती है, उनका क्या होगा? इस कर से जो इस व्यवसाय में लगे हैं, उनका क्या होगा? इस कर से जो शौक पाले हुए हैं, जो आफत आयी हुई है, इस उत्पाद से होने वाली आय को क्या हम कैंसर पीड़ितों पर खर्च कर पाएंगे? जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इस बिल को तुरंत संसदीय समिति को भेजा जाए, इसका स्वास्थ्य और सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाए। एमएसएमई और कुटीर उद्योगों और छोटे उत्पादकों के लिए विशेष राहत प्रावधान जोड़े जाएं, हेल्थ सिक्योरिटी को पारदर्शी और जनहित में यह सुनिश्चित किया जाए, जब तक ये सुधार नहीं होंगे, हम इसमें और सुधार की मांग करते हैं। इस बिल को निश्चित रूप से स्टैन्डिंग कमेटी में भेजा जाए ताकि इससे प्रभावित होने वाले हर पक्ष की बात संज्ञान में आ सके। धन्यवाद।

(इति)

1607 बजे

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, आज मैं इस सदन के समक्ष एक ऐसे विषय पर अपनी बात रखने आया हूं, जो केवल अर्थव्यवस्था और राजस्व का मुद्दा नहीं है बल्कि यह जन स्वास्थ्य, राष्ट्र निर्माण और भारत के भविष्य की सुरक्षा का विषय है।

(1610/IND/AK)

महोदय, आज हम जिस Central Excise (Amendment) Bill, 2025 पर चर्चा कर रहे हैं, वह केवल एक वित्तीय संशोधन नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ सुधार है। यह संशोधन बहुत आवश्यक था। सन् 1944 में बने कानून की चौथी अनुसूची आज की पीढ़ी, आज की तकनीक और आज के बाजार की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती है। तंबाकू उद्योग पिछले 15 वर्षों में तेजी से बदल गया है। Heat-not-burn products, Nicotine delivery devices, सुगंधित तंबाकू, फ्लेवर मिक्स उत्पाद, सुपारी-आधारित मिश्रित उत्पाद, और E-nicotine variants जैसे आधुनिक उत्पाद मौजूद हैं, जिनकी कोई स्पष्ट कर-संरचना नहीं थी। क्या हम 1944 के नियमों से 2025 की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं महोदय, इसलिए यह संशोधन अनिवार्य है। यह कठोर सत्य है कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता है। हर वर्ष लगभग 10 लाख से अधिक लोग तंबाकू संबंधित बीमारियों से मरते हैं। लाखों लोग कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों और हृदय रोगों का शिकार होते हैं। यह केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि यह हमारे घरों की त्रासदी है। यह हमारे समाज के दुःख हैं। यह हमारी युवा पीढी की खोती हुई ऊर्जा है। “तंबाकू सस्ता होगा, तो नशा बढ़ेगा। तंबाकू महंगा होगा, तो राष्ट्र बचेगा।" WHO की रिपोर्ट साफ कहती है कि तंबाकू पर बढ़ा हुआ टैक्स-सबसे प्रभावी नियंत्रण उपाय है। इस संशोधन में हमने Fourth Schedule को पूरी तरह अपडेट किया है और उत्पाद शुल्क की नई संरचना जन-स्वास्थ्य और राजस्व दोनों को सुदृढ़ करने वाली बात माननीय वित्त मंत्री जी ने की है और इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

महोदय, इस संशोधन के चार प्रमुख लाभ हैं - जन-स्वास्थ्य को सुरक्षा, उच्च कराधान से उपभोग कम होगा, युवाओं की पहुँच घटेगी और लाखों परिवार बीमारियों से बचेंगे। इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तंबाकू उद्योग भारत के कर राजस्व में बड़ा योगदान देता है। नए संशोधन से सरकार को बड़ा राजस्व प्राप्त होगा, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीब कल्याण और बुनियादी ढाँचे पर खर्च किया जाएगा। अवैध व्यापार पर नियंत्रण स्पष्ट श्रेणियाँ होने से गैर-श्रेणीबद्ध उत्पादों पर कड़ी निगरानी संभव होगी। वर्ष 1944 के पुराने कानून को आधुनिक भारत के अनुकूल बनाना आवश्यक था। आज का भारत डिजिटल है, टेक-ड्रिवन है और नए प्रकार के निकोटिन उत्पादों का बाज़ार तेजी से बढ़ रहा है। यह संशोधन देश को समकालीन बनाए रखता है।

महोदय, यह बिल केवल एक कर संशोधन नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के स्वास्थ्य की रक्षा का संकल्प है। हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसा भारत दें जो धुएँ से मुक्त हो, बीमारी से मुक्त हो, और तंबाकू की जंजीरों से मुक्त हो। हमारा कर्तव्य है कि देश का हर बच्चा निकोटिन की

गिरफ्त से बचे। हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और हम राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में ऐसा निर्णय लेने का काम करें।

महोदय, यह बिल एक टेक्निकल अमेंडमेंट नहीं है। यह भारतीय उद्योग, भारतीय उपभोक्ता और भारतीय अर्थव्यवस्था तीनों के हित में लाया गया एक निर्णायक कदम है। हमारे यहां एक कहावत है कि 'पहला सुख निरोगी काया' और इसलिए चौथी अनुसूची में बड़ा संशोधन हुआ है। तंबाकू, निकोटिन, सिगरेट, गुटका, हुक्का और सभी संबंधित उत्पादों पर नई और अधिक प्रभावी एक्साइज ड्यूटी का प्रावधान किया गया है। इस बदलाव से इन हानिकारक उत्पादों के दाम बढ़ेंगे, खपत कम होगी और राजस्व में स्थिरता आएगी। मैं कहना चाहता हूं कि

"नशा नाश का दूसरा नाम और तन-मन-धन तीनों बेकाम,
देखा-देखी किया नशा, आदत बिगड़ी और बुरा फंसा। "

मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि युद्धों में मरने वालों से ज्यादा नशे से लोग मर रहे हैं। इस संशोधन से इस पर रोक लगेगी। जीएसटी कम्पनसेशन सेस को हटाकर स्थायी एक्साइज ड्यूटी लागू करने का काम किया है। यह दो प्रकार का लाभ देता है, एक तो सरकार को दीर्घकालिक राजस्व सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत संकेत। इसमें सेटलमेंट कमीशन को समाप्त कर नई इंटरिम बोर्ड फार सेटलमेंट की स्थापना की गई है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धाराएं – 32ए, 32बी, 32सी, 32डी, 32ई, 32एफ व अन्य में संशोधन करके एक अंतरिम बोर्ड बनाया जा रहा है, जो लम्बित मामलों में तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी निपटान करेगा। यह कदम ईज आफ डूइंग बिजनेस, जो मोदी जी का लक्ष्य है, उसे पूरा कर रहा है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म इसे मजबूती देगा। तम्बाकू उत्पादों पर व्यापक और वैज्ञानिक टैक्स स्ट्रक्चर अनमैनुफैक्चर्ड तम्बाकू पर लगभग 70 प्रतिशत तक नई एक्साइज ड्यूटी, सिगरेट पर ड्यूटी में काफी वृद्धि – प्रति 1000 स्टिक पर लगभग 2700 से 11000 तक की बढ़ोतरी की गई है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। चबाने वाला तम्बाकू, गुटका, निकोटिन पाउच आदि पर भी व्यापक संशोधन न केवल राजस्व बढ़ाएगा, बल्कि युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर लगाम भी लगाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि हमारे देश को बलिष्ठ युवाओं की जरूरत है। महामना जी ने कहा था कि 'ग्राम में हो कथा, ग्राम में हो पाठशाला।' मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से होने वाले प्रमुख लाभ राजस्व में स्थायित्व लाएगा और इससे जन स्वास्थ्य को सुरक्षा मिलेगी। इससे कर व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और पुराने जितने भी सेटलमेंट कमीशन की जगह इंटरिम बोर्ड्स बने हैं वे एक आधुनिक, तेज और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय वित्तीय अनुशासन आएगा। यह विधेयक भारत के दीर्घकालिक वित्तीय ढांचे को स्थिर और सक्षम बनाएगा। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 11वें नम्बर की अर्थव्यवस्था अब चौथे नम्बर की अर्थव्यवस्था बन गई है। जब युवा आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है क्योंकि संघर्षों के साय में असली आजादी पलती है और 'इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है।' भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, परंतु किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र की आधारशिला मजबूत कर प्रणाली, जवाबदेही और जन स्वास्थ्य की रक्षा होती है।

(1615/KDS/SRG)

यह संशोधन भविष्य की वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए दूरदर्शिता भरा उठाया गया कदम है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने का यह नैतिक प्रयास है। राज्यों को मजबूत बनाने वाला यह संवैधानिक निर्णय है। मैं इस सदन से आग्रह करता हूं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक-2025 को पूर्ण समर्थन देकर पारित किया जाए और देश के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाया जाए, जिससे हमारी पारदर्शिता और व्यवस्थित कर प्रशासन लागू हो सके। इस विधेयक के माध्यम से जो पुराने जटिल उद्योग बोझ बन चुके थे, वे फिर से नए रूप में आकर देश की बढ़ोत्तरी में योगदान देंगे। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अब सरकार राजस्व बढ़ाएगी और ईमानदार लोगों की रक्षा भी करेगी और दुरुपयोग पर सख्त प्रहार भी करेगी। अवैध उत्पादन, तस्करी पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, इस हेतु मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बार-बार नियम तोड़ने वाली बढ़ी हुई आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई और माल के गलत वर्गीकरण व फर्जी चालानों पर सख्त कार्रवाई इसके माध्यम से होगी।

महोदय, जो टैक्स चोरी को व्यवसाय समझते हैं, उन्हें विधेयक स्पष्ट संकेत दे रहा है कि देश का खजाना अब लूटना आसान नहीं होगा। उद्योगों के लिए राहत हेतु सरकार केवल दंडात्मक नीति नहीं बढ़ाती, बल्कि प्रोत्साहन व सुधार लेकर चलती है। छोटे व मझोले उद्योगों हेतु अनुपालन प्रक्रिया सरल की गई है। तकनीकी बदलाव में फाइलिंग व ऑडिट की परेशानी कम होगी। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने वाली रिफंड और क्रेडिट प्रणाली को व्यवस्थित किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि देश में उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े व मेक इन इंडिया मजबूत हो। इसीलिए उद्योग दायित्व में जब टैक्स सिस्टम सरल होता है, तो उत्पादों पर लागत कम होती है। इस संशोधन का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। अनावश्यक शुल्क समाप्त कर संरचना व्यवस्थित उत्पादों पर स्थित कीमत यानी उद्योग चलेगा और जनता भी बचेगी। विपक्ष बार-बार स्टैंडिंग कमेटी आदि के बारे में कह रहा है। देश के कई युवा वैसे भी नशे की गर्त में जा चुके हैं। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि वर्ष 1944 वाला कानून पर्याप्त नहीं था, इसलिए बदला हुआ कानून ही देश के लिए अच्छा है। विपक्ष केवल सुधारों से परेशान है। विपक्ष केवल देश की प्रगति से परेशान है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। जैसा ये किसानों की बात कह रहे थे, तो मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने फसलों के विविधीकरण हेतु एक बड़ा प्रयोग किया है। अनियमित तंबाकू व बीड़ी पर 64 से लेकर 70परसेंट शुल्क बढ़ाने का काम किया गया है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2017-18 व वर्ष 2021-22 में कुल 1 लाख 11 हजार 889 एकड़ भूमि को तंबाकू की खेती को वैकल्पिक फसलों में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है। यह मोदी जी की सरकार है। यह वर्ष 2025 का भारत है। इन संकल्पों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब देश के युवाओं के चेहरे पर तेज होगा, उनकी भुजाएं मजबूत होगी, तो देश अपने-आप आगे बढ़ेगा। इस निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं कि भारत के भविष्य की रक्षा हेतु इस बिल का पारित होना बहुत आवश्यक है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि हमारी नीति स्पष्ट, कर प्रणाली स्थिर व हमारी सरकार जवाबदेह है, इसलिए इस बिल को पारित करने हेतु मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय, नंदा मैया की जय। धरती मैया की जय। धन्यवाद।

(इति)

1619 hrs.

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Chairperson Sir, Vanakkam. I rise to speak on the Central Excise (Amendment) Bill, 2025. While some of the reforms in the Bill are technically necessary and the provisions are very good, but there are certain areas where I would like to seek some clarification on technical ground.

(1620/SM/CS)

On a positive note, the updation of old excise power provisions is welcome. The Central Excise law was drafted long before the GST era. This Bill removes those outdated sections and aligns procedures with the modern system. Digital filing and digital record-keeping are certainly welcome steps. Introducing firm timelines is also a positive feature of this Bill.

However, there are several grey areas that require clarification. The Bill contains vague and open-ended wording. For instance, it uses phrases such as “any other goods and “may be notified” and “any process and “may be prescribed” without defining the boundaries.

Let me give an example. Consider a small bidi unit in Ambur or Vaniyambadi in my own hamlet. They know exactly which processes attract excise today. But if tomorrow the Government issues a notification saying that even cutting leaves or warming tobacco is a new process attracting excise, they will have no protection because the law itself is open-ended. This creates uncertainty and is technically dangerous. This is one of the flaws on which I seek clarification from the Finance Minister.

There is excessive delegation of powers to the Executive. Many core tax conditions are being shifted out of the Act to the rules and notifications. This weakens Parliament’s control. If the rate of duty or conditions of exemption, say, bidi units, are left to notifications, a sudden midnight change could raise duties, cancel exemptions, or impose new compliance obligations – all without Parliament having any discussion. For an industry run by lakhs and lakhs of poor women, this is an unpredictable and fatal move.

There are other issues as well, such as retrospective effect. Suppose a bidi manufacturer has been told that their valuation method is acceptable as of now. If the Bill now says that the Department’s earlier view is legally valid retrospectively, the small unit could suddenly receive notices demanding five

years of back duty, five years of penalty, and even interest. This is not tax administration; this is economic punishment.

Compliance burdens on smaller units, especially bidi units, is another concern. The Bill increases reporting obligations and audit access without simplifying the procedures. I am talking only about the bidi units. A bidi-rolling unit operating from a small godown has no accountants, no computers, no GST consultants. If the Bill mandates digital registers, monthly statements, and detailed stock reconciliation, these small units are left with only two options: close down or unknowingly break the law. Lakhs and lakhs of workers, women, and labourers will be affected.

There is also the issue of misalignment of GST terminology. Definitions of manufacture, valuation, and removal must align with GST rules. But this Bill uses different language, creating a conflict. Under GST, rolling bidis is treated as supply of goods; under excise, it may be classified differently. This mismatch will push every small bidi unit into costly classification disputes in courts. It is a burden which they simply cannot bear.

Furthermore, the Bill strengthens inspection powers of authority. It expands the authority to conduct searches and seizures but does nothing to improve dispute resolution. If an officer suspects that a bidi unit has undervalued stock, he may seize goods immediately, yet appeals still take years. Small units cannot survive prolonged legal battles.

Sir, in Tamil Nadu, many women depend on bidi manufacturing. More than six lakh women roll bidis to support their families. They include widows, single mothers, elderly women, and home-based workers. A sudden rise in compliance requirements, valuation disputes, seizures, or retrospective demands will destroy this entire traditional industry.

(1625/GM/MNS)

This is not a tax issue. This is an issue related to women’s livelihood and rural economy in Tamil Nadu. I support this reform. I support the removal of harmful clauses. I support the Finance Minister. But I am just seeking certain clarifications. I support the intention to modernize the excise laws. I strongly oppose the provisions creating confusion and burdening the small industry and threatening the bidi workers in particular. Please protect the bidi industry from new compliance burdens. Please remove vague and unlimited delegated

powers on bidi industry. Please ensure there are no retrospective effects so that bidi industry is not penalized. Please align the excise definitions with the GST to avoid disputes. Please create a simplified law compliance category for smaller units, especially bidi units.

With these changes, this Bill can be made fair, modern and also people-friendly. Without them, it may destroy one of the largest women-driven industries in Tamil Nadu.

Finally to conclude,

*Even during the Corona period, the Beedi workers supported their families by engaging themselves and having their livelihood in Beedi manufacturing. Many families of such workers were supported by this Beedi manufacturing industry even during those difficult times. Many poor and downtrodden people are still dependent on Beedi industry. We look at the harmful diseases that affect due to usage of Beedi. But at the same time, many families have their livelihood totally dependent on Beedi making. While carrying out a procedure of an Operation in hospital, we look at how sharp the knife used for Operation is. We also look at how many persons are being operated upon and cured from diseases with that sharp knife. Therefore I, with a motherly heart, request you to kindly support the lives of Beedi workers and their families in our country and especially in Tamil Nadu. Thank you. Vanakkam.

(ends)

* Original in Tamil

1626 बजे

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सुधाकर सिंह जी से अपने को एसोशिएट करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज इस बिल के यहां प्रस्तुत होने के बाद मैं समझ रहा हूं कि दो तबके बहुत खुश होंगे कि हमारी चर्चा आज नहीं हो रही है। पहला, अडानी पोर्ट पर जो ड्रग्स के बड़े-बड़े सीजर हुए हैं और उनको एग्जम्प्शन मिला है, वे हैं और दूसरे वे फ्रस्ट्रेटेड नौजवान हैं, जिनको इसकी लत है, उन पर चिंता करने के बारे में कोई बात नहीं हुई है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं पूर्णत: नशे का विरोधी हूं, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि लोग नशा क्यों करते हैं? हम पॉलिसी मेकिंग में इस बात को सोचें कि क्या हम गरीबों, मजदूरों के श्रम के घंटे कम करके, क्या उनकी थोड़ी थकान कम करने की स्थिति में हैं? क्या हम महिलाओं पर पुरुष सत्तावादी दबाव को कम करने की स्थिति में हैं? क्या हम नौजवानों को रोजगार देकर उनके फ्रस्ट्रेशन को कम करने की स्थिति में हैं? जब बात होगी तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और जहां तक इस बिल में अन्य प्रावधानों के सवाल हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो किसान और मजदूर इस रोजगार में लगे हुए हैं, खेती कर रहे हैं, बीड़ी बना रहे हैं, उनके हितों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक उपाय करने होंगे।

मेरे पास समय कम है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति)

1628 बजे

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : महोदय, मैं आज केंद्रीय उत्पादक शुल्क विधेयक, 2025 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसका उद्देश्य तंबाकू, सिगरेट, गुटखा जैसे पदार्थों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत करना है। सरकार यह कहती है कि इससे राजस्व बढ़ेगा और यह पैसा स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में इस्तेमाल होगा। यह बात सही है कि देश की कमाई बढ़नी चाहिए, लेकिन महोदय कमाई से ज्यादा जरूरी हमारे लोगों की जिंदगी है। तंबाकू से हर साल 13 लाख भारतीय मरते हैं। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है।

(1630/MLC/GTJ)

यह 13 लाख परिवारों का दर्द है। यह बच्चे हैं, जो बिना पिता के बड़े होते हैं। ये माँएं हैं, जो अपने जवान बेटे को खो देती हैं। डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर बताती हैं कि तम्बाकू की वजह से कैंसर,दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि से रोज 3,500 से ज्यादा भारतीय मरते हैं। तम्बाकू धीरे-धीरे नहीं, हर दिन हजारों लोगों की सांसें छीन रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सिर्फ टैक्स नहीं, तम्बाकू का चरणबद्ध उट्टाचन (एल्मिनेशन) हो। हमारा लक्ष्य तम्बाकू मुक्त भारत होना चाहिए। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों के 500 मीटर के अंदर बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। फ्लैवर और बच्चों को लुभाने वाला तम्बाकू पूरी तरह से बंद होना चाहिए। हर जिले में डी-एडिक्शन सेंटर होने चाहिए। तम्बाकू किसानों के लिए दूसरी फसल की व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ पर सरकार टैक्स बढ़ाने की बात करती है, लेकिन टैक्स क्यों बढ़ा है? यह तो नैसर्गिक खेती हो रही है, इसके लिए वहाँ पर सरकार का कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। फिर ये क्यों यहाँ पर टैक्स बढ़ाना चाहती है? तम्बाकू की कमाई से देश नहीं चलता है। देश अपने नागरिकों की जिन्दगी से चलता है। तम्बाकू से मिलने वाला पूरा राजस्व स्वास्थ्य पर ही खर्च होना चाहिए और उसमें कानूनी और लीगल गारंटी देनी चाहिए।

अंत में, मैं कुछ सुझावों के साथ अपने विचार समाप्त करना चाहूँगा। तम्बाकू किसान पुनर्वास कोष बनाया जाए। राजस्व का एक हिस्सा आदिवासी-किसानों,बीड़ी मजदूरों और इस क्षेत्र पर निर्भर परिवारों के पुनर्वासन पर लगाया जाए। कम से कम 50 प्रतिशत उत्पादन शुल्क राज्यों को जाए या जीएसटी जैसी नई क्षतिपूर्ति व्यवस्था बने। तम्बाकू से मिलने वाला दूसरा राजस्व पूरी तरह से स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। यहाँ पर जो मजदूर भाई काम करते हैं, बीड़ी पत्ता जंगलों में तोड़ने जाते हैं, उनके ऊपर बाघ, सांप जैसे जानवरों का हमला होता है,लेकिन उनका कोई कानूनी बीमा नहीं होता है। उनकी मदद के लिए सरकार को बीमा कराना चाहिए और बीमा कंपनियों से बीमा कराकर उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अंत में, मेरी दिल की बात यह है कि तम्बाकू सिर्फ एक उत्पाद नहीं,यह मौत का धीमा जहर है। इससे राजस्व बढ़े, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टैक्स बढ़ने के बाद भी हम एक भी बच्चा, एक भी पिता और एक भी माँ तम्बाकू की वजह से खो देते हैं, तो यह टैक्स किस काम का है। देश की असली ताकत उसका खजाना नहीं,उसकी जनता है। इसलिए मैं सरकार से विनम्र, लेकिन दृढ़ आग्रह करता हूँ कि तम्बाकू और गुटखे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए और इस देश को इसकी लत से मुक्त कराए। कांग्रेस पार्टी इस दिशा में उठाए गए हर सकारात्मक कदम का समर्थन करेगी। यह बिल पास करने के पहले इस पर विचार करना चाहिए,उसके बाद ही इसे पास कराना चाहिए। धन्यवाद। (इति)

1634 बजे

श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) : हम ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की मजबूरियाँ समझ सकते हैं। इन्हें रेवेन्यू चाहिए, लिहाजा इन्हें जस्टिफाई करना ही है कि अगर यह तम्बाकू प्रोडक्ट्स पर हैवी ड्यूटी लगा रही हैं, तो जवाज़ यह है कि लोग तम्बाकू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इसकी आप जितनी भी कीमत बढ़ा दें, तब भी जिन लोगों को पीना है, वह पिएंगे। जब तक एक नेशनल कंसेंसस बन जाए कि तम्बाकू पर कम्पलीटली बैन लगाना है, तब तक शायद कोई चीज होने वाली नहीं है।

(1635/GG/HDK)

सर, मैं आपसे यह अर्ज़ करूंगा कि जो मैंने पेपरों से पढ़ा, बाकी सोर्सेज़ से मुझे पता चला, पूरे देश से सेलिब्रेटी लोग, अच्छे-अच्छे लोग जम्मू-कश्मीर जा कर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए कोशिश करते हैं, which is highly appreciable. But at the same time, जब वहां पर शराब की नई दुकानें खोली जा रही हैं, तो उस पर जब वहां के लोकल लोग आवाज़ उठाते हैं, वहां के रिलीजियस क्लर्क्स आवाज़ उठाते हैं, सोशल वर्कर्स आवाज़ उठाते हैं, then they are branded, unfortunately, as anti-social, anti-national. The voices of those who want Jammu & Kashmir to be a dry State should be encouraged. मेरी इनफॉर्मेशन है कि जम्मू-कश्मीर असेंबली में एक बिल आने वाला है। वह बिल पहले भी आया था। सारी पार्टियां उसमें चाहती भी हैं कि जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त बनाया जाए। मेरी रूलिंग पार्टी से खास तौर से गुज़ारिश है कि हमारे वहां पर जो एलजी साहब हैं, बाकी लोग हैं, उनसे यह कहें कि अगर जम्मू-कश्मीर को वाकई जन्नत बनाना है, वहां वे ड्राई स्टेट बनाना चाहते हैं, शराब, नशा और बाकी चीज़ों पर बैन लगाना चाहते हैं तो उसका सपोर्ट होना चाहिए। जैसे बाकी स्टेट्स में भी हुआ, जैसे बिहार में हुआ, होने के बाद बाकी स्टेट्स भी जम्मू-कश्मीर से एक क्लू लें। यह बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

बाकी, जहां तक यह सवाल है कि हम जितनी इसकी ड्यूटी बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, लोग कम इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में वह सही नहीं है। आमदनी से ज्यादा, जितना खर्च फिर इस जिम्मेदारी, जो रिलेटिड हैं, मतलब टोबैको प्रोडक्ट्स पर, वह खर्चा उससे भी ज्यादा है। उस चीज़ का फायदा क्या है? जहां तक हमारी जो सरकार है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, ये सारे दावा करते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है – मोदी है तो मुमककिन है। आप आज इसको कर के दिखाओ और हिंदुस्तान को वर्ष 2029-30 तक नशा मुक्त बनाओ, हम तब आपको सैल्यूट करेंगे।

सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

(इति)

1637 बजे

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति महोदय, आज मैं सदन के समक्ष केंद्रीय उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2025 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय जी, कंपनसेशन सैस क्या वाकई राजस्व बढ़ा रहा है या सिर्फ़ बीमारी का व्यापार कर रहा है?

वर्तमान में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पर 28% GST + सेंट्रल ऐक्साइज़ ड्यूटी + कंपनसेशन सैस लगता है। लेकिन अब कंपनसेशन सैस के समाप्त होने के बाद भी हम 40% तक की जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी दर बढ़ा रहे हैं। यानी कर की दर में कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि राजस्व को पारदर्शी और स्वास्थोन्मुख बनाया जा रहा है।

महोदय जी, कंपनसेशन सैस को पूरी तरह समाप्त करना, तंबाकू उत्पादों पर 40% GST + सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी स्लैब में डालकर अधिकतम कर वसूली सुनिश्चित करना, सभी उत्पादों पर न्यूनतम 40% कर अनिवार्य करने की योजना सरकार पहले बता चुकी है।

संशोधन विधेयक में सिगरेट/चुरुट पर 1,000 स्टिक पर 5,000 से 11,000 रुपये तक उत्पाद शुल्क का प्रस्ताव है। अनफ़िल्टर्ड तंबाकू पर 60-70% और निकोटिन व साँस से लेने वाले उत्पादों पर 100% कर लगेगा।

महोदय जी, कंपनसेशन सैस का पैसा राज्यों को जाता है, लेकिन बीमारी का बोझ केंद्र और राज्य दोनों उठाते हैं, क्योंकि बीड़ी बनाने वाली महिलाएँ और बच्चे भी धुएँ में साँस लेते हैं और कैंसर का शिकार होते हैं। इन उद्योगों में काम करने की स्थितियाँ 'आजीविका संरक्षण' के तर्क के पाखंड को उजागर करती हैं। बीड़ी बनाने वाली महिलाएँ आमतौर पर घर से ही खराब हवादार जगहों पर काम करती हैं। घंटों तंबाकू के धूल में साँस लेती हैं, जिससे उन्हें साँस लेने में समस्या और अन्य बीमारियाँ हो जाती हैं। कई त्वचा के अवशोषण के माध्यम से निकोटीन की आदी हो जाती हैं। बच्चे अक्सर काम में मदद करते हैं, जिससे उन्हें कम उम्र से ही स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा ढीले नियमों को बनाए रखकर इन श्रमिकों की सुरक्षा का दावा वास्तव में उनके शोषण को जारी रखता है और उद्योग मालिकों को समृद्ध करता है, जो छोटे निर्माताओं के लिए कर छूट का लाभ उठाते हैं। एक ऐसी स्थिति जो अक्सर शेल कंपनियों के माध्यम से बनाए रखी जाती है जो बड़े संचालन को तकनीकी रूप से छोटी इकाइयों में विभाजित करती हैं।

लगभग 13 लाख भारतीय हर साल तंबाकू से संबंधित बीमारियों से मरते हैं। इन बीमारियों का आर्थिक बोझ वर्ष 2017-18 में 1.77 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान था। फिर भी, वर्ष 2019-20 में देश में 27.4 करोड़ उपयोगकर्ताओं में से केवल 13 लाख तक ही तंबाकू निवारण सेवाएं पहुंचीं। महामारी के दौरान तो यह संख्या और भी कम हो गई, जो कि लगातार अपर्याप्त वित्त पोषण का प्रतिबिंब है। यह उद्योग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार तो देता है परंतु 13 लाख लोगो की जान भी लेता है।

(1640/YSH/PS)

सभापति महोदय जी, हमारे पास तीन विकल्प हैं। पहला, पुरानी पॉलिसी जारी रखें, जिससे बीमारी बढ़े, राजस्व भी कम रहे, पैसा भी गायब होता रहे और लोगो की जान भी जाती रहे। दूसरा विकल्प यह है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सेस लगाया जाए, जिससे राजस्व बढ़े, पारदर्शिता आए और बढ़ी हुई दरों से तथा इससे होने वाली बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाया जाए। तीसरा विकल्प यह है कि ऐसे ज़हरीले उत्पादों पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि राजस्व बढ़ा देने से ही समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। क्या नए राजस्व बढ़ाने से या नई पॉलिसी लागू हो जाने से लोग बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे या लोगो की जान जानी बंद हो जाएगी? इसलिए इस विधेयक की रूपरेखा निर्धारित करते समय इन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सिर्फ राजस्व बढ़ा लेने से लोगो की जान से खिलवाड़ कतई मंजूर नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, अंत में मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसे ज़हरीले उत्पादों के उत्पादन में जो लोग छोटे बच्चो को शामिल करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान लाया जाए तथा इन उत्पादों के सेवन पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही ऐसे उत्पादों को सेवन के लिए खरीदना-बेचना भी जुर्म माना जाना चाहिए तथा जो भी इसका उल्लंघन करते पकड़ा जाए, उस पर सख्त से सख्त दंडात्मक सज़ा का प्रावधान लाया जाए।

साथ ही मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि नए सुधार से गरीब लोगों के रोजगार और आजीविका का जो नुकसान होगा, उसके लिए सरकार क्या नए प्रयोजन कर रही है या नई योजनाएं बना रही हैं, उसके बारे में बताया जाए। उन गरीबों का रोजगार, जो कॉरपोरेट्स के हाथों में चला जाएगा, उसके लिए सरकार क्या नई योजनाएं बना रही हैं? मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि उन छोटे गरीब लोगों के जो रोजगार छीने जाएंगे, उनकी आजीविका की सुनिश्चितता की जाए।

अंत में, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि ये उत्पादक जो जहरीले तंबाकू के जरिए लोगों के शरीर में पहुंचते हैं, उन उत्पादों के खरीदने और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।

(इति)

1642 बजे

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और यह वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला बिल है। आज हम वर्ष 2025 में हैं और सन् 1944 से जो बिल चला आ रहा था, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए यहां चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। उसके पीछे एक कारण है। मैं पेशे से स्वयं भी एक चिकित्सक हूँ और मैं तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का जो दुष्प्रभाव है, उसको अच्छे से जानता हूँ। इस बिल के प्रमुख लाभ यह हैं कि इस बिल में किसानों को सहायक खेती के लिए अर्थायाम का प्रावधान होगा। निश्चित तौर से इस बिल के माध्यम से हमारे जो किसान हैं और सेस से जो पैसा आएगा, उसको हम किसानों के लाभ के लिए देंगे और इस क्षेत्र में इसका एक अच्छा उपयोग होगा।

युवा पीढ़ी के साथ-साथ राष्ट्र की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आज चाहे तंबाकू हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे पान मसाला हो, चाहे सूंघने वाला नशा हो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनका हमारे देश का युवा सर्वाधिक उपयोग कर रहा है।

सभापति महोदय, मैंने गांवों में देखा है कि 12-13 साल के लड़के तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं और कम उम्र में ही बीमारियों की वजह से उनमें बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। इसलिए युवा पीढ़ी की सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ होगा।

मैंने कैंसर के बारे में बताया है। अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा किसी कैंसर से डेथ हो रही है तो ओरल कैंसर से हो रही है। ओरल कैंसर मुख्यत: तंबाकू, गुटखा और पान मसाले से होता है और इससे सर्वाधिक डेथ हो रही है। मैं समझता हूँ कि इस बिल के आने से बहुत सारे उन परिवारों को, जो तंबाकू और गुटखे के सेवन की वजह से आज परेशान हैं और एक तरह से बर्बाद होने की स्थिति में हैं, उनको फायदा होगा।

राष्ट्र के आर्थिक उन्नयन के लिए भी यह एक आयाम है। इस तरीके से अगर हम यह कहें कि यह बिल स्वास्थायाम से अर्थायाम और अर्थायाम से राष्ट्रायाम का है। इस तरीके से इस बिल में छिपी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो हमें आज समझ में नहीं आ रही हैं।

(1645/STS/SNL)

हमारे कई मित्र कह रहे हैं कि इस बिल को पेंडिंग करना चाहिए, कमेटी में डालना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि "काल करे सो आज कर, आज करे सो अब" यह बिल ऐसा है कि जितनी जल्दी-से-जल्दी पास हो जाए, उतना ही अच्छा है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से इसका बहुत फायदा होगा। जो कंपनसेशन है और सरकार जो टैक्स जीएसटी के अलावा कुछ चुनिंदा चीजों पर लगाती है, जैसे- तम्बाकू, पान-मसाला। इसके पीछे कारण यह होता है कि जब चीजें मंहगी होगी, पहले भी कई बार का यह रिकॉर्ड रहा है कि जब-जब चीजें मंहगी हुई हैं, उसका उपयोग कम होता है। लोग छिप कर सेवन करते हैं और कुछ लोग तो मंहगा होने के कारण इस्तेमाल करना बंद ही कर देते हैं। इसलिए यह कहना कि इसके बंद होने के बाद छुपकर इसकी

बिक्री बढ़ जाएगी, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसको बचाने के लिए इससे ज्यादा और कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। निश्चित तौर से यह बिल हमारे नए जीएसटी के स्लैब को रिप्लेस करेगा और वर्तमान में सिगरेट, चबाने वाले तम्बाकू, सिगार, हुक्का, जर्दा, खुशबूदार तम्बाकू जैसे उत्पादों पर यह बिल लागू होगा। बिल की व्याख्या के अनुसार यह वित्तीय स्थान तो प्रदान करता ही है और निश्चित तौर से इसका योगदान राष्ट्र में भी रहेगा। लोग कैंसर की बात करते हैं, चिकित्सक होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि तम्बाकू से सिर्फ कैंसर नहीं होता है। मेरी जानकारी के अनुसार तम्बाकू से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। निकोटिन शरीर में चाहे जिस तरीके से भी प्रवेश हो, चाहे वह तम्बाकू से हो, चाहे सिगरेट से हो, चाहे सूंघने वाली किसी पदार्थ से हो, चाहे गुटखा से हो, चाहे जिस तरह से भी हो, जब निकोटिन प्रवेश होता है तो उस समय बीपी बढ़ता है। यहां पर हमारे बहुत सारे डॉक्टर साहब बैठे हैं। जितने भी स्ट्रोक होते हैं, चाहे वह ब्रेन स्ट्रोक हो, कार्डियक स्ट्रोक हो, उसके लिए निकोटिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और मैं समझता हूं, इस बिल से बहुत सारी डेथ होने से बच जाएगी।

नशे का सेवन करने वाले जो पैशेंट होते हैं, उन्हें अगर नशा न मिले, तो सबसे पहले डिप्रेशन होता है और फिर साइकोसिस होती है। मैं समझता हूं इसमें भी कमी होगी। जो बचपन से नशा करने लगते हैं, उनकी पीढ़ियों में नपुंसकता होने की संभावना रहती है। जो बच्चे तम्बाकू बगैरह खाते हैं, मैंने देखा है कि अगर उनको थोड़ी भी मिर्च-मसाले वाली चीज खाने को मिल जाए, तो वे नहीं खा सकते हैं। उन्हें सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। जैसे ही वे कोई चीज खाते हैं, उन्हें जलन होने लगती है, तकलीफ होती है और यहां तक कि कई बार रसगुल्ला देख कर खाने की इच्छा होती है, पर तम्बाकू खाने की वजह से मुंह नहीं खुलता है, तो वे रसगुल्ला भी नहीं खा पाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने अपनी प्रैक्टिस लाइफ में जो देखा है, उसके हिसाब से मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और राष्ट्र की उन्नति के लिए जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो आज का दिन लिखा जाएगा कि ये बिल अर्थायाम से लेकर और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी परिपूर्ण बिल है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारी वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा बिल रखा है, जिसकी वजह से हमारी युवा पीढ़ी, जो आज नशे में लिप्त है, जिसका आगे चल कर राष्ट्र के विकास में योगदान होना चाहिए था, वह नशे में लिप्त होकर अपना परिवार बर्बाद कर रहे हैं। उस बर्बादी से उसे आप बचायेंगे। आपको मैं एक बार पुन: धन्यवाद देता हूं।

(इति)

(1650/MM/SMN)

1650 बजे

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया।

मान्यवर, इस विधेयक को मैंने पढ़ा भी और समझा भी। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक वैसे तो स्वागत योग्य है, लेकिन इस पर थोड़ी और एक्सरसाइज कर ली जाए तो यह और अच्छा हो सकता है।

मान्यवर, कोई भी नशा हो, वह हमारे समाज को खोखला करता है। हमारे यहां तम्बाकू, गुटखा और अन्य नशा करने योग्य वस्तुएं अगर समाज में न रहें तो मुझे लगता है कि हमारा समाज स्वस्थ बन सकता है। जहां तक तम्बाकू की बात आती है तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां भी किसान भाई इसका उत्पादन करते हैं। किसान भाई तम्बाकू का उत्पादन छोड़कर दूसरी फसलों की तरफ बढ़ें, इस पर भी सरकार का ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि टैक्स बढ़ा देने के बाद भी जो लोग इसका उत्पादन करते हैं, इसकी खेती करते हैं, उनको नुकसान होगा। इसलिए इस बिल में किसानों की चिंता करने की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ, हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में भांग के ठेके उठाए जाते हैं। उत्तर में कितना गांजा पकड़ा जा रहा है, यह आप देख और सुन रहे हैं। इसको कैसे रोका जाए तथा गांव की युवा पीढ़ी और समाज पान पराग और रजनीगंधा की वजह से खोखला हो रहा है और कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि इन कंपनियों के ऐसे बड़े-बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, जिनको देखने के बाद लोग उनसे प्रभावित होकर अपनी कार के डेशबोर्ड पर रजनीगंधा का डिब्बा रख लेते हैं। इस पर भी कड़ा कानून बनना चाहिए। मेरा सुझाव है कि जो किसान तम्बाकू की खेती करते हैं, उन किसानों को नुकसान और हानि न पहुंचे इसके लिए सरकार विचार करे। उत्तर प्रदेश में हमारे किसान भाई की फसलों की एमएसपी सरकार तय करती है, लेकिन उस एमएसपी पर किसान की फसल का क्रय नहीं किया जा रहा है। सारे क्रय केंद्र माफियाओं के हाथ में चले गए हैं। मेरे से कई किसान मिले, जिन्होंने बताया कि गेहूं और धान की खेती करेंगे तो हम कैसे अपना जीविकोपार्जन करेंगे। मेरी जो बेल्ट है, उसमें फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और बदायूँ की साइड में तम्बाकू की खेती करने वाले बहुत से किसान हैं। इन किसानों को सरकार आश्वासन दे और ऐसी व्यवस्था करे कि किसान तम्बाकू से हटकर दूसरे क्षेत्र में जाएं। इसके बारे में शंकाएं हैं कि बाहर से जो सिगरेट आती है उस पर आपने उत्पादन शुल्क बढ़ाया है। लेकिन ऐसा न हो कि उससे स्मगलिंग होने लगे और गलत रास्ते से सिगरेट आने लगे क्योंकि जिन राज्यों में शराबबंदी की गयी है, वहां भी आज शराब मिल रही है। इस पर और अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनायी जाए। उस कमेटी को यह बिल दिया जाए। वह कमेटी इस पर अध्ययन करके सुझाव दे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को लोक सभा की प्रवर समिति को दिया जाए। वह दो महीने में अपनी रिपोर्ट देने का कष्ट करे।

सभापति महोदय, इस पर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

(इति)

1654 बजे

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पर अपने विचार रख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तम्बाकू और तम्बाकू से उत्पादित वस्तुओं, जिनका समाज में दुष्प्रभाव बढ़ गया है, उसको कम करने और उस पर रोक लगाने के लिए वर्ष 1944 के एक्ट में संशोधन करने का विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। थोड़े समय पहले हमारी वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल निर्देशन में जीएसटी की दरों को घटाया है और उनको चार से दो स्लैब किया है। इससे मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों की रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम कम हुए हैं। इससे लोगों में नवरात्रि और दीपावली का उत्साह देखा गया। इससे बाजार में बिक्री बढ़ी।

(1655/MK/RP)

वहीं गरीब और मध्यम वर्ग के आदमी ने भी खुशहाली महसूस की है। ठीक उन्हीं के लिए, हमारे जो गरीब और मध्यम वर्ग के युवा हैं, जो नशे के क्षेत्र में, जो सस्ता नशा है, उस सस्ते नशे की ओर उनकी लत बढ़ती जा रही है और गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी अगर किसी परिवार के मुखिया को हो जाए तो उससे सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं जाती है, बल्कि उससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो धन भी चला जाता है और धर्म भी चला जाता है। यह बीमारी कैसे रोकी जाए? वैसे तो जागरुकता के बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, भारत सरकार का समाज कल्याण विभाग और राज्य सरकारों के जो कल्याण विभाग हैं, वे उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नशे में कमी नहीं आ रही है। न जाने आज किस-किस तरह के नशे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी, जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ने जाती है, वे उसकी शिकार हो रही हैं।

अभी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि भारत के अंदर 38.3 परसेंट लोग तम्बाकू और तम्बाकू से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। इसको कैसे कम किया जाए? मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हम वर्ष 2025-26 में इसको 43 परसेंट कम करेंगे। यह बहुत अच्छा संकल्प है। एक तरफ हमारा देश विकसित भारत बनने जा रहा है और दूसरी तरफ अगर हम जन स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेंगे तो हमारा जो मैन पावर है, अगर वह बीमार होगा तो निश्चित तौर पर हमें प्रगति में कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगी। इसीलिए, जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तम्बाकू और तम्बाकू प्रोडक्ट पर रोक लगाना, उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना, मुझे लगता है कि राष्ट्र के हित में है।

यह बात सही है कि इसमें जो प्रभावित होने वाले लोग हैं, वे किसान जो तम्बाकू का उत्पादन करते हैं, दूसरे वे लोग, जो बीड़ी मजदूर हैं और बीड़ी बनाते हैं, वे सचमुच में गरीब परिवार से हैं, इसलिए उनके रोजगार के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसमें प्रावधान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1 लाख 11 हजार हेक्टेयर भूमि में खेती करने वाले तम्बाकू के किसानों ने वैकल्पिक खेती शुरू कर दी है। ऐसे किसानों को और कैसे उत्साहित किया जाए, उनके

लिए हम और कौन-सा वैकल्पिक उत्पाद दे सकते हैं, उस दिशा में भी विचार करने की जरूरत है। हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है।

आज पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जन कल्याण की दिशा में काम चल रहे हैं, 'सबका साथ, सबका विकास', अब यह सिर्फ नारा नहीं रह गया है बल्कि यह जमीन पर उतरकर बोलने लगा है। छोटे से छोटा आदमी, उसकी जो भौतिक जरूरतें हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए जिस तरह से चिंतन हुआ, योजनाएं बनीं और कार्य रूप में परिणत हुईं, उससे आज गरीब से गरीब आदमी का भी जीवन बेहतर दिशा में जा रहा है। अब वह महसूस करने लगा है कि हमारी सरकार हमारी मदद के लिए खड़ी है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अभी जो प्रयास हो रहे हैं, वे बहुत ही सार्थक हैं। उससे गरीब परिवार की माली हालत दिन-प्रतिदिन बेहतर हो रही है। अब गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो उसका इलाज सरकार करवा रही है। पूरे देश भर में आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया है। अब तो गंभीर बीमारी में भी, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने एक नयी शुरूआत कर दी है।

(1700/ALK/VPN)

अगर कोई आयुष्मान कार्ड धारक किसी गम्भीर बीमारी का शिकार हो गया और वह अगर देश के किसी बड़े अस्पताल में इलाज के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए निशुल्क वायु सेवा की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, उसका लाभ भी लोगों को मिला है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जन औषधि केंद्र की जो सस्ती दवाइयां हैं और सभी बीमारियों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों को भी पैनल में डाला गया है, उसमें सरकारी अस्पताल तो है हीं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को भी पैनलाइज किया गया है, पैनल में जोड़ करके उनको इलाज के लिए प्रेरित किया गया है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था।

आज जो हमारे युवा नशे में डूब रहे हैं, उनको बाहर निकालने की जरूरत है। इस दिशा में यह कदम बहुत कारगर होगा। इसे धीरे-धीरे बंद करने की तरफ भी विचार किया जाना चाहिए कि तम्बाकू प्रोडक्ट का कैसे बंद किया जाए और कैसे इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बचाने का काम किया जाए? इस दिशा में बहुत गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। इसमें चाहे तम्बाकू हो, गुटखा हो, सिगार हो, हुक्का हो, सिगरेट हो, गुड़ाखू हो, ये सारी चीजें मध्यम और गरीब वर्ग उपयोग कर रहा है। इन सभी चीजों पर ज्यादा से ज्यादा से टैक्स बढ़ाकर इनको उपयोग में कैसे कम किया जाए? इस दिशा में इस बिल का बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे कुछ साथी जो इस पर सवाल उठा रहे थे, वे यहां पर नहीं हैं, लेकिन मेरा सभी माननीय सदस्यों से कहना है कि यह सत्तापक्ष और विपक्ष का बिल नहीं है, यह बिल राष्ट्र के हित में है और इसकी जरूरत भी है।

हम सभी सांसदों के सामने यह समस्याएं आती हैं। सबके पास कोई न कोई गरीब वर्ग और कमजोर वर्ग के लोग आते हैं और वे कहते हैं कि हमारा इलाज करा दीजिए, उनकी गृहस्थी कैसे खत्म हो रही है। नवविवाहित महिलाएं अपने पति को नशे की आदतों से मुक्ति दिलाने के लिए यहां-वहां जाकर हाथ-पांव जोड़ती हैं। मुझे लगता है कि जहां पर सस्ता नशा होगा, वहां पर युवाओं की लत ज्यादा बढ़ेगी, जो नशा उनकी पकड़ से बाहर होगा, जहां वे उसे बियर नहीं कर सकते है, वे उससे बचेंगे। हमें हमारी उस पीढ़ी को बचाने की जरूरत है, जो इस देश का भविष्य है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): More than 28 Members of Parliament have already spoken on this particular Bill in the last three hours. The Minister has to reply also. There are two Members of Parliament left to speak. I think you will take only two minutes. Shri Rajkumar Roat ji.

1703 बजे

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने काफी कम समय दिया। मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 पर आपके माध्यम से अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार तक कुछ विचार पहुंचाना चाहूंगा। यह जो बिल लाया जा रहा है इसका मूल उद्देश्य देश में बढ़ते धूम्रपान और जो नशा बढ़ रहा है, उसको कम करना है या फिर हमें टैक्स को वसूलना है। अगर इस बिल के माध्यम देश में नशामुक्ति का अभियान तेजी से बढ़ता है और इस पर प्रतिबंध लगता है, तो अच्छी बात है और स्वागतयोग्य है, लेकिन इस बिल की वजह से मैं उन किसानों के लिए चिंतित हूं, जो सुबह चार बजे उठकर जंगलों में जाकर तेंदूपत्ता कलेक्शन करते हैं और तेंदूपत्ता कलेक्शन करके उसकी एक-दो रुपये की पैकेट बनाते हैं और उसे कंपनी वालों को देते हैं। यह जो कानून लाया जा रहा है, उसका असर उन किसानों पर न पड़े, जो जंगलों में जाकर, सुपारियों के बागवानों में जाकर कलेक्शन करते हैं, उनकी आमदनी पर इसका असर न पड़े, मैं इस बात से चिंतित हूं। मैं जहां तक समझ पाया हूं हम देखते हैं कि देश में जिस तरह से धूम्रपान बढ़ रहा है।

(1705/CP/UB)

आदिवासी, दलित, पिछड़े इलाके अंदर जहां शिक्षा पहुंचनी चाहिए थी, वहां शिक्षा नहीं पहुंची है, वहां पर नशा पहुंचा है। हमारी यह प्रॉयोरिटी होनी चाहिए कि हम उस हिसाब से काम करें। मैं जहां तक समझा हूं कि जो धूम्रपान तेजी से बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण एडवरटाइजमेंट है। विमल के एडवरटाइजमेंट कई बड़े-बड़े शहरों में, ग्रामीण इलाकों में लगे हुए हैं कि दाने-दाने में केसर का दम। मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन जो तीन-चार हीरो हैं, वे कहते हैं कि दाने-दाने में केसर का दम। इस एडवरटाइजमेंट को करने के लिए उनको करोड़ों रुपये मिलते हैं। ये जो हीरो हैं, वे युवाओं के आइडियल बने हुए हैं। वे कहते हैं कि इसमें केसर का दम है। ऐसे एडवरटाइजमेंट पर सरकार को प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और ऐसे एडवरटाइजमेंट करने वाले बॉलीवुड स्टार्स पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है।

मेरा जो जिला डूंगरपुर है और संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा, मैंने हिसाब लगाया था कि वहां एक दिन के अंदर 1 करोड़ 10 लाख रुपये के आसपास विमल के उत्पाद की बिक्री होती है। इसका मूल कारण है कि हमारा इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। डुप्लीकेट चीजें भी बनाई जा रही हैं। जो ओरिजनल सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू हैं, उनकी कॉपी होकर मार्केट में, विशेषकर ग्रामीण इलाके में डुप्लीकेट चीजें जा रही हैं, उस पर सरकार क्या करेगी?

मैं जानना चाहूंगा कि व्यापारियों पर टैक्स के साथ कंपनीज़ जो उत्पादन कर रही हैं, इस टैक्स का असर उत्पादन करने वाली कंपनीज़ पर और सेलिंग करने वाले व्यापारियों पर होना चाहिए। ग्रामीण इलाके में जो किसान हैं, उन किसानों पर अगर इसका असर होता है तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं कहता हूं कि इस पर प्रतिबंध करना चाहिए। प्रतिबंध की बात आती है तो एक चीज उदाहरण के तौर पर सामने आती है कि गुजरात के अंदर शराब पर प्रतिबंध है। गुजरात में जहां शराब पर प्रतिबंध है, वहां सबसे ज्यादा शराब बिकती है। जो बोतल 500 रुपये की है, वहां

1,500 रुपये में बिकती है। इस बात पर भी हमें सोचने की जरूरत है। हम सबको चिंतित होना है कि देश में युवा नशे की लत में जा रहा है।

सभापति महोदय, जो भक्ति मार्ग है या जो संत मार्ग है, अधिकतर संत अच्छे विचारों और अच्छी आइडियोलॉजी के हैं, लेकिन कुछ ऐसे संत हैं जो धर्म की आड़ में नशे का काम करते हैं। जैसे कि अफीम है, गांजा है, कई मठों के अंदर, कई धार्मिक स्थलों में भी इसका उत्पादन होता है। उस धर्म स्थल के आसपास कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। ऐसी जगहों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन संतों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, जहां से अफीम, गांजा का प्रचलन होता है। ... (व्यवधान) हमारे पड़ोसी उदयपुर के सांसद महोदय को क्या दिक्कत हो रही है? मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। जहां से कुछ गलत होता है, जहां हमारे युवा भटकते हैं, ऐसी जगह पर प्रतिबंध होना चाहिए। उन संतों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जहां से अफीम, गांजा का वितरण होता है। ... (व्यवधान) मैं सभी पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : आप कोई आक्षेप न लगाएं। आप केवल अपनी बात कहें।

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : महोदय, तेंदू पत्ते का उत्पादन होता है, सुपारी का उत्पादन होता है। हम नार्थ-ईस्ट में जाते हैं या साउथ में जाते हैं, कई राज्य ऐसे हैं, जहां पूरा परिवार सुपारी पर डिपेंड करता है। मेरा यही कहना है कि इसका असर उत्पादन करने वाली कंपनीज़ पर होना चाहिए, बड़े व्यापारियों पर होना चाहिए। जो गरीब किसान हैं, उन पर इसका असर नहीं होना चाहिए। हमें देश में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। आदिवासी, दलित, पिछड़े इलाके में हमें शिक्षा को भेजने की जरूरत है और उन इलाकों में धूम्रपान पर प्रतिबंध करने की जरूरत है।

(इति)

1709 बजे

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : सभापति महोदय, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं मुद्दे पर आता हूं। महाराष्ट्र के टोबैको फार्मर्स का क्या होगा? हजारो फार्मर्स में मार्जिनल फार्मर्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, बीड़ी रोलिंग घर से करते हैं, जो टोबैको की फसल पर डिपेंडेंट होते हैं। एक्साइज ड्यूटी डायरेक्टली उनके प्रोक्योरमेंट प्राइस पर हिट करेगी। इनकी इनकम गिरेगी, डिमांड क्रैश होगी। यह सरकार किसानों की जेब से पैसा निकालकर अपने रेवेन्यू को भरना चाहती है क्या? टोबैको और बीड़ी का सबसे ज्यादा कंजंप्शन गरीब और कम पढ़ाई वाले लोग करते हैं। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे जो डब्ल्यूएचओ करती है, वे कहते हैं कि स्मोकलेस टोबैको खैनी, गुटखा, बीड़ी, ये प्राइमरी पुअर कंज्यूम करते हैं। एक्साइज बढ़ाकर आप गरीब की जेब से पैसा निकाल रहे हैं।

(1710/NKL/SK)

Tobacco consumption prevalence is highest among lower socioeconomic classes. According to a survey, about 9 per cent of women and 38 per cent of men over 15 years of age are tobacco consumers. रूरल एरिया में पुरुषों में यह परसेंटेज 43 परसेंट हो जाता है। सरकार कहती है कि हैल्थ के लिए कर रहे हैं, अगर हैल्थ के लिए कर रहे हैं तो बैन करो, जारी क्यों रखते हो? अगर जान बचाना प्रॉयरिटी है and if you really care about people, you should ban it. सैंटर का रेवेन्यू 2.2-2.4 परसेंट टोबेको से आता है। इसका मतलब है कि सरकार को प्योरली सिनटैक्स के पैसे से पैसा कमाने की आदत पड़ गई है और हैल्थ के नाम पर ये पैसा जमा कर रहे हैं। इनके लिए यह हैल्थ नहीं बल्कि फिस्कल कम्पलशन हो गई है। If you collect tobacco taxes, you need to earmark the tobacco taxes on cancer care, NCD treatment, and tobacco cessation programmes under the NTCP. सबसे महत्वपूर्ण फार्मर्स ट्रांजिशन क्रॉप की बात है। अगर वह टोबेको नहीं उगाएगा तो क्या उगाएगा? आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए खर्चा करना चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है? You are using the money collected from tobacco and alcohol to distribute political *revaris*. पब्लिक हैल्थ के नाम पर एक रुपया न तो किसान को मिलता है और न ही बीड़ी वर्कर को मिलता है।

Sir, excise is not a political exercise. यह वोट बैंक मैनेजमेंट तरीका नहीं होना चाहिए। Excise policy must be based on public health impact assessment and livelihood impact assessment, not election arithmetic. क्या आपने महाराष्ट्र के किसानों की लाइवलीहुड इम्पेक्ट की स्टडी पेश की? क्या आपने पावर्टी इम्पेक्ट असेसमेंट पेश किया? क्या आपने बीड़ी रोलिंग वूमेन की इनकम फाल डेटा का एनालिसिस किया? Without this, Government has no moral right to increase or impose further duty.

I will conclude by saying this. आप बोलते हैं कि नशामुक्त भारत बनाना है, अगर आपको नशामुक्त भारत बनाना है तो पहले आपको खुद में जो टैक्स का नशा चढ़ा है, वह कम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस देश को नशामुक्त कर पाएंगे।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Now, hon. Finance Minister.

1712 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, thank you very much. Today, we have had about 28 speakers who participated in this debate.

HON. CHAIRPERSON: You have been constantly sitting here for three hours and have heard everybody.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you, Sir.

We have had quite a few suggestions, inputs and commentaries on the Bill, which is essentially related to excise duty, which existed before 2017 under the Central Government. It was only for the sake of the compensation cess which was required at the time of introducing GST that the Centre gave up its powers to levy excise duty on tobacco and tobacco-related products. That right was given away to the GST Council so that they will be in a position to collect the compensation cess over those items which were taxed at 28 per cent. So, that compensation cess was collected between 2017 till 2022, which is what I said in my opening remarks. Therefore, the compensation cess which was collected till 2022 went in the hands of the States. It was given off to the States. By law at the time when GST was introduced, compensation cess was to be collected for five full years and it came to an end in 2022. But after 2022, it is still being collected because, after proper legal consultation, the GST Council took a call that during the COVID-19 years, we could not collect the revenue required, particularly the compensation cess which is levied on items that were at a 28 per cent rate, and we could not compensate the States, which was a promise given under the GST. So, taking legal opinion, it was extended to such a period. Of course, the outer limit was fixed for March 2026. However, it was extended to such a period until it had to be collected for returning the loan that was taken for paying the States.

(1715/VR/SJN)

So, essentially here, what was there before 2017, what was conceded by the Centre for the GST Council to collect the compensation cess, at the end, the compensation cess is being naturally reverted to the Centre. This is not a new law. This is not an additional tax. This is not something which the Centre is taking away. There was quite a lot of observation made by several hon. Members that it is a cess. This is not a cess. This is excise duty. It existed

before GST. It has come back to the Centre because the Centre gave it away at that time for collecting compensation cess. Now, it is reverting back to the Centre. I will get into the details when I answer some particular Members' questions. It is coming back to the Centre to be collected as excise duty which will go to the divisible pool. It is going to be redistributed again at 41 per cent which has to go to the States. So, this is not a cess. When a cess comes, I will stand up to say that it is cess. This is not.

I found quite a few hon. Members talking about, “Oh, this is a cess, the Centre is bringing it, it is going to take the revenue.” No, please. I will stand up when I have a cess to talk about. But this is not the one.

Sir, I just want to highlight the basic excise duty. Even after the introduction of GST, because that head of account was being maintained, it was brought to the minimum most level, and now it is going back. Even during GST, when that minimum most level of excise was being collected, we collected only a token amount, which was Rs.5 for 1000 sticks. For most cigarette categories, it was Rs.10 per 1000 sticks. Size variants are taken as consideration. In practical terms, it meant that the excise component per stick was a fraction of one paisa. So, we kept that nominal collection only all the while, even as the GST was being collected on cigarettes as compensation cess. By comparison, pre-GST excise duty rates ranged from Rs.1,585 to Rs.2,850 per 100 sticks for non-filter cigarettes, and Rs.1,585 to Rs.4,170 per 100 sticks if they were filtered.

1718 hours (hon. Speaker, *in the Chair*)

The point that I am highlighting here is that during GST, it was kept just nominal, the account was kept alive, but collection was Rs.5 on 1000 sticks whereas prior to introduction of GST, it was Rs.1585 to Rs.2,850 per 100 sticks, not even 1000. So, pre-GST excise duty rates were far higher and post-GST, because they were collecting as compensation cess, here it was nominally kept at 100 sticks for Rs.1,500. But even after the GST had come in, compensation cess rates remained unchanged from July 2017 to 2024. I want to highlight the fact that even when compensation cess was introduced on these items, the rate remained the same from 2017 to 2024.

Normally, the World Health Organization, when it gives some reports, comments on situations prevailing in different countries.

(1720/PBT/DPK)

According to WHO, there is global tobacco control report which the WHO brings out, India did not revise specific cess rates, even as the average retail prices of cigarettes rose at less than half the pace of the nominal income growth. It was an observation made by the World Health Organization. Empirical data reinforced this fact. So, the World Health Organization and the World Bank jointly track affordability index of tobacco products. Is it affordable or in order to deter people from using cigarettes, have we kept it higher, is an indicator which the World Health Organization monitors. For India, their comment has been that affordability has either stagnated or increased in the past decade. When affordability increases, it means the price is remaining low. So, affordability has either stagnated or increased in the past decade, meaning cigarettes have not become more expensive related to the consumers' purchasing power. I am stating that since the Centre gave it away, for the sake of compensation cess, to the GST Council, to 2024, no rate change has happened.

Globally, more than 80 countries revise tobacco taxes annually, many using inflation indexing or multi-year excise schedules. I have just named them: Australia, New Zealand, where Australia is at about 12.5 per cent annually. Automatically, it changes based on CPI. New Zealand is at 10 per cent. Philippines, Turkey, South Africa have also constantly linked it with inflation. EU Member-States do it, maintain a minimum excise burden of 60 per cent of weighted average price. Some may exceed and reach to 70, 75 also. So, even in India, prior to GST rates, annually rates of tobacco have been increased. So, it is primarily health-related concern with which it had to be a deterrent. The price or the tax had to be a deterrent so that people do not get into that habit. But after the sunset of compensation cess, as I said, we are bringing back the excise duty which existed prior to GST. Now, certainly we do not want cigarettes to become affordable. So, this is the sum and substance of this particular excise duty.

India's total tax incidence on cigarettes is approximately 53 per cent, 53 per cent of the retail price, which is substantially lower than the World Health Organization benchmark, which I have just mentioned earlier. The World

Health Organization benchmark is at 75 per cent. I have already mentioned that some States, some countries do charge more. The United Kingdom and Australia are well over 80 to 85 per cent. So, we do keep that benchmark which the WHO has highlighted.

Coming to the concerns of hon. MPs, some have said 'you are going to impose this tax as a result of which livelihoods are going to be affected because cigarettes or *bidis* will become more expensive and those poor people who are rolling *bidis* will be out of the job'. I want to highlight some facts here. I will come to specifics and speak about specific concerns of Members. I will now go to addressing some of the concerns which hon. Members have raised.

First of all, the tobacco growing farmers will have to be weaned away from growing tobacco into doing other alternative crops. There have been efforts earlier. Efforts continue under Prime Minister Modi's Government. Farmers are constantly being told how unhealthy it is to cultivate tobacco and I will highlight that specifically what efforts are being taken.

(1725/SNT/PC)

Sir, Government schemes under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, such as Crop Diversification Programme under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, have covered 10 major tobacco-growing States since 2015-16. I am not going into the earlier period. There have been schemes earlier; I am not denying it. There have been efforts ongoing for decades now. Farmers are being encouraged to shift to alternative crops. Which are those 10 States? Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, and West Bengal. What is the progress of these crop diversification efforts? Over 1.12 lakh acres, that is, about 45,325 hectares of land, have shifted from tobacco to other crops between 2018 and 2021-22. What are the alternatives? In partly irrigated areas, they shift to sugarcane, groundnut, oil palm, cotton, chilly, maize, onion, pulses, and turmeric. In specific States, I would like to highlight that Telangana has focused on weaning away tobacco growers to cultivate Bengal gram and chillies. Odisha has moved them towards vegetable cultivation and maize. Karnataka has shifted from tobacco to soybean and sugarcane. So, there are indeed efforts at crop diversification.

I must thank Dr. Kalanidhi Veeraswamy, because he, as a doctor, has rightly said how injurious it is to one's health and that people really should not be doing it. I appreciate him for sharing his professional experience.

माननीय अध्यक्ष : कलानिधि जी, आप भी तो धन्यवाद दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अच्छा, थैंक-यू बोलना मना है?

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I did not know he was a smoker.

सर, सब लोग बोल रहे हैं कि उनसे भी कह दीजिए कि वे स्मोक न करें। मुझे पहले मालूम नहीं था कि वे स्मोक करते हैं। अगर वे स्मोक करते हैं, तो बाकी सबके लिए उनकी जो गुड-विशेज़ और एडवाइस थी, उनका वे स्वयं भी पालन करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यहां सभी संसद सदस्यों को एडवाइज़ कर रही हैं।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: This exercise, as I said earlier, is not a cess; it is a duty, and it goes into the divisible pool. Dr. Kalanidhi spoke about it, and I want to say that this collection will go into the divisible pool, and therefore the 41 per cent will be reaching the States. Although there are one or two points on which I have thanked and appreciated his concern, there is one point on which I want to correct Dr. Kalanidhi.

माननीय अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य को तमिल में जवाब दे दीजिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, आपके आदेश का पालन करना ही पड़ेगा।

*(He is demanding for increasing the fund to be given to the States by 50 per cent. This demand is to be placed before the Finance Commission. This demand should not be put to us.)

First of all, I want to say that the request which Dr. Kalanidhi has made – that States should get 50 per cent of all devolvable taxable amounts – is something the Finance Commission will have to address, and I am sure he and his Government would have submitted it to the Committee.

माननीय अध्यक्ष : अब संसद के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी भाषा में बोलने पर साइमलटेनियसली उसका अन्य भाषाओं में अनुवाद हो जाता है। इसलिए, अब दिक्कत नहीं है।

---

*() Original in Tamil

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, वे जनरेसली बोल रहे थे कि मैं अंग्रेजी समझता हूं, इसलिए, आपको तमिल में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन, सर, मुझे आपके कारण अपने भाषण में तमिल में बोलने का मौका मिला।

Sir, I also want to say that apart from what the Finance Commission has recommended for devolution, Prime Minister Modi – because he has been a Chief Minister and understands the States and their difficulties – had, after COVID, asked us to create a capital fund which could be given to the States almost like a grant, though it is termed a loan with a 50-year tenure and interest-free. All States have utilized it. I want to state that the total amount, as things stand from 2020 till today, is Rs. 4.24 lakh crore that has gone to the States as an interest-free 50-year loan. The Finance Commission did not ask us to do that. We have done that. So, we will keep the States' interests in mind, and no State gets less than what the Finance Commission has ordered us to give them. That also should be placed on record.

(1730/SPS/RTU)

Again Sir, I cannot see him here. I would like to thank hon. Member Shri Lavu Srikrishna Devarayalu for recognising the fact that compensation cess regime has come to an end and therefore, this has to move as excise to the Centre and that will get devolved to the States. I actually appreciate him for having clearly laid that out and it will only support the States and their finances. Sir, there were also the same questions – are you helping the farmers and are you actually doing concrete things, one to help the farmers and another to really contain purchase of tobacco and tobacco related products? Sir, there has been a law since 2003 and that actually prohibits tobacco products from being sold to people who are under 18 years of age in a 100-yard circumference of any school or any educational institution. But, of course it has to be implemented even more rigorously because there is a lot of violation and people are complaining about it. I am sure the Ministry of Health will be talking to States about it and there are a lot of advertisements. I am not getting into that detail.

Particularly on bidi, Shri Kathir Anand has raised a lot of questions. I will start with the most important question. Hon. Member Kathir Anand said you cannot impose tax on bidi makers and so on. First, bluntly and upright, I want

to say here, there is no change in the tax incidence on bidi. In fact, GST does not provide for items; 28 per cent was where most of these were demerit goods, on which we put a cess. Now, 28 per cent itself has gone away from the consideration in GST. So, every item had to move from 28 per cent. If it were a demerit good, it had to go to 40 per cent. At the time when the GST Council discussed it, consciously bidi was not taken to 40 per cent because it would have really hurt. Although health consideration warrants it also to be in 40, from 28 it went to 18. A lot of people questioned us saying, "What is this? You have reduced the tax on bidi." No, we have not reduced. Yes, there I could not have taken it to 40 because it would have taken it to higher than what it was earlier. We have taken it to 80 and now, when we are bringing it to the excise regime, it will be taxed similar to what it was earlier and not one paisa more.

बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर बात की है कि बीड़ी वर्कर्स के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, तो उनके रोजगार का क्या होगा? उनके रोजगार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट वैसे के वैसे ही हैं। रेट में कोई बदलाव नहीं है। जो रिजीम है, उसमें जैसा मैंने बताया कि 28 परसेंट टैक्स था, उसके ऊपर एनसीसीडी लगता था। हैंडमेड चार्ज का एक रुपया प्रति हजार बीड़ियों पर था। यदि मशीन मेड है, तो दो रुपये प्रति हजार बीड़ियों पर था। उसके ऊपर बेसिक एक्साइज़ ड्यूटी, जैसा मैंने बताया है कि नॉमिनल 5 पैसा थी, जो एक हजार बीड़ियों पर थी। अगर यह मशीन मेड हो तो 10 पैसा एक हजार बीड़ियों पर थी। यह अभी प्रिवेलेंट स्कीम है। एक्साइज आने के बाद वही रेट होगा, क्योंकि अब जीएसटी 18 परसेंट हो गया है, जो कि कम हो गया है। हैंडमेड यूनिट के ऊपर जैसे पहले एनसीसीडी था, वही रेट है, जो एक रुपया हजार यूनिट पर है और अगर मशीन मेड है, तो दो रुपये हजार यूनिट पर है। जो कानून अभी ला रहे हैं, उसमें बीड़ी के ऊपर बेसिक एक्साइज़ ड्यूटी 10 परसेंट होगी।

(1735/RHL/AK)

कुल मिलाकर के बीड़ी का रेट पहले जो था, अब भी वही है। एक पैसा, मैं रूपया नहीं बोल रही हूं, एक पैसे का इंक्रीज भी नहीं है। इसीलिए गरीब बीड़ी वर्कर का रोजगार चला जाएगा- रोजगार नहीं जाएगा जी। रेट में कोई परिवर्तन नहीं है, रेट वैसे के वैसे हैं। सर, कथीर आनंद जी ने भी कहा कि कानून ला रहे हो, लेकिन रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन के द्वारा रेट बदलती जाती हैं, तो रेट नहीं बदल रही हैं। मतलब रेट बदलना असंभव है। पॉर्लियामेंट को छोड़कर रेट बाहर से बदलना नामुमकिन बात है। पॉर्लियामेंट के अप्रूवल के बिना एक पैसा भी रेट बदलना मुश्किल है, कानूनन कर भी नहीं सकते हैं। ऐसे वह होता नहीं है।

*(This will not happen like this. In Parliament, without permission, not even a single paise can be increased. This may not be possible by way of Rules or by issue of a Notification.)

सर, बीड़ी के विषय में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बताया है। लेबर वेलफेयर स्कीम्स क्या हैं? उनके ऊपर कुछ कैंसर की दिक्कत है। उनके इलाज के लिए कुछ इंतजाम है कि नहीं?

I want to highlight that labour welfare scheme has three components, namely health, scholarships for the children, and housing. Healthcare facilities through 10 hospitals and 279 dispensaries are being offered for beedi workers. Reimbursement of expenditure for specialized treatment is being done and that is also provided. For cancer, tuberculosis, heart diseases, and kidney transplantation money is being given and they are not being charged -- either they are given in advance or they are being reimbursed.

Financial assistance for education of children of beedi workers from Class 1 to college or university ranging from Rs. 1,000 to Rs. 25,000 per student per annum depending upon the class in which the student is or the course in which the student is, is already being provided.

Then, subsidy of Rs. 1.5 lakh per beneficiary for construction of pukka house is being given under the Revised Integrated Housing Scheme from 2016. RIHS has been now converged with Pradhan Mantri Awas Yojana. So, beyond this, there is also the Public Distribution System, Deen Dayal Antyodyay Yojana, PM SVANidhi, Kaushal Vikas Yojana, Suraksha Bima Yojana, and Jeevan Jyoti Bima Yojana. All these will take care of the beedi workers.

I cannot see senior Member Ramashankar Rajbhar ji from the Samajwadi Party. उन्होंने भी बहुत इमोशनली इस विषय पर बात की। मैं उम्मीद करती हूं कि उनके प्रश्न का भी मैं जवाब दे रही हूं, और जवाब देती हूं।

Hon. Member, Supriya Sule ji had raised this very important question in general about the excise for which, I think, in the name of other Members I have given an answer.

Sir, in passing, but I think she meant it, the hon. Member raised this question about IMF and data issue. I would want to use this opportunity to explain that that debate was very ill-informed. IMF has actually said about

---

* () Original in Tamil

India's overall healthy economic performance and that is what the report concentrates on. Literally, most of the report focusses on it. But I want to say something on the data ranking. IMF ranks data quality from A, B, C and D. (1740/SRG/KN)

They do not have the A+, A-, which happens in most universities. Grade `A' means data is adequate for surveillance, Grade `B' means data has some shortcomings, but is broadly adequate, Grade `C' means data shortcomings could somewhat hamper surveillance, that is where we are put, and Grade `D' means serious shortcomings that hamper surveillance. We are ranked `C'. The ratings are part of IMF Report on Indian economy, which expects India's GDP growth to grow at 6.5 per cent level in 2025-26, the current year. It recognises growth in private consumption, macroeconomic stability and also resilience of the Indian financial sector. They recognise it as key drivers of growth. They also recognise the inflation. They say, it has been well below the RBI's tolerance band. The tolerance band is 2 per cent to 6 per cent. And they also say it is expected to be at 4.3 per cent overall for this year. So, the point of contention was the quality of data on which this `C' grade was given.

What was the `C' Grade for? The `C' Grade is assigned to the data on national accounts, which covers data on GDP, consumption, income levels. What was the reason behind `C' ratings, Sir? The reason was that the data is based on an outdated base year, which is 2011-12. It is our base year till now. But the Government of India is now changing that, and from the next year, we will have a data base year as 2022-23, and from 27th February 2026, this will come into execution. So, we are living with data being collected based on the base year 2011-12. It is because of that we are ranked `C', and not for any other reason. I heard some hon. Member, I do not want to take their name, and the language used was astonishing. They said, you are manipulating through GST, misleading data is being provided, but it is none of that. If my base year is old and it is 2011-12 and IMF thinks, "What is this, why would you not want to collect it on something very recent?", the Government of India, after doing intense consultation, has decided that from 27th February, we will have the base year, come closer to us, which is 2022-23. If on that score, IMF says, "I rank you `C", Oh my God, the debate would be like the Government of India's data is all bad, IMF has said, the whole thing is `C' grade", but it is absolutely

not. It was for that data base year being old. It did not question about the growth figures that we have given. On the contrary, they have said, "You will be growing at 6.5 per cent." They have actually appreciated our inflation management. So, it has to be circumscribed.

Also, the wholesale prices used instead of producer prices was also one comment. Mismatch in production and expenditure approaches was another observation. So, everything belongs to the data collection and keeping it to a base year which is old and outdated. That is which is getting us `C' grade. But overall, India was rated `B' on all other fronts, including inflation, Government finance, external sector statistics, monetary and financial statistics and inter-sectoral consistency. So, the median rating that we have got is `B'. So, I would like Supriyaji to be informed about that.

Also, it is not a consolation, but I just want to put it in context that many developing countries also have the same median rating of `B', for example, China and Brazil. I am not getting into the others.

(1745/SM/ANK)

Sir, I cannot find the Member here, so I would not want to name him.

माननीय अध्यक्ष : आप उनका नाम ले सकती हैं।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Member, Shri Sasikanth Senthil said that the Compensation Cess was designed for five years, yet it has continued beyond that period. I have already explained this in my answer. I request hon. Members to look into the facts before making any observations. Whatever hon. Members say goes into the record.

Compensation Cess is an issue on which we have repeatedly spoken in this House. It was meant for five years, specifically to provide funds to the States and after those five years, it was supposed to conclude.

माननीय अध्यक्ष : वह तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी भी हैं।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I take serious objection to another point made by the hon. Member that the Compensation Cess is being used to pay the Centre's own debt. Excuse me! The Compensation Cess was collected with the authority of the GST Council in order to repay the loan taken to arrange back-to-back compensation for State governments when revenues could not be collected during COVID-19. And on the date when the entire

arrangement was to conclude, the GST Council authorised us, saying that we could withdraw in anticipation of this exercise.

This has been recorded in the GST Council. I cannot believe that a constitutional body where the Finance Ministers of States sit would allow me – unless hon Member, Shri Sasikanth Senthil says so – to simply pay off the Central Government's debt using Compensation Cess. Are the State Finance Ministers not empowered enough to question me on such a matter? Yet an hon. Member is here claiming that the Compensation Cess is being used to pay the Centre's own debt. I do not know how to respond. This is greatly misleading the House.

माननीय अध्यक्ष : आप तमिल में बोल दीजिए, जिससे वहां संदेश चला जाएगा।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Should I? Thank you very much, Sir. *(Hon. Member, Shri Sasikanth Senthil said that the money collected through Compensation Cess is being used by Union Government to repay its debts. I do not know whether this is parliamentary or unparliamentary to say that what he said was a ... (*Expunged as ordered by the Chair*) … (*Interruptions*) That is why, I already said it may be parliamentary or unparliamentary. If it is unparliamentary you can change that word. I once again repeat…) यदि वह अनपार्लियामेंट्री शब्द है, तो उसको आप हटा दीजिए।

*(But this is untrue. It is a baseless allegation and you cannot say such things in Parliament. If it is unparliamentary, you can expunge it. I will repeat it once again.) If it is unparliamentary, please remove it. You are the hon. Speaker.

क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे वह बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर डाल दिया, तो अब मैं आरोप लगा रही हूं। मुझे ऐसा जानबूझकर बोला गया। ऐसा लगता है। केंद्र सरकार कंपेनसेशन सेस का उपयोग करते हुए उनका ऋण क्लियर करती है। यह जीएसटी काउंसिल का अपमान है। यदि मैं ऐसा करती हूं, तो क्या जीएसटी काउंसिल में बैठे हुए वित्त मंत्रीगण को यह जानकारी नहीं होगी? तमिलनाडु के एक सासंद ने बोला, उसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। Hon. Member Shri Sasikanth Senthil should please withdraw this statement. It is a wrong statement.

---

*() Original in Tamil

1750/GM/RAJ)

*(That is not true. Is it ok for you? It is untrue. Instead of using the word 'lie', I used the word 'untruth'. But what he said was a baseless allegation. I therefore request the Hon Speaker to make him withdraw his statement. That particular sentence should be withdrawn. He is not present here. But definitely I am sure he is watching the proceedings from somewhere.)

माननीय अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी एक मिनट रुक जाइए। अभी आपको बोलने के लिए बहुत टाइम है।

माननीय सदस्यों,आपको साइमलटेनियसली इंटरप्रेटेशन की आवाज साथ में आ रही है। जब वित्त मंत्री जी तमिल में बोलीं तो क्या आपको सभी भाषाओं में इंटरप्रेटशन आ रहा था, या नहीं आ रहा था? हिन्दी-अंग्रेजी सभी भाषाओं में आवाज आ रही है।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

माननीय अध्यक्ष : हम टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया था कि अगर आप तमिल में बोलेंगी तो मैं टेस्ट कर लूंगा कि सभी भाषाओं में इंटरप्रेटेशन हो।

यह भी भारत की संसद में नया प्रयोग है।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Lastly, many Members mentioned it. I do not know if Shri Vishaldada Patil is here. He also mentioned it. Health and wellness have to be in good focus. According to NHA data, 2014-15 and 2021-22, Government's health expenditure as a percentage of GDP rose from 1.13 per cent to 1.84 per cent. Government health expenditure's share of overall Government spending also increased from 3.94 per cent to 6.12 per cent. Between 2014 to 2022, the per capita health spending tripled from 1,108 to 3,169. You are also aware of the Ayushman Bharat Programme. Fifty-five crore beneficiaries are taking benefit out of it. There have been over nine crore hospital admissions resulting in Rs.1.3 lakh crore worth of free treatments. More than 16,000 Jan Aushadhi Kendras now present in almost all the districts of the country offer 50 to 90 per cent cheaper medicines when compared to market rates. Mission Indradhanush has various phases. In it, 5.46 crore children and 1.32 pregnant women have benefited from vaccinations against 12 diseases. This targeted initiative has contributed to a significant decline in the maternal morality ratio from 130 per lakh live births in 2014-15 to 80 in 2020. In the last 11 years, the Government has approved or established new

* () Original in Tamil

AIIMSes across several States and set up many new medical colleges including the first AIIMS in the North-East located in Assam. The MBBS seats have also increased to 1.18 lakh and 74,000 PG seats have been added since 2014.

I think largely I have addressed all the issues raised by the hon. Members. I would appeal all the Members to kindly pass the Bill.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : क्या कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?अभी सदन का पांच मिनट समय बाकी है। किसी को कोई क्लैरिफेकेशन तो नहीं चाहिए।

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। पूरा सदन, पूरे भारत के प्रबुद्ध लोग चाहते हैं कि नशा मुक्त भारत बने। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि तेलंगाना राज्य में जो लोग तम्बाकू की खेती कर थे उनको यह सुझाव दिया गया है कि तम्बाकू की खेती न करके अन्य फसलों की खेती करें। उनको मिर्च आदि के बारे में बताया गया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भारत के हर राज्य में जहां-जहां लोग तम्बाकू की खेती करते हैं, उनके लिए वहां कौन-सी फसल अच्छी हो सकती है, अगर उनको भी इसमें शामिल किया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी सुझाव देंगे।

(1755/NK/GTJ)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं भारत सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, जीएसटी-2.0 लगाकर उन्होंने आम जनता को इतनी सारी सुविधाएं दीं कि इस बार दीपावली 22 सितम्बर को एक नये स्तर पर मनायी गई। लेकिन इसके साथ सिगरेट और तम्बाकू का जो नशा है, जिनको लगातार डिस्करेज करने का काम यह सरकार कर रही है। सिगरेट के ऊपर कैंसर पीड़ितों की तस्वीर लगाकर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया। जब हम लोग युवा थे तब हर जगह सिगरेट की दुकानों पर भीड़ दिखती थी, आज ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार सेंट्रल एक्साइज का अलग से फैसला है कि इस पर टैक्स बढ़ाया जाए और इसको महंगा किया जाए, जिससे आम व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित न हो, यह सरकार का बहुत ही बढ़िया फैसला है।

मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। स्वास्थ्य में आयुषमान भारत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): Thank you, hon. Speaker, Sir.

I really appreciate the way our hon. Finance Minister replied to the doubts that were raised by the hon. Members. During her reply, she was

mentioning about IMF data which was based on 2011-12. Based on that, the gradation was given like A, B, C and D. She was crystal clear. But, I would like to know whether that data is taken on base year 2011-12. Is that taken by the Central Government? If so, during these 12 years, was there any initiative taken by the Central Government to collect the data for the current situation so that based on that, we can give the gradation? Thank you.

माननीय अध्यक्ष: जगदम्बिका पाल जी, आप भी सीट पर चार घंटे बैठे है तो आप भी बोल लीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा, पूरा सदन इस बात के लिए चिंतित था, प्रतिपक्ष के लोग भी कह रहे थे कि तम्बाकू पर नियंत्रण होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। वर्ष 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सीओटीपीए कानून लागू किया था, आज उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। इसके लिए मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

मैं वर्ष 2003 के कानून का उदाहरण दे दूं। वर्ष 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस सदन में कानून पारित किया था। उसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध पहली बार लगाया गया था, जिससे फर्क पड़ा। नाबालिगों के द्वारा तम्बाकू बिक्री पर रोक लगायी गयी, स्कूल और कॉलेजों के 100 मीटर के अंदर बिक्री को निषिद्ध किया गया, विज्ञापनों पर रोक था।

अगस्त ऋषि ने क्या कहा है? भारतीय शासन दर्शन स्वास्थ्य सुरक्षा का है, उसमें अगस्त ऋषि ने कहा था कि स्वास्थ विज्ञान समाज कल्याण के प्रतीक माने जाते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने आज क्लियर कर दिया है। सभी राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर्स जीएसटी के मेंबर हैं। आज तक जितने भी फैसले जीएसटी में हुए हैं, वे सर्वसम्मत से हुए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह फेडरल स्ट्रक्चर को भी मजबूत करेगा, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, यह पैसा राज्यों को जाएगा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष: सदन का समय इस विधेयक के प्रस्ताव पर विचार करने तक बढ़ाया जाता है।

(1800/IND/HDK)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो विषयों पर क्लैरीफिकेशन देना चाहती हूं। माननीय सदस्य ने एक विषय उठाया था और मैंने सोचा कि मेरे जवाब में उसका उत्तर आ गया है, फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूं कि सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं किया बल्कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो क्राप डायवर्सिफिकेशन का प्रोग्राम बनाते हैं, वे दस राज्यों में चलाते हैं, इंक्लूसिव ऑफ उत्तर प्रदेश। इसलिए उन-उन राज्यों में कौन-सी क्राप फायदेमंद हो सकती है, वह अपने राज्य के लेवल पर निर्णय करके योजना चलाते हैं। जैसे मैंने ओडिशा का उदाहरण दिया कि

सब्जियां और ज्वार। कर्नाटक में सोयाबीन और शुगरकेन। उत्तर प्रदेश अपने स्तर पर किसानों के साथ बात करके जो भी निर्णय करे, उसके हिसाब से चलाते हैं।

Sir, a question was raised, saying that since data was based on 2011-12, whether any initiative was taken on it. I just want to highlight that rebasing initiative has been taken. 'Re-basing' means to re-base the base year from the previous base year, that is, 2011-12 to some other year, which is now, 2022-23. Therefore, it has already commenced in the last one and a half or two years and it is at an advanced stage. That is why, I said, it is planned to launch a new series with the base year of 2022-23 from 27th February, 2026. For the implementation, the rebasing project includes the collection of key data sources using surveys and studies, methodological improvements and also the assessment of additional data sources. We have formed various expert committees for new data source, rate and ratios, methodological improvements, constant price estimates and regional accounts. These are independent committees, expert committees looking into these aspects in specific. And above all, a discussion paper regarding the proposed changes has been put in the public domain for comments as well. All this has been done and, therefore, it is a structured process through which rebasing happens.

माननीय अध्यक्ष : आज सभी दलों के सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिला है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई माननीय सदस्य होगा, जो इस विषय पर बोलना चाहता होगा और उसे अवसर न मिला हो। इसी कारण मैं आग्रह करता रहता हूं कि सदन चलता है तो सदन के समक्ष विधेयकों और मुद्दों पर सबके विचार आते हैं, सबके मत आते हैं। मैं इसीलिए आग्रह करता हूं कि सदन चले, सदन में चर्चा हो और सभी ने सदन चलाने में सहयोग किया है, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

अब मैं विधेयक पर विचार करने वाले प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

> "कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय अध्यक्ष : श्री डी. एम. कथीर आनंद जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I have got five amendments, but I am going to move only the first amendment. Is it possible for the Finance Minister to reduce the tax position on *biri*?

Sir, I beg to move:

Page 4, *for* lines 15 to 17,-

substitute

(1)	(2)	(3)	(4)
"2403 19 21	Handmade biris manufactured without the aid of machine	Tu (1)	2%."

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री डी. एम. कथीर आनंद जी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Sir, I rise to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 4 दिसंबर, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1804 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 04 दिसंबर, 2025 / 13 अग्रहायण, 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।